सर्व शिक्षा अभियान

परस्पेक्टिव प्लान

(2002-2007)

जनपद - मैनपुरी

अध्याय –1

जनपद – मैनपुरी का परिचय

भौगोलिक स्थिति :

जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश की आगरा कमिश्नरी का भाग है। यह जनपद 26, 58 से 27.20 उत्तरी अक्षांश एवं 78.42 से 79.20 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में एटा, पश्चिम में फिरोजाबाद पूर्व में फर्रूखाबाद तथा कन्नौज तथा दक्षिण में इटावा जनपद स्थित है। जनपद की अधिकतर भूमि बलुई, दोमट तथा कुछ थोड़ा सा भाग क्षरीय भूमि है। जनपद का तापक्रम सामान्यतः 5.4 से 47.40 रहता है। जनपद का विस्तार उत्तर दक्षिण 90 किमी0 तथा पूर्व पश्चिम 115 किमी0 है। जनपद का कुल क्षेत्रफल 2759 वर्ग किमी0 है। इसमें से 42.7 हजार हेक्टेअर भूमि क्षारीय है जो कृषि योग्य नहीं है। इस प्रकार जनपद की कुल भूमि की 15.6 प्रतिशत भूमि क्षारीय है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

मैनपुरी उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगरों में से एक है। इसकी स्थापना चौहान वंश के राजाओं द्वारा की गयी थी। 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में मैनपुरी के चौहान महाराजा तेज सिंह की प्रमुख भूमिका रही है। यह जनपद वीर भूमि के नाम से विख्यात रहा है। शहीद रामप्रसाद विस्मिल की कर्मभूमि यही जनपद रहा है। 1942 की क्रान्ति में श्री जमुनाप्रसाद त्रिपाठी, सीता राम गुप्ता एवं कृष्ण कुमार बेवर में थाने के सामने पुलिस की गोलियों से शहीद हुये थे। यह जनपद च्यवन ऋषि मारकण्डेय एवं मयन ऋषियों की तपस्थली

रहा है। देव जैसे महाकवियों की जन्म स्थली होने का गौरव भी इसी जनपद को प्राप्त है। मयन ऋषि के नाम से इस जनपद का नाम 'मयनपुरी' हुआ जो कालान्तर में मैनपुरी के नाम से विख्यात है।

1990 से पूर्व जनपद में पॉच तहसीलें एवं 15 सामुदायिक विकास खण्ड थे। फिरोजाबाद जनपद के सुजन होने पर दो तहसीलें शिकोहाबाद एवं जसराना अपने 7 सामुदायिक विकास खण्डों के साथ इस जनपद से अलग हो गयी। सम्प्रति इस जनपद में तीन तहसीलें मैनपुरी, भोगॉव एवं करहल अपने नौ सामुदायिक विकास खण्डों के साथ स्थित है।

इस जनपद में एक ब्राडगेज रेलवे लाइन एक ओर फर्रूखाबाद एवं दूसरे छोर पर शिकोहाबाद जंक्शन को मिलाती है। जिस पर जनपद में हाल्ट सहित कुल 7 रेलवे स्टेशन हैं। रेलवे लाइन की कुल लम्बाई 53 किमी0 है। जनपद में कुल पक्की सड़क की लम्बाई 1195 किमी है। 1991 की जनगणना के अनुसार 1500 से अधिक जनसंख्या वाले 157 गॉव सड़कों से सम्बद्ध है।

प्रशासनिक संरचना :

मैनपुरी जनपद प्रशासनिक रूप से अपने 9 समुदायिक विकास खण्डो सहित 3 तहसीलों में विभक्त है। इसमें 80 न्याय पंचायतों एवं 503 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। जनपद में स्थित 861 राजस्व ग्रामों में से 826 आबाद एवं 35 गैर आबाद है। एक नगर पालिका परिषद मैनपुरी एवं 8 नगर पंचायत स्थित हैं जिनके नाम घिरोर, कुरावली, भोगॉव, बेवर, कुसमरा, किशनी, करहल एवं ज्योती है।

प्रशासनिक संरचना

क्रं0	मद	संख्या
1	तहसील	03
2	विकास खण्ड	09
3	न्याय पंचायत	80
4	ग्राम सभायें	503
5	राजस्व ग्राम	861
6	बस्तियों की संख्या	2678

स्रोत जनपदीय सांख्यिकी पत्रिका

क्रं0	मद	संख्या
1	नगर निगम	0000
2	नगर महापालिका	0000
3	नगर पालिका	01
4	टाउन एरिया	08

स्रोत जनपदीय सांख्यिकी पत्रिका

प्रशासनिक संरचना

क्र.	विकास खण्ड का नाम	न्याय पंचायतों की संख्या	ग्रम पंचायतों की संख्या	राजस्व ग्रामों की संख्या	बस्तियों की संख्या
1	मैनपुरी	08	52	77	329 339
2	घिरोर	09	51	74	286 274
3	कुरावली	09	57	103	353 214
4	सुल्तानगंज	10	65	102	298 298
5	बेवर	12	76	157	326 371
6	किशनी	09	56	98	355 322
7	जागीर	05	36	057	260 236
8	करहल	10	57	104	315 393
9	बरनाहल	08	53	89	156 231
10	नगर क्षेत्र मैनपुरी	000	000	000	000 –
	योग	80	503	861	2678

स्रोत जनपदीय सांख्यिकी पत्रिका

जनसंख्या :

1991 की जनगणना के अनुसार मैनपुरी की कुल जनसंख्या 13,11,492 थी तथा प्रतिवर्ष वृद्धि दर 2.0 प्रतिशत के आधार पर वर्ष 2001 में जनपद की कुल जनसंख्या 15,92,875 है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 13,81,676 है जो कुल जनसंख्या का 86.74 प्रतिशत है। इसी प्रकार नगरीय जनसंख्या 2,11,199 है जो कुल जनसंख्या का 13.26 प्रतिषत है। जनपद मैनपुरी की जनसंख्या दशकीय वृद्धि उ0 प्र0 की 25.80 के सापेक्ष 21.50 प्रतिशत है जो कि भारत की दर 21.34 के लगभग बराबर है। स्पष्ट है कि मैनपुरी में जनसंख्या वृद्धि पर शिक्षा व अत्याधुनिक संसाधनों का प्रभाव पड़ा है जिससे वृद्धि नियन्त्रण हुयी है। जनपद की विकास खण्डवार कुल जनसख्या तथा अनुसूचित जाति की विकास खण्डवार जनसख्या का विवरण निम्नवत है।

जनसंख्या का विवरण

भारत	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी
531277078	87466301	858531
495738169	78586558	734344
1027015247	166052859	1292875
वृद्धि दर 21.34	वृद्धि दर 25.80	वृद्धि दर 21.05

क्र0	विकास खण्ड का नाम	1991 की कुल जनसंख्या			2001 की कुल जनसंख्या		
1	मैनपुरी	82854	69756	152610	100626	84718	185344
2	घिरोर	64992	52238	117230	78936	63447	142383
3	कुरावली	58954	48827	107781	71603	59304	130907
4	सुल्तानगंज	82121	67984	150105	99740	82570	182310
5	बेबर	86862	72271	159133	105499	87777	193276
6	किशनी	69944	66131	146075	97096	80320	177416
7	जागीर	46463	38446	84909	56432	46695	103127

8	कुरहल	63962	52463	1116425	77686	63720	141406
9	बरनाहल	56517	46817	103334	68644	56863	125507
	योग	622669	514933	1137602	756262	625414	1381676
10	नगर क्षेत्र मैनपुरी	92601	81289	173890	112469	98730	211199
	कुल महायोग	715270	596222	1311492	1868731	724144	1592875

विकास खण्डवार अनुसूचित जाति की जनसंख्या

क्र0	विकास खण्ड का नाम	1991 की कुल जनसंख्या			2001 की कुल जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	मैनपुरी	16086	13511	29597	19538	16411	35949
2	घिरोर	11655	9263	20918	14155	11250	25405
3	कुरावली	11508	9458	20966	13977	11487	25464
4	सुल्तानगंज	14589	11731	26320	17720	14248	31968
5	बेवर	18717	15242	33959	22733	18513	41246
6	किशनी	18395	14993	33388	22341	18209	40550
7	जागीर	9451	7634	17085	11478	9272	20750
8	कुरहल	12393	9987	22380	15052	12129	27181
9	बरनाहल	11659	9369	21028	14160	11379	25539
	योग ग्रामीण	124453	101188	225641	151154	122898	274052
10	नगर क्षेत्र	14920	12714	27634	18121	15442	33563
	महायोग	139373	113902	253275	169275	138340	307615

स्रोत जनपदीय सांख्यिकी पत्रिका

अध्याय –2

शैक्षिक परिदृष्य

जनपद मैनपुरी में वर्ष 2000 से 2005 तक सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अर्न्तगत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य ठहराव सुनिश्चित करना तथा न्यूनतम अधिगम स्तर की सम्प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसकी पूर्ति हेतु अब तक जनपद में 1203 प्राथमिक विद्यालय तथा 200 परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय संचालित है। शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के सेवारत/पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिये गये लक्ष्य को अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

साक्षरता –2001

वर्ष	भारत	उत्तर प्रदेश			मैनपुरी			वृद्धि दर		
1991	52.11	55.35+	26.02	41.06	64.34	23.12	50.29	–	–	–
2001	65.4	70.23+	42.98	57.36	78.27	52.67	66.51	13.93	29.55	16.22

वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार कुल साक्षरता 66.51 प्रतिशत है जिसमें पुरूषों की 78.27 प्रतिशत व महिलाओं की 52.67 प्रतिशत है विगत दशक में जनपद–मैनपुरी की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी। भारत की साक्षरता दर 65.4 व उ0 प्र0 साक्षरता दर 57.35 के सापेक्ष मैनपुरी की साक्षरता दर 66.51 प्रतिशत है जो कि क्रमशः 1.11 एवं 9.15 प्रतिशत अधिक है। दशक में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं ने शिक्षा के प्रति विशेष रूझान

दिखाया तथा पुरूषों (13.93 प्रतिशत) के सापेक्ष महिलाओं की साक्षरता वृद्धि दर 29.55 प्रतिशत है।

जनपद की साक्षरता – 1991

जनपद की साक्षरता दर	प्रतिशत
कुल साक्षरता	66.51
ग्रामीण साक्षरता	64.12
नगरीय साक्षरता	81.62
कुल पुरूष साक्षरता	78.27
कुल महिला साक्षरता	52.67
कुल ग्रामीण पुरूष साक्षरता	76.73
कुल ग्रामीण महिला साक्षरता	59.15
नगरीय पुरूष साक्षरता	88.23
नगरीय महिला साक्षरता	84.65

शैक्षिक संस्थायें :

जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी मैनपुरी से प्राप्त सांख्यिकी पत्रिका के अनुसार वर्ष 1995–96 में प्रति लाख जनसंख्या पर प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता 79 थी जो वर्ष 97–98 में बढ़कर 91.8 हो गयी। जनपद मैनपुरी में स्थित विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं की संख्यात्मक विवरण निम्नवत् है–

शैक्षिक संस्थायें

क्र.	संस्थायें	परिषदीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कम्पोजिट विद्यालय	1184	19	1203	343	95	438	1527	114	1641			
2	कम्पोजिट विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	02	01	03	04	04	08	06	05	11			
3	उच्च प्राथ विद्यालय	196	04	200	236	47	283	432	51	483			
4	प्राथ विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथ	00	00	00	00	00		77	13	90			
5	केन्द्रीय विद्यालय	00	00	00	00	00	00	00	00	00			

6	नवोदय विद्यालय	1	00	1	00	00	00	1	00	1			
7	हाई स्कूल	00	00	00	00			15	4	19			
8	इण्टरमीडिएट	00	00	00	00	00	00	62	09	71			
9	डिग्री कालेज	—	—	—	2	—	2	2	—	2			
10	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	—	—	—	2	2	4	2	2	4			
11	विश्व विद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12	तकनीकी संस्थान आई०टी०आई०	—	—	—	—	—	—	—	—	2			
	पालीटेक्निक	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
13	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थायें									18			
14	संस्कृत पाठशालायें	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
15	बाल श्रमिक आश्रम पद्धति विद्यालय	00	00	00	00	00	00	00	00	1			
16	अन्ध मूक बधिर	00	00	00	00	00	00	00	00	00			
17	डायट									1			
18	बी आर सी	00	00	00	00	00	00			9			
19	सी आर सी	00	00	00	00	00	00	00		80			

स्रोत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय) 1–7–2002 की स्थिति

विद्यालय	सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या	
परिषदीय प्रा० विद्यालय	2297	2675	378	211	208
परिषदीय उ० प्रा० विद्यालय	920	667	253	00	00

स्रोत स० बे० शि० अधि० से प्राप्त

विद्यालयी सुविधा :

जनपद के विकास खण्डवार असेवित बस्तियों की संख्या को देखते हुए यह तथ्य परिलक्षित होता है कि जनपद में निर्धारित मानक (बस्ती की जनसंख्या 300 एवं निकटस्थ प्राथमिक विद्यालय की दूरी 1.5 किमी) पूरा करने वाली बस्तियों औरचारिक विद्यालयों की स्थापना के साथ–साथ कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए शिक्षा गारण्टी योजना वैकल्पिक शिक्षा, विद्या केन्द्र, ऑगनवाडी एवं अन्य प्रकार के अनौपचारिक केन्द्रों की आवश्यकता है। विकास खण्डवार असेवित बस्तियों का विवरण तथा दूरी के अनुसार विद्यालयी सुविधा, उपलब्ध वस्तियों की संख्या निम्नवत है –

सेवित तथा असेवित बस्तियाँ

विवरण	1 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 किमी से अधिक किन्तु 1.5 किमी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित प्रा0 वि0 एवं ई.जी. एस.
ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक	1306	196	0	0
ऐसी बस्तियां जिनकी आबादी 300 से कम	48	23	100	100

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

विवरण	3 किमी से कम दूरी पर परिष0 उ0 प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	3 किमी से अधिक दूरी पर परिष0 उच्च प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित उच्च प्रा0 विद्यालय/ए0आई0ई0/ ज्ञान केन्द्र
ऐसे ग्रामो/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	1095	0	0
ऐसी बस्तियां जिनकी आबादी 800 से कम	894	98	63

सेवित तथा असेवित बस्तियाँ

प्राथमिक स्तर

क्र0	नाम विकास खण्ड	ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।			
		1 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 से 1.5 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध।	
1	2	3	4	5	6
1	मैनपुरी	175	27	0	20
2	घिरोर	148	21	0	30
3	कुरावली	118	7	0	08
4	सुल्तानगंज	172	15	0	05
5	बेवर	169	42	0	10
6	किशनी	210	31	0	10
7	जागीर	100	13	0	05
8	करहल	108	36	0	08
9	बरनाहल	106	04	0	04
	योग ग्रामीण	1306	196	0	100
10	नगर क्षेत्र मैनपुरी	00	00	00	00
	योगयोग	1306	196	0	100

स्रोत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मैनपुरी

उच्च प्राथमिक स्तर

क्र0	नाम विकास खण्ड	ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है			
		3 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	3 किमी से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध		प्रस्तावित नवीन विद्यालय / 11 वें वित्त आयोग द्वारा
1	2	3	4	0	0
1	मैनपुरी	145	25	0	0
2	घिरोर	134	39	0	0
3	कुरावली	110	15	0	0
4	सुल्तानगंज	142	8	0	0
5	बेवर	157	20	0	0
6	किशनी	150	30	0	0
7	जागीर	115	23	0	0
8	करहल	93	8	0	0
9	बरनाहल	84	15	0	0
	योग	1130	173	0	0
10	नगर क्षेत्र	–		0	0
	योग	1130	173	0	0

उक्त तालिका के आवलोकन करने से ज्ञात होता है कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 एवं 2006–07 में कोई भी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माण की अवश्यकता नहीं है फिर भी यदि कोई असंतृप्त असेवित बस्तियां प्रकाश में आती हैं तो विद्यालय निर्माण का प्रस्ताव किया जायेगा।

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें

परिषदीय विद्यालय 1–10–2002 की स्थिति (प्राथमिक स्तर)

क्र0	मद	ग्रामीण	नगर	योग	कक्ष
1	प्राथमिक विद्यालय भवनहीन, जर्जर, पुर्ननिर्माण	70		70	
2	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	81	00	81×1	81
	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	864	00	864×2	1728

	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	66	5	71×3	213
	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	13	3	16×4	64
	पांच कक्षीय तथा पांच कक्षा से अधिक वाले विद्यालयों की संख्या	3	00	3×5	15
	योग	1154	16	1130	2101
3	मरम्मत योग विद्या0–लघु	120	2	122	
	वृहत	34	1	35	
4	शौचालय विहीन विद्यालय	887	16	903	
5	हैण्ड पम्प विहीन विद्यालय	0	0	0	
6	चहार दिवारी विहीन विद्यालय	0	0	0	

(उच्च प्राथमिक स्तर)-

7	मरम्मत योग्य –लघु	020	03	23
	वृहत	07	00	7
8	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	2	00	2
	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	13	3	16
	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	8	1	9
	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	106	00	106
	पांच कक्षीय तथा पांच कक्षा से अधिक वाले विद्यालयों की संख्या	8	00	8
	योग	164	7	173
9	शौचालय विहीन विद्यालय	101	4	105
10	हैण्डपम्प विहीन विद्यालय	20	00	20
11	चहार दिवारी विहीन विद्यालय	135	4	139
12	उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन – कुल विद्यालय–173,जिसमें भवन युक्त–134, भवनहीन – 07 तथा जर्जर (पुर्ननिर्माण योग्य) – 15			

स्रोत कार्यालय जिलाबेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी

जर्जर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची विकास खण्डवार–

क्र0	विकास खण्ड का नाम	जर्जर विद्यालयों की संख्या	निर्माण का वर्ष
1	सुल्तानगंज	02	40 वर्ष पुराने
2	मैनपुरी	02	40 वर्ष पुराने
3	करहल	02	40 वर्ष पुराने
4	किशनी	02	40 वर्ष पुराने

5	बेवर	02	40 वर्ष पुराने
6	कुरावली	02	40 वर्ष पुराने
7	घिरोर	01	40 वर्ष पुराने
8	बरनाहल	01	40 वर्ष पुराने
9	जागीर	01	40 वर्ष पुराने
	योग	15	

जर्जर प्राथमिक विद्यालय

क्र0	विकास खण्ड का नाम	जर्जर विद्यालयों की संख्या	निर्माण का वर्ष
1	सुल्तानगंज	09	40 वर्ष पुराने
2	मैनपुरी	08	40 वर्ष पुराने
3	करहल	06	40 वर्ष पुराने
4	किशनी	10	40 वर्ष पुराने
5	बेवर	12	40 वर्ष पुराने
6	कुरावली	05	40 वर्ष पुराने
7	घिरोर	10	40 वर्ष पुराने
8	बरनाहल	05	40 वर्ष पुराने
9	जागीर	05	40 वर्ष पुराने
	योग	70	

उपरोक्त सारणी के अनुसार उच्चतर प्राथमिक विद्यालय 15 एवं प्राथगिक विद्यालय 70 जर्जर अवस्था/भवनहीन हैं जिनका पुर्न निमार्ण कराया जाना प्लान में प्रावधानिक किया गया है।

उपर्युक्त सारणी से परिलक्षित होता है कि मैनपुरी जनपद में सर्वाधिक 864 विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास मात्र दो कक्ष उपलब्ध है। दो कक्षों में पॉच कक्षाओं का संचालन असंभव नहीं तो कठिन कार्य अवश्य है। इन विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष बनाये जाने की आवश्यकता है। 903 विद्यालय शौचालय विहिन तथा 1084 विद्यालय चहारदिवारी विहीन है जिसके निर्माण की आवश्यकता है। 135 विद्यालय भवनहीन/जर्जर जो पुनःनिर्माण योग्य है

जिनके भवन की निर्माण की अति आवश्यकता हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त दशम् वित्त आयोग के अन्तर्गत मैनपुरी जनपद में 9 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन 09, शौचालय 09, हैण्ड पम्प तथा 09 चहारदीवारी का निर्माण प्रस्तावित है।

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी आवश्यकता

क्र0	सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	डी.पी.इ. पी. से	शुद्ध योग	कमी	11वें वित्त आयोग / डी.पी.ई.पी.	शुद्ध योग
1	नवीन विद्यालय	121	33	88	148	09	139
2	विद्यालय पुर्ननिर्माण	135	47	88	32	00	032
3	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	3295	333	3295	47	00	47
4	पेयजल	160	072	088	463	00	463
5	शौचालय	991	410	581	568	00	568
6	चहार दिवारी		00				

स्रोत कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक ऑकड़े व महत्वपूर्ण सूचक (जनपद–मैनपुरी) :

जनपद के नामांकन में वृद्धि हुयी है। जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 में प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का जी0ई0आर0 / एन0ई0आर0 अधिक है। कुल नामांकन के सापेक्ष 232683 कक्षा एक के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुयी है जिससे ये परिलक्षित होता है कि इस कक्षा में अधिक बच्चे शिक्षा-प्राप्ति हेतु अग्रसर हो रहे हैं।

प्राथमिक स्तर पर शालात्याग की दर में निरन्तर ह्रास हो रहा है। विगत तीन वर्ष में शालात्यागी बच्चों की दर 55.83 से घटकर 42.89 प्रतिशत रह गयी है जो एक वड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना अनुचित न होगा कि बालक और बालिकाओं की शालात्याग दर में अन्तर कम होता जा रहा है।

जनपद मैनपुरी में वर्ष 2001–2002 का छात्र एवं अध्यापक अनुपास 54:1 है। भौतिक सत्र में छात्र एवं कक्षा–कक्ष का अनुपात 82:1 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1:40 पर लाना है। इसके लिए अतिरिक्त शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करनी होगी तथा छात्र/कक्षा कक्ष अनुपात में सुधार के लिए अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के आधार भूत ऑकड़े : (जनपद–मैनपुरी)

जनपद मैनपुरी में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित है जिसके फल स्वरूप प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुयी है। इसका असर पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के नामांकन पर भी पड़ा है परन्तु इस स्थिति को कायम रखने के लिए पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को भी पोषण की आवश्यकता है।

अधिकांशतः देखने में आया है कि कक्षा पॉच उर्त्तीण करने के बाद आधे तक बच्चे कक्षा 6 में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। इस स्थिति का प्रमुख कारण है कि अधिकांश पूर्व माध्यमिक विद्यालय दूर–दूर स्थित हैं जिससे कक्षा पॉच उर्त्तीण करने के बाद बालक बालिकायें उसी अनुपात में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। इसके लिए नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की महती आवश्यकता है।

प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या का अनुपात

क्षेत्र	परि0 प्राथमिक वि0 की संख्या	पूर्व मा0 वि0 की संख्या	पूर्व मा0 वि0 सम्बद्ध मा0 विद्यालय	योग	प्रा0/पूर्व मा0 विद्यालय का अनुपात
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण क्षेत्र	1184	196	77	255	5:1
नगरीय क्षेत्र	19	04	13	17	1.5:1
योग	1203	200	90	272	4.42:1

स्रोत –कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालय की तुलना में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अपर्याप्त है। यद्यपि पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना में वृद्धि हुई है फिर भी अनुपात यथेष्ठ न होने के कारण कक्षा 5 उत्तीर्ण बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस समय प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय का अनुपात 7:1 है।

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ड्राप आउट

कक्षा	कक्षा–6			कक्षा–7			कक्षा–8		
वर्ष	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2000–01	4415	4263	8878						
2001–02				4030	3950	7980			
2002–03							3168	2753	5741

कुल ड्राप आउट =35.33

बालकों का ड्राप आउट=28.24

बालिकाओं का ड्राप आउट =35.42

प्राथमिक विद्यालयों में ड्राप आउट

कक्षा	कक्षा –1			कक्षा –2			कक्षा –3			कक्षा –4			कक्षा –5		
वर्ष	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
98-99	28229	26058	54287												
99-00				22304	19779	42083									
00-01							18086	16694	34780						
01-02										16507	15230	31743			
02-03													16123	14882	31005

कुल ड्राप आउट – 42.89 प्रतिशत

बालकों का ड्राप आउट – 46.90

बालिकाओं का ड्राप आउट – 48.50

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त आंकड़ो के आधार पर विगत वर्षों में स्थिति मान्यता प्राप्त एवं परिषदीय

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1999–2000	2000–2001	2001--2002	2002--2003
कक्षा 1	65947	68011	71177	75941
कक्षा –2	41682	47137	55503	64013
कक्षा –3	3470	36697	39637	42716
कक्षा –4	29384	31743	35361	39152
कक्षा –5	23535	26483	31005	36241
योग	195328	210071	232683	258063

जी0ई0आर0

कुल	80.74	85.10	92.38	101.24
बालिका	79.54	83.17	92.47	100.63

एन0ई0आर0

कुल	65.81	68.30	72.08	99.13
बालिका	64.10	67.04	73.09	99.01

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें परिषदीय प्राथमिक/पू0 मा0 विद्यालय

क्र0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	योग
ब्लाक	मैनपुरी	घिरोर	कुरावली	सुल्तानगंज	बेवर	किशनी	जागीर	करहल	बरनाहल	नगरक्षेत्र	
भवनहीन /जर्जर पुर्ननिर्माण	08	18	9	03	25	28	5	13	18	8	135
एक कक्षीय विद्यालय	20	05	6	17	5	5	3	0	20	00	81
दो कक्षीय विद्यालय	103	100	77	104	122	130	69	99	50	0	864
तीन कक्षीय विद्यालय	15	04	10	8	3	3	5	17	1	5	71
चार कक्षीय विद्यालय	00	00	3	4	4	1	00	00	1	3	16
पांच कक्षीय विद्यालय	01	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
योग	147	127	106	136	159	168	92	129	90	16	1170
योग	16	12	20	15	12	4	9	25	60	2	122
मरम्मत लघु /वृहद	0	06	0	5	3	10	4	1	5	1	35
शौचाल विहीन	114	110	60	88	129	147	78	97	64	16	903
हैण्डपम्प विहीन	07	16	5	0	12	2	5	14	10	0	71
चहारदिवारी विहीन	141	119	98	129	155	164	88	114	76	4	1088
कुल विद्यालय	147	127	106	136	159	168	92	129	90	16	1170
भवनहीन/जर्जर पुर्ननिर्माण	03	06	1	5	5	5	1	3	3	0	32
एक कक्षीय	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
दो कक्षीय	05	0	1	2	2	2	0	1	0	3	16
तीन कक्षीय	04	0	0	0	0	3	0	0	1	1	9

चार कक्षीय	07	13	8	16	14	11	19	13	5	0	106
पांच कक्षीय	03	01	1	0	0	2	1	0	0	0	8
योग	22	20	12	23	22	23	21	17	9	4	173
मरम्मत योग्य लघु	03	0	2	3	0	0	2	10	0	3	23
/वृहद	0	2	0	0	2	0	1	0	2	0	7
शौचालय विहीन	17	4	5	12	22	20	17	1	3	4	105
हैण्डपम्प विहीन	02	6	0	0	4	7	1	0	0	0	20
चहार दिवारी विहीन	19	16	9	16	20	20	19	16	0	4	139
कुल विद्यालय	22	20	12	23	22	23	21	17	9	4	173

स्रोत –कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी

अध्याय –3

नियोजन प्रक्रिया :

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात से हमारी सरकार बच्चों की शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रही है। इसके पश्चात भी 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने में पूर्ण सफलता नहीं मिल पायी है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक ऐतिहासिक प्रयास है। इसके माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूत पूर्व परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य 2007 तक 6–14 आयु वर्ग के समस्त वालक बलिकाओं को उपयोगी एवं कोटि परक शिक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन के रूप में अधिग्रहित किया गया है। इस कार्यक्रम में लिंग–भेद, सामाजिक असमानता को समूल समाप्त करने की परिकल्पना भी की गई है।

सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ऐसे अपेक्षित है जिससे बालकों की शिक्षा में कोटि परक सुधार एवं सामुदायिक सहभागिता बढ़े। इसमें पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकार संगठनों, शिक्षकों, शिक्षा विदो, स्वयं सेवकों, महिला संगठनों, कलाकारों आदि को शामिल करके गुणवत्त में सुधार एवं अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6–11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु

ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उद्देश्यों तथा विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई। इस जनपद में सर्व प्रथम 2000–2001 में ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बन्धित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/ऑकड़ो का विश्लेषण करके समस्याओं/आवश्यकताओं की पहचान की गई। सूक्ष्म नियोजन के प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नलिखित सूचनाएं एकत्रित की गई हैं–

1. ग्राम 6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या।
2. विद्यालय में पढ़ने वालों की संख्या।
3. विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या।
4. शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय।
5. यदि ग्राम में विद्यालय नहीं है तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
6. यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
7. क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त है?
8. यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्रामवासियों के क्या सुझाव हैं?
9. क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र–अध्यापक अनुपात क्या है?
10. क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं?

11. शिक्षण कार्य की पेंपज/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के लिए निम्न कार्य ग्रामवासियों के सहयोग से किये गये।

1. परिवार सर्वेक्षण।
2. स्कूल का मानचित्रण/शैक्षिक मानचित्र।
3. सूचनाओं का विश्लेषण।
4. ग्राम शिक्षा योजनाओं का निर्माण।

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शैक्षिक योजना निर्माण की तैयारी :

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक युवतियों शिक्षक शिक्षकाओं की एक सभा बुलाकर गॉव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गयी। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गॉव के समसत परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया। इसके पश्चात् शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गॉव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मान चित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गॉव की उत्तम व्यवस्था हेतु ग्राम शिक्षा योजना बनायी गयी।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गयी।

1. बस्ती को पूरी जनसंख्या।
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री–पुरूष की जनसंख्या

4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुये परिवारों/बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से अगले वर्षों में भी उपरोक्त प्रक्रिया दोहरायी जायेगी। ताकि वस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध करायीं जायेगी।

माईकोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की जायेगी उन्हें ग्राम स्तर पर ही विद्यालय में रखा जायेगा तथा उनका उपयोग गॉव स्तर पर ही किया जायेगा।

माईकोप्लांनिंग से प्राप्त परिवारवार/बस्तीवार ऑकड़ों को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकास खण्ड वार संकलित किया जायेगा। 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6–11 तथा 11–14 वय वर्ग के समूहों में आंकलित की जायेगी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक–पृथक ज्ञात की गयी है। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की

संख्या भी आंकलित की गई जो कामकाजी हैं, पैतृक व्यवसाय में माता–पिता की सहायता करते हैं अथवा सड़क छाप बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त ऑकड़ो के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारन्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्वशिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आंकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय को सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घ कालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2002–2003 क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायेगा। इसके द्वारा प्राप्त ऑकड़ो/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2003–2004 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायेगा।

जहाँ तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आंकड़ो का सम्बन्ध है। इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों (प्री प्रोजेक्ट एक्टीविटीज) के अर्न्तगत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ो का सारिणीयन व संकलन किया जायेगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2003–2004 के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायेगा।

स्कूल चलो अभियान

जनपद में डी0पी0ई0पी0 के तहत जुलाई –अगस्त 2000 में व्यापक रूप से स्कूल चलो अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप जनपद में नामांकन की स्थिति में आतातीत सफलता मिली। इसी सफलता से प्रोत्साहित होकर पुनः द्वितीय वर्ष में जनपद में जुलाई 2001 में बालक–बालिकाओं के नामांकन वृद्धि को बढ़ाने व ड्राप आउट समाप्त करने के उद्देश्य से 2002–2003 में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। जिसके कारण शैक्षिक वर्ष 2002–2003 में बालक–बालिकाओं के नामांकन में आशानुकूल वृद्धि हुई है उसके फलस्वरूप जो वातावरण सृजित हुआ है उसका लाभ सर्व शिक्षा अभियान में उठाया जायेगा। स्कूल चलो अभियान का विवरण नीचे दिया गया है। वर्ष 2003–2004 में भी स्कूल चलो अभियान चलाया गया, जिसके फलस्वरूप आशा से कहीं अधिक स्कूल न जाने वाले बालक/बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालयों में चिन्हित कर प्रवेश दिलाया गया।

स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के तहत व्यापक प्रचार किया गया। जिले में शत प्रतिशत नामांकन कराने का शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन ने संकल्प लिया। प्रथम चरण 01–07–2003 से 09–07–2003 तक आयोजित किया गया।

दिनांक 28.6.2003 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षकण परियोजना अधिकारी जिला समन्वयक (डी0पी0ई0पी0) सहित बैठक आयोजित की गई और स्कूल चलो अभियान को रूप रेखा तैयार की गई। दिनांक 30.6. 2003 को जिला अधिकारी की अध्यक्षता में अभियान को समीक्षा बैठक

आयोजित की गई एवं कोर ग्रुप का गठन किया गया। उक्त बैठक में स्कूल चलो अभियान के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये–

1. जनपद के समस्त विकास खण्ड मुख्यालयों पर स्कूल चलो अभियान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये।
2. जनपद के 80 न्याय पंचायत पर स्कूल चलो अभियान चलाने के लिए समन्वयक न्याय पंचायत को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।
3. जनपद की 503 ग्राम पंचायतों पर स्कूल चलो अभियान के लिए ग्राम पंचायत पर वरिष्ठ प्रधानाध्यापक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

यह निर्देश भी दिये भी दिये गये थे कि शिक्षा विभाग एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र का भ्रमण कर स्कूल चलो अभियान सफल बनायेंगे। इसके साथ–साथ जिला विकास अधिकारी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, सचिव साक्षरता समिति, जिला सूचना अधिकारी, तहसीलदार क्षेत्र का भ्रमण कर अभियान को सफल बनायेंगे।

जुलाई 2003 में स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी के समस्त विकास खण्डो में विशाल रैलियों का आयोजन किया गया जिसमें समस्त बच्चों, अध्यापकों, गणमान्य व्यक्तियों, समाज सेवी संस्थाओं, पत्रकार बन्धुओं, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी आदि ने भाग लिया। अभियान को सफल बनाने हेतु निर्वाचित ग्राम प्रधान/वी0डी0सी0 सदस्यों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों को स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने में सक्रिय योगदान देने हेतु उनका आवाहन किया।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत विद्यालय स्तर कैम्प लगाये गये एवं अभिभावको से सम्पर्क कर बच्चों को प्राथमिक विद्यालय/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित करनो हेतु प्रोत्साहित किया गया। स्कूल चलो अभियान की उपलब्धियाँ निम्न सारणी में दी गयी है–

स्कूल चलो अभियान की उपलब्धि – प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय

सर्वेक्षण अभियान के अन्तर्गत स्कूल न जाने वाले चिन्हित बच्चों की संख्या	चिन्हित बच्चों में से स्कूल में पंजीकृत बच्चें की संख्या	अवशेष बच्चों की संख्या जो स्कूल जाना प्रारम्भ नहीं किये हैं।
37799	33515	4284

मैनपुरी जनपद में सर्वशिक्षा अभियान की परियोजना

तैयार करने हेतु निम्निांकित प्रयास किये गये।

- नियोजन टीम का गठन किसी भी कार्य को आरम्भ करने के लिए किसी न किसी स्तर पर कोई पहल करता है। इतने बड़े सार्थक उद्देश्य (सर्व शिक्षा अभियान) के लिए 6 सदस्यीय नियोजन टीम का गठन किया गया।
- बस्ती/ग्राम स्तर पर विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठके की गई। सर्व शिक्षा अभियान को आरम्भ करने से पूर्व समुदाय की शिक्षा के प्रति क्या सोच है। उसको शिक्षा से क्या–क्या अपेक्षायें हैं तथा वह किस प्रकार से सहयोग कर सकता है। इन विषयों पर समुदाय की राय जानना अति आवश्यक है। बिना इसके यह शिक्षा सर्व शिक्षा हो ही नहीं सकती। एफ0जी0डी0 प्रक्रिया से उन क्षेत्र विशेष की समस्याओं को ध्यान रखकर सर्वशिक्षा का पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया जा सके। समाज में कुछ व्यक्ति होते हैं जो इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिनको कार्यक्रम चलाने पर संदर्भ

व्यक्ति सोशल एक्टिीविस्ट के रूप में सहयोग ले सकते हैं। सन्दर्भ व्यक्तियों की पहचान, स्वयं सेवी संस्थाओं की पहचान, पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की सोच, उनके सहयोग आदि की जानकारी एफ0जी0डी0 से ही हो सकेगी। यह कार्य एक उत्तम कोटि का पर्सपेक्टिव प्लान बनाने में सहायक सिद्ध हुआ।

- परियोजना पूर्व गतिविधियों के अन्तर्गत जिले में एफ0जी0डी0 टीम का गठन किया गया। उनमें वे अधिकारी/कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने प्लान बनाने के लिए सीधे इलाहाबाद के तत्वावधान में आयोजित कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया है। इसके अतिरिक्त डी0पी0ई0पी0 के जिला समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक वी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि, तमाम विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों तथा उन प्रतिनिधियों से सहयोग मिला। एफ0जी0डी0 के निष्कर्षों से प्लान को आवश्यकता आधारित (नीड वेस्ड) प्लान बनाने में सहायता मिली।
- प्री प्रोजेक्ट गतिविधियों के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में प्रधान पंचायत सदस्य, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक यह संदेश एन0पी0आर0सी0 के द्वारा गया। ग्राम शिक्षा समितियों को यह अवगत कराया गया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से समुदायिक की सहभागिता पर निर्भर करता है। इसकी योजना एफ0जी0डी0 के जरिये समाज की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर सूक्षम नियोजन के आधार पर निर्मित की जायेगी।

- योजना के निर्माण के पश्चात इसका क्रियान्वयन भी समाज के तबके के सहयोग से होगा। विशेष कर ग्राम पंचायतों को इसमें नियोजन/प्रबन्धन सम्बन्धी पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारी होंगे। अनुश्रवण और मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यों में भी उनकी भागीदारी होगी। स्वयं सेवी स्वेच्छिक संस्थाओं की सशक्त भागीदारी होगी ताकि वास्तविक अर्थों में यह जनता का अभियान बन सकें।
- शैक्षिक नियोजन विभिन्न स्तर के होते हैं जैसे राष्ट्रीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय तथा अन्य स्तरीय नियोजन। यहाँ पूर जनपद विशेष में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ग्रास रूट प्लानिंग के बाद जनपद स्तर पर नियोजन का स्वरूप निर्धारित किया गया।

जनपद स्तर पर नियोजन

जनपद में डी0पी0ई0पी0 विगत डेढ़ वर्षों से संचालित है। उसी के वृहद स्वरूप में सर्वशिक्षा अभियान संचालित किया जाना है। जिन विकास एजेन्सीज से हमें डी0पी0ई0पी0 में सहयोग मिला है और जो विभाग मानव संसाधनों का सृजन करते हैं उन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें की गई।

जिला पंचायत अध्यक्ष व जिला बेसिक शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ, माननीय सांसदों व विधायकों/उनके प्रतिनिधियों, ब्लाक प्रमुखों/क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षक संगठनों, अभिभावकों, विशिष्ट समूहों से विचार विमर्श किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में समुदाय के सदस्यों से तथा स्वयं सेवी संगठनों से विचार–विमर्श किया गया।

नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु आयोजित बैठकों/कार्यवाही का विवरण

क्र0	दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक में उभरे बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण तथा प्राप्त सुझाव
1	7.11.01/ 8.11.01	सीमेट-इलाहाबाद	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) डायट से दो प्रवक्ता	सर्व शिक्षा अभियान हेतु परिप्रेक्षित्व प्लान, वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट निर्माण हेतु दो दिवसीय बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें बजट निर्माण हेतु कार्यविधि तथा उसके लिए आवश्यक विभिन्न गानकों से प्रतिभागी सदस्यों को प्रशिक्षित कर परिचित कराया गया।
2	12.11.01	जिला पंचायत भवन मैनपुरी	जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहा0 बेसिक शिक्षा अधिकारी गण, वर्तमान विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों/ सांसदों के प्रतिनिधि, ब्लाक प्रमुख आदि	जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृति के दौरान सभी उपस्थिति प्रतिभागियों के समक्ष सर्वशिक्षा अभियान से सम्बन्धित लक्ष्य एवं उद्देश्यों को रखकर वार्ता हुयी जिसमें निम्नलिखित सुझाव उभर कर आये– 1. प्रति कक्षा वार अध्यापकों की व्यवस्था की जाये तथा योग्य वे कर्मठ अध्यापकों, गरीब मेधावी छात्रों के लिए पुरस्कारों की व्यवस्था की जाये। 2. शाला त्यागी बच्चों का लेखाजोखा रख कर निश्चित मासिक समीक्षा की जाये तथा विशेष अभियन चलाकर उन्हें विद्यालय में पुनः प्रवेश दिलाया जाये। 3. सर्वे कराकर प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकतानुसार और स्थापना की जाये। 4. पिछड़े, दूरस्थ तथा अपवंचित क्षेत्रों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जाये। 5. जाति भेद /लिंग भेद की समानता हेतु सभी जातियों के बालक/बालिकाओं शासन की समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें।
3.	20.11.01	जिला बेसिक शिक्षा - अधिकारी कार्यालय, मैनपुरी	डी0पी0ई0पी0 के समस्त जिला समन्वयक, डायट प्रवक्ता, ब्लाक/न्याय पंचायत समन्वयक, सह समन्वयक, प्रधानाध्यापक/ सहायक अध्यापक आदि	बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के फोकस बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया। प्रतिभागियों में अपने विचार व सुझाव इस प्रकार रखो – 1. विद्यालयों में गुणवत्ता परख व व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाये। 2. विद्यालयों में शैक्षिक सुविधाएं जैसे– कुर्सी, मेज, टाट पट्टी, रंगीन चटाईयां तथा अध्ययन सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायी जाये। 3. विद्यालय न जाने वाले बच्चों को

				अभिभवकों को शिक्षा के महत्व व लाभ को बताकर शैक्षिक, सामाजिक व अर्थिक गतिविधियों के द्वारा उन्हें गतिशील बनाया जाये। 4. जनप्रतिनिधियेां, ग्राम प्रधानों एवं अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लायी जाये तथा आवश्यकतानुसार उनसे सहयोग की भी अपेक्षा की जाये। 5. 40:1 कि अनुपात मे अध्यापकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा अध्यापकों के आभाव को देखते हुए पैरा टीचर्स की व्यवस्था की जाये। 6. जनमानस की इस विचार धारा को बदलने का प्रयास करना चाहिए कि "लड़कियां दूर घर के लिए हैं तथा उन्हें नौकरी की क्या आवश्यकता है?" इसके लिए रैलियों, गोषिठयों व जन संचार के माध्यम से समाज में एक नई सोच विकसित करना चाहिए।
4.	21.11.01	जिला/विशेषज्ञ बेसिक शिक्ष अधिकारी कार्यालय, मैनपुरी	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी गण एवं अन्य	1. शिक्षकों में वर्तमान समय के सापेक्ष ज्ञान एवं प्रशिक्षण की नई विधियों से परिचय कराने के लिए विभिन्न स्तरीय प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाये। 2. निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाये तथा जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, अभिभावकों में स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाये। 3. जनपद में ईट भट्टे, कृषि कार्यों में आलू, लहसुन व धान की खेती व्यापक रूप से होती है और अभिभावक अपने बच्चों को इन कार्यों में लगा लेते हैं। इसके लिए ऐसी बस्तियों का सर्वे कराकर बैक टू स्कूल, ब्रिज कोर्स वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र मकतब मदरसे आदि के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां संचालित की जायें। 4. शैक्षिक गुणवत्ता के लिए यह अपेक्षित है कि अध्यापकों पर अनावश्यक कार्य न कराया जाये। 5. डायट में स्टाफ की कमी से शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित होती है। अतः सम्पूर्ण स्टाफ की न्युक्ति की जाय।
5	21.11.01	ब्लाक मुख्यालय जनपद, मैनपुरी	ब्लाक समन्यक /सहसमन्वयक/ न्याय पंचायत	1. समाज में महिलाओं को समान दर्जा देने के लिए यह आवश्यक है कि प्राथमिकता के आधार पर किसी भेद–भाव के उनकी

			समन्वयक, ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक तथा क्षेत्र के सम्मानित नागरिक	शिक्षा पर अधिक बल दिया जायें। 2. सामुदायिक जनजागरण के द्वारा ग्राम स्तरीय जागरूकता उत्पन्न की जाये। 3. विद्यालयों में नीरस वातावरण को सरस करने के लिए विभिन्न पाठ्य सहगामी छात्र सहभागिता आधारित कार्यक्रम चलाये जायें। 4. विद्यालय की भौतिक साज सज्जा, टी0एल0एम0 आदि के लिए समय से धनराशि उपलब्ध करायी जाये।
6	22.11.01	न्याय पंचायत मुख्यालय जनपद मैनपुरी	न्याय पंचायत समन्वयक, ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक /सहा0 अध्यापक व क्षेत्रीय नागरिक	1. विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था हो। 2. बाल श्रमिकों के लिए अपेक्षित है कि उनके माता पिताओं में शिक्षा के महत्व को समझाकर जागरूकता पैदा की जाये। 3. प्रायः देखा जाता है कि दूरस्थ विद्यालयों में अध्यापकों का नियमित ठहराव अत्यन्त खराब है जिससे शिक्षण कार्य बाधित होता हो। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालयों एवं अध्यापकों का नियमित निरीक्षण एवं मूल्यांकन हो।
7	30.11.01 क्षेत्र	ग्राम जनौरा विकास खण्ड बेवर	जिलाधिकारी, मुख्यविकास अधिकारी, जिलाबेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारी गण जनपद मैनपुरी	जनपदीय समीक्षा बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जनपद में क्रियान्वित किये जाने वाले सर्वशिक्षा अभियान से सम्बिन्धित फोकस बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। बैठक में कुछ सुझाव उभर कर आये– 1. जेन्डर व कास्ट उपभेदों के बीच असमानता दूर कर जाति के बालक बालिकाओं को विशेष अभियान चलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का सार्थक प्रयास करना चाहिए। 2. विद्यालयों में व्यवहारिक एवं गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए डायट, जिला एवं प्रदेष स्तरीय विभिन्न प्रशिक्षण आयोजिता कर जनपद की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाये तथा विशिश्ट क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया जाये। 3. अध्यापकों की कमी को देखते हुए पैरा टीचर्स आदि की व्यवस्था हो। 4. शालात्यागी बच्चों के अध्यापकों को शिक्षा के लाभ को समझाकर उन्हें शैक्षिक व सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उन्हें गतिशील बनाया जाये तथा

			आवश्यकतानुसार जनप्रतिनिधियों/एन0जी0ओ0 का भी सहयोग लिया जाये। 5. बलिका शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण की धुरी है– की आवधारणा को सार्थक करने के लिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना चाहिए। 6. असेवित बस्तियों में आवश्यकतानुसार नवीन विद्यालयों, शिशु शिक्षा केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र मकतब मदरसे आदि की व्यवस्था के भी प्रयास किये जाने चाहिए। 7. विद्यालयों के शैक्षिक वातावरण को आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों का भी प्लान में प्रावधान किया जाये। 8. शासन द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाओं का लाभ सभी वर्गों के बच्चों को मिलना चाहिए ताकि लिंग/समाज भेद को समाप्त किया जा सके।
8	1.12.01	जिला/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी। कार्यालय मैनपुरी	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी	1. यह आवश्यक है कि बिना किसी भेद भावों के बालिका शिक्षा पर अधिक से अधिक बल दिया जाय तथा उनके ठहराव व नामांकन वृद्धि हेतु विशेष कार्यक्रम चलाये जायें। 2. शिक्षा के प्रति अभिभावकों को जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाकर शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकताओं पर बल दिया जाये जिससे बच्चों को विद्यालय भेजने की प्रवर्ती उत्पन्न हो। 3. अभिभावक शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए बच्चों का प्रवेश तो करा देते हैं लेकिन बच्चों को शिक्षा के प्रति उनमें रूचि कम रहती है इसके लिए अभिभावक, अध्यापक एवं बच्चों में समजस्य स्थापित होना चाहिए। 4. समाज में अपवंचित बच्चों के लिए समेकित शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किये जायें। 5. विद्यालयों का शैक्षिक वातावरण प्रभावी बनाया जाये।
9	3.12.2001	जनौरा विकास खण्ड बेवर (सांयकाल)	चकबन्दी आयुक्त उ0 प्रदेश शासन जिलाधिकारी, मुख्य	बलिकाओं के ठहराव पर विचार विमर्श किया गया तथा महिला प्रकोष्ठ का पण्डाल लगाकर मीकैम्पेन तथा बलिका शिक्षा पर

			विकास अधिकारी, अपर जिला धिकारी, परियोजना निदेशक, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी सहायक बेसिक शिक्षा जिला समन्वयक डी0पी0ई0पी0, ब्लाक/न्याय पंचायत समन्वयक ब्लाक प्रमुख, ग्राम प्रधान	स्कूली बालिकाओं द्वारा नाटक प्रदर्शन किया गया । विद्यालय छोड़ चुकी बालिकाओं की माता अभिभावकों से सम्पर्क एवं वार्ता कर आयुक्त महोदय द्वारा बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रेरक भाषण द्वारा बालक द्वारा स्वयं अपना जबकि बालिका द्वारा दो परिवारों का सुधार किये जाने पर बल दिया उन्होंने खास तौर से दलित, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जाति की बालिकाओं को पुरानी मान्यतायें छाड़कर शिक्षा ग्रहण करने प्रतिनिधित्व करते हुए आश्वस्त किया कि परिवार और समाज का सुधार करने हेतु हम अपनी बालिकाओं को आवश्यक रूप से पढ़ायेंगे तथा देश की उन्नति में सहायता करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बालिका शिक्षा पर विशेष बल देते हुए खास तौर से महिलाओं से अनुरोध किया कि बालिकाओं को विद्यालय अवश्य भेजें तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों से जोड़ें जहां छोटे बच्चों को खास सुविधायें दी जाती हैं।
10	7/8.12.01	सीमीट–इलाहाबाद	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला समन्वयक प्रशिक्षण/वैकल्पिक शिक्षा–2 ब्लाक समन्वयक तथा डायट से दो प्रवक्ता	जिसे स्तर पर तैयार किये गये पर्सपैक्टिव प्लान एवं बजट का प्रस्तुतिकरण किया गया जिसमें सीमेट के विज्ञजनों द्वारा जॉचोपरान्त दिये गये सुझावों के आधार पर आवश्यक संसोधन का अन्तिम रूप प्रदान किया गया। यह प्लान अब 15.12.2001 को पुनः जांचोपरान्त अन्तिम रूप से जमा किया जायेगा।
11	12.12.2001	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र जवापुर स्थान पू0 मा0 विद्यालय कुसमरा	अध्यक्ष नगर पंचायत कुसमरा श्रीमती सुदेशा देवी न्याय पंचायत की समस्त अध्यापिकायें, महिला सभासद एवं महिला न्याय पंचायत समन्वयक	बालिकाओं का शतप्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कराने हेतु यह आवश्यक है कि महिलायें जागरूक हों। महिलाओं का ड्रप आउट न हो, इसके लिए महिलाओं द्वारा जनजागरण अभियान चालया जाये क्योंकि पढ़ीलिखी लड़की घर और समाज के विकास का मुख्य आधार होती है। दलित वर्ग की बालिकाओं के नामांकन व ठहराव पर भी विशेष बल दिया गया।

विभिन्न स्तरीय बैठकों से प्राप्त सुझावों का सारणीयन –

- परम्परागत तथा क्षेत्रीय रूढ़वादिताओं को समाप्त करने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करके बालक बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना।
- असेवित बस्तियों में क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन विद्यालयों, शिशु शिक्षा केन्द्र, मकतब मदरसे आदि की व्यवस्था प्रावधानित करना।
- बालिकाओं एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले (विकलांग) बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विभिन्न प्रयासों की व्यवस्था करना।
- विद्यालयों में गुणवत्ता परक एवं व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये व्यवस्था करना।
- विद्यालयों का शैक्षिक परिवेश आकर्षक एवं प्रभावी बनाना ताकि पब्लिक स्कूलों से प्रतिस्पर्धा की जा सके।
- अध्यापकों का विद्यालयों में ठहराव सुनिश्चित किया जाये तथा समय–समय पर उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन भी किया जाये ताकि प्राप्त परिणामों के आधार पर उनके लिये बहुआयामी प्रशिक्षणों का आयोजन हो सके।
- जन सहभागिता हेतु ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों तथा स्वयं सेवी संगठनों का भी सहयोग लेने की आवश्यकता है।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास व उन्नपन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है –

1- आई0 सी0 डी0 एस0 के साथ सामन्वय

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी एन0जी0ओ0 आदि को सम्मिलत कर जिला सन्दर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।

1. आंगनबाडी केन्द्रों का समय स्कूल के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2. आंगनबाडी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3. आंगनबाडी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4. केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5. केन्द्र के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपालिक ढंग से अतिरिक्त भान देय दिया जाता है।

2– स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कनके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा जिससे चिन्हित रोगों छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समूचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य कार्ड का रख रखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवायें ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

3– समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु0 जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु, क्रमशः 300/– व 480/– छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

4– ग्राम पंचायतों से समन्वय

सेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्ध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निमार्ण कर संचालित किया जाता है। ग्राम शिक्षा समितियों के गठन से विद्यालय एवं सेवित क्षेत्र की माईक्रोप्लानिंग के जरिये आवश्यकताओं की खोज और उनकी पूर्ति का प्रयास किया जाता है।

5– खाद्य एवं आपूर्ती विभाग समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ती विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80 प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

6– विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं को उपकरण (ट्राय साइकिल वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विगलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/संयत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

7– उ0 प्र0 जल निगम/यू0पी0 एग्रो से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

8– युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की क्रीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

9– पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/– प्रति छात्र प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेष एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

10– जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी0आर0डी0ए0) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40 प्रतिशत धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60 प्रतिशत धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कनवरजेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

अध्याय –4

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देष्य :

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15 दशम् पंचवर्षीय योजना में अंश दान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्न लिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं –

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्व कर लेना।
- वर्ष 2007 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।

- बालक–बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य प्राथमिक स्तर एवं वर्ष 2007 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2007 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिए भी मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिये विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये है, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य :

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्सन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना –2001 से प्रदेश की जनपद वार जनसंख्या के आकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना–1991 की जनसंख्या के आंकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षों में जनपद की जनसंख्या में हुयी वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल मे वर्णित कम्पाउण्ड रेट ऑफ ग्रोथ मैथेड से जनपद की वार्षिक वृद्धि 2.0 प्रतिशत है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2007 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी0ई0आर0 को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित इनरोलमैन्ट से 2002 तक जी0ई0आर0 प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिए प्रक्षेपित जी0ई0आर0 तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6–11) के लिये वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11–14) के लिये वर्ष 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है चूंकि कुल नामांकन में कुछ ओवर एज तथा अण्डर एज बच्चे भी होंगे। अतः जी0ई0आर0 का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है

कि प्राथमिक स्तर पर 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी0ई0आर0 में वृद्धि कम होगी क्योंकि जितने बच्चे 6–11 वर्ष व 11–14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेंगे।

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य जनपद – मैनपुरी

वर्ष	6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी0ई0आर0
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2002–03	129858	127052	256910	122191	119798	241989	94
2003–04	132455	129593	262048	127079	124590	251669	96
2004–05	135105	132185	267290	132162	129574	261736	98
2005–06	137806	134828	272634	138770	136052	274822	101
2006–07	140562	137525	278087	145708	142855	288563	103

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य जनपद, मैनपुरी

वर्ष	11–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी0ई0आर0
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2002–03	39080	38218	77298	28171	27507	55678	72
2003–04	39861	38482	78843	31551	30808	62359	79
2004–05	40659	39762	80421	35022	34197	62219	86
2005–06	41472	40557	82029	38524	37617	76141	92
2006–07	42301	41368	83669	42376	41378	83754	100

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2007 तक लक्ष्य प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तदनुसार प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर	उच्च प्रा0 स्तर पर ड्राप आउट की दर
2002–03	33	18
2003–04	24	15
2004–05	14	11
2005–06	07	8
2006–07	00	0

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में ड्राप आउट के सम्बन्ध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक–पृथक कोहार्ट स्टडी करायी जायेगी।

अध्याय–5

समस्याएं एवं रणनीति

जनपद में विभिन्न स्तरों पर कराये गये फोकस ग्रुप डिसकसन से प्राप्त विचारों के विश्लेषणोंपरान्त उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष व्यावहारिक एवं रान्तुलित रणनीति वनायी गयी है। इसमें छात्र नामांकन के अनुसार अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति, नये भवनों का निर्माण, जीर्ण शीर्ण भवनों की मरम्मत, हैण्डपम्प एवं शौचालयों का निर्माण, विद्यालयों का सौन्दरीकरण एवं विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण का निम्नवत प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी स्कूलों के बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनके ठहराव पर विशेष वल दिया जावेगा।

1 आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन।

बच्चों एवं उनके अभिभावकों की सोच में परिवर्तन लेने हेतु जन चेतना के सभी प्रयास किये जायेंगे। इस कार्य में महिला मंगल दल, महिला समाख्या बाल विकास परियोजना की कार्यकत्री, (ऐ0एन0एम0) कलाजत्था, जनसम्पर्क, ग्राम शिक्षा समितियों की सहभागिता आदि के सहयोग से अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की जावेगी।

2– शिक्षा की उपादेयता

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को जोड़ा जावेगा जिससे छात्रों में स्वावलम्बन एवं करके सीखने की आदत का विकास हो एवं आर्थिक पिछड़ा पन दूर हो सके। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, फल संरक्षण, स्थानीय ड्राप आदि सिखाने का

प्रबन्ध किया जावेगा। सिलाई शिक्षा के लिए मशीनों की व्यवस्था प्रस्तावित है। कढ़ाई एवं बुनाई की शिक्षा परम्परागत ढंग से न कराकर निटिंग मशीनों की सहायता से करायी जानी प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु उक्त परियोजना में उपलब्ध निटिंग मशीनों की मरम्मत एवं रख–रखाव विद्यालय अनुदान से करया जावेगा।

3– असेवित एवं मलिन बस्तियों में विद्यालय सुविधा का न होना :

1.5 किमी0 तथा 300 की आबादी वाले ग्रामों/बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जावेगी तथा 6–8 वर्ष के 30 बच्चों पर 1 किमी0 विद्यालय से दूर के मानक पर ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जावेंगे तथा 9–14 वय वर्ग के बच्चों हेतु ए0आई0ई0 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

4– भौगोलिक कठिनाई

भौगोलिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से मानकानुसार शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा केन्द्रों के खोले जाने तथा कालान्तर में मुख्य धारा से जोड़ा जावेगा।

5– विद्यालय में भौतिक संसाधनों का आभाव

जनपद के अधिकांश विद्यालयों में मूलभूत भौतिक सुविधाओं का भी आभाव है। पॉच कक्षाओं के लिए अधिकांशतः विद्यालयों में दो कक्ष ही निर्मित हैं। छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जावेगा जिन विद्यालयों में स्वच्छ पेय जल, शौचालय एवं चहारदिवारी नहीं है वहां इनका निर्माण प्रस्तावित किया गया है।

6– बच्चों की व्यक्तिगत रूचि में कमी :

बच्चों को विद्यालय बोझ न लगे–इस हेतु रूचिपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जावेगा जैसे -- खेल द्वारा शिक्षा, क्रियाशील एवं बाल आधारित

पाठ्यक्रम का निर्माण करना, समय विभाजन चक्र को अधिक उपयोगी व सार्थक बनाकर बच्चों में रूचि उत्पन्न करना, सांस्कृतिक एवं कलात्मक क्रियाकलापों व क्षेत्र भ्रमण आदि को समाविष्ट किया जायेगा।

7– शिक्षक की कुशलता एवं व्यक्तित्व में ह्रास :

शिक्षक का व्यवहार मृदु हो। शिक्षक की छवि/छात्रा के मस्तिष्क में सकारात्मक, गुणवत्तापरक एवं विशिश्ट प्रभावकारी हो। शिक्षकों के व्यवहार में परिवर्तन हेतु मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जायेगा।

8– विद्यालय की छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापकों में कमी :

ग्राम शिक्षा समिति का सहायोग प्राप्त कर शिक्षण व्यवस्था सुचारू की जाय। 40.1 के अनुपात पर अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में विषय अध्यापक की नियुक्ति की जायेगी। कक्षा 1 से 8 तक का समय विभाजन चक्र होगा।

9– अध्यापकों से शिक्षण के साथ अन्य कार्यों का निष्पादन कराया जाना :

किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही अध्यापकों से राष्ट्रीय महत्व के कार्य कराये जायें। जिससे उनके शैक्षणिक कार्य में व्यवधान न उत्पन्न हो तथा छात्र प्रत्येक दिन विद्यालय में आकर अपने कार्य को उपेक्षित महसूस न करें। अध्यापक को पठन पाठन के लिए पूर्ण उत्तरदायी बनाया जाये।

10– विद्यालयों का भौतिक वातावरण आकर्षक न होना :

बच्चों को समूह में बैठाकर शिक्षण कार्य कराने तथा समूह चर्चा हेतु विद्यालय अनुदान में 6×6 की प्लास्टिक की चटाई आवश्यकता अनुसार क्रय की जायेगी। सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण बच्चों की सहायता से किया जायेगा जो पाठ के अनुरूप होगी। इससे करके सीखने की क्षमता का विकास होगा। प्रत्येक कक्षा के लिए खेल–कूद का सामान निर्धारित होगा।

11– गरीबी के कारण छात्रों के पास पाठ्यपुस्तकों का न होना :

गरीबी के कारण अधिकांश अभिभावक अपने पाल्यों के लिए पुस्तकों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं इसके लिए इस अभियान में कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्रों को पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित हैं।

12– अध्यापक एवं छात्रों का अनुपात मानक के अनुरूप न होना :

40:1 के मानके के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है तथा प्राथमिक स्तर पर कम से कम दो अध्यापक प्रस्तावित हैं। पूर्व म0 वि0 में विषय अध्यापकों की कमी के फलस्वरूप गणित, विज्ञान एवं संस्कृत/उर्दू की शिक्षा में व्यवधान हो रहा है। बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्यापकों का आभाव है। गुणवत्ता में वृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार अध्यापकों की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

13– अध्यापक का विद्यालय में कम ठहराव :

अध्यापक सूचनाओं के संकलन में अधिक समय नष्ट न करें इसके लिए विभागीय सूचनाएं विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटरीकृत की जायेंगी। इससे अध्यापकों का बार–बार सूचनाएं बनाने एवं उसे पहुँचाने में लगने वाल समय एवं श्रम कम होगा तथा विद्यालय में ठहराव बना रहेगा।

14– अध्यापक अभिभावकों एवं छात्रों में सामंजस्य न हो :

अभिभावकों का निरन्तर अध्यापक से सम्पर्क बना रहे इस हेतु त्रयमासिक अभिभावक सम्मेलन कराया जायेगा। जिसमें अधिकतर महिलाओं/विशेष कर अपवंचित/उपेक्षित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करायी जायेगी जिसमें शिक्षा समिति का विशेष योगदान रहेगा।

15– सतत् मूल्यांकन का आभाव :

कोटि परक शिक्षा के लिए सतत् एवं प्रभावी मूल्यांकन अति महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन मासिक त्रैमासिक, अद्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के रूप में कराया जायेगा। मूल्यांकन के पंचायत कमजोर छात्रों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर निदानात्मक व्यवस्था की जायेगी। प्रतिस्पर्द्धा को विकसित करने के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को ग्राम शिक्षा समिति एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुरस्कृत करया जायेगा।

16– शैक्षिक निरीक्षण /पर्यवेक्षण की कमी :

एन0पी0आर0सी0 एवं बी0आर0सी0 के समन्वयक, प्रति उप वि0 निरीक्षक /स0वे0 शिक्षा अधिकारी एवं डायट अभिकर्मी एवं शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रभावी प्रशिक्षण, निरीक्षण पर्यवेक्षण किया जायेगा। निम्न श्रेणी के विद्यालयों को उच्च श्रेणी में लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये जायेंगे।

17– सक्रिय समाजिक सहभागिता का अभाव :

अभिभावकों /ग्रामवासियों में यह सोच विकसित हो कि यह विद्यालय हमारा है। विद्यालय में अच्छी पढ़ाई से ही हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जायेगा। अध्यापकों के आभाव मं गॉव के पढ़े लिखे लोगों की मदद ली जायेगी। उन्हें व्यवस्था देखने एवं गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु विद्यालय में आमंत्रित किया जायेगा।

18– विशेष आवश्यकता वाले अथवा विकलांग बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था :

विकलांग बच्चों को मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ए0डी0पी0आई0 के बच्चों को उपकरण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजना

सुनिश्चित किया जायेगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति अध्यापक को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जायेगा।

19– बाल श्रमिक तथा अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव :

6–14 वय वर्ग के बच्चों तथा उनके अभिभावकों को शिक्षा के महत्व को जानकारी देकर शिक्षा के प्रति जागरूक बनाया जायेगा, जिससे बच्चा व्यवसाय मं न जाकर विद्यालय में प्रवेश ले तथा शिक्षा पूर्ण करें। श्रम विभाग के द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि की जानकारी प्राप्त कर उनको प्रोत्साहन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराकर बच्चों को मुख्य धारा से उनकी योग्यता को परिक्षणोपरान्त जोड़ा जायेगा।

अध्याय –6

नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना :

यह तथ्य सर्वविदित है कि 6–11 वय वर्ग के बालक छोटे होने के कारण दूर के विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं तथा यदि अभियानों के माध्यम से प्रवेश करा भी दिया जाये तो प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाते। कलान्तर में विद्यालय छोड़कर घर बैठ जाते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा प्रति 1.5 किमी0 पर एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत विगत दो वर्ष मं 72 प्रा0 विद्यालय तथा जिला योजना द्वारा 9 पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं फिर भी वांछित संख्या में विद्यालय स्थापित नहीं हो पाये हैं।सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जनपद मैनपुरी में सूक्ष्म नियोजन के आंकड़ो द्वारा असेवित बस्तियों को चिहिन्त किया गया है तथा उनमें विद्यालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है।

जनपद मैनपुरी में कुल बस्तियों की संख्या 2112 है जिनमें 121 बस्तियाँ ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या 300 या इससे अधिक है और जिनकी 1.5 किमी0 की परिधि के भीतर कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। सर्व शिक्षा के अभियानान्तर्गत इन बस्तियों को सेवित करने की दृष्टि से देखा जाये तो 88 विद्यालय और खोले जाने पर 300 की आबादी वाली असेवित बस्तियों में भी विद्यालयी सुविधा प्राप्त हो सकेगी। एस0एस0ए0 में 66 न. प्रा0 विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है।

सभी नवीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुदृढ और गुणवत्तापरक हो सके इसके लिए प्रस्तावित विद्यालय भवनों में शौचालय, पेयजल, चहारदीवारी, शिक्षण सामग्री उपकरण, उपस्कर एवं शिक्षकों की आवश्यकता होगी जिनकी व्यवस्था का भी प्रस्ताव किया गया है।

विद्यालय साज--सज्जा :

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपभोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इस धनराशि से निम्न सामग्री को क्रय किया जायेगा– मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, गिलास, टाट पट्टी, अलमारी, सन्दूक, श्यामपट, कूड़ादान, वाद्ययंत्र (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, वॉसुरी आदि) क्रीडा सामग्री (फुटबाल, वालीबाल, हवा भरने का पम्प, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सी आदि) कक्षा कक्ष की शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब शब्दकोश, ज्ञानकोश, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि) उपरोक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

वर्षवार नवीन खुलने वाले परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
प्राथमिक	22	44	00	00	00	00
उच्च प्राथमिक	25	25	20	19	00	00

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना :

जनपद मैनपुरी के ग्रामीण विकास खण्डों में उच्च प्राथिमिक विद्यालयों का अभाव है यद्यपि नगर क्षेत्र में 11–14 वय वर्ग के बच्चों को उच्च प्रथमिक

स्तर की शिक्षा की सुविधा सुलभ है। फिर भी निर्धारित मानक के अनुसार 139 उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है जिसका विवरण इस प्रकार है :

कुल प्राथमिक विद्यालय	:	1203
नवीन प्रस्तावित विद्यालय	:	66
योग	:	182
आवश्यकता उ0 प्र0 विद्यालय	:	89
योग		321

इन प्रस्तावित विद्यालयों में विद्यालय भवन की समुचित व्यवस्था के साथ–साथ शौचालय, हैण्डपम्प चहार दीवार, शिक्षण सामग्री, काष्ठोपकरण तथा उपस्कर एवं शिक्षकों की भी आवश्यकता है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साज सज्जा एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। जो इस प्रकार हैं – मेज, कुर्सी, घण्टा, लोटा, गिलास, कूड़ादान, वाद्ययंत्र (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बॉसुरी आदि) क्रीडा सामग्री, फुटबाल, बालीबाल, स्कीपिंग रो, हवा भरने का पम्प, कक्षा कक्ष शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान किट, विभिन्न प्रकार के मानचित्र ग्लोब टू इन वन आदि) तथा टीचर ईक्युपमैन्ट की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

पेय जल, शौचालय एवं चहारदीवारी :

नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पीने का पानी की व्यवस्थ हेतु इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा। बलिकाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये तथा विद्यालय प्रंगण को सुसज्जित एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से चहार दीवारी का निर्माण कराया जायेगा। इन सब की लागत प्रत्येक विद्यालय की यूनिट लागत में सम्मिलित किया गया है।

शिक्षक व्यवस्था :

नवीन प्राथमिक/उ0प्रा0वि0 के लिए मानक के अनुसार शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या में 50 प्रतिशत महिलाओं को नियुक्त करने पर बल दिया जायेगा।

कम विकल्प वाले विद्यालय भवनों पर बल :

सर्व शिक्षा अभियान के तहत नवीन प्राथमिक/उच्च प्रा0वि0 भवनों के निर्माण में कम लागत व कम व्यवस्था के सिद्धान्त को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रयास यह किया जाएगा कि उ0 प्रा0 वि0 का निर्माण प्रा0 वि0 के प्रांगण में ही हो जिससे शौचालय, चहारदीवारी, हैण्ड पम्प आदि के दोहरे खर्च से बचा जा सके।

नवीन भौतिक व्यवस्थाओं के लिए सर्वेक्षण :

सर्व शिक्षा अभियान के तहत नवीन प्रा0/उ0प्रा0वि0 की स्थापना के लिए सर्वेक्षण के आधार पर खोज की जायेगी तथा तदनुसार विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इस कार्य प्रति वर्ष 20,000 रूपये खर्च करने का प्रावधान है।

अध्याय –7

परिवार सर्वेक्षण व नामांकन

आयु वर्ष 5 – 10 तक

क्र0	वि0ख0	कुल चिन्हित बच्चे			नामांकित बच्चे			स्कूल से बाहर के बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	मैनपुरी	19062	15389	34451	15566	12555	28121	3496	2834	6330
2	घिरोर	16752	12868	29620	13837	10483	24320	2915	2385	5300
3	कुरावली	15608	12495	28103	12569	10249	22818	3039	2246	5285
4	सुल्तानगंज	18798	15221	34019	16917	13408	30325	1881	1813	3694
5	भोगांव	18494	16174	34668	16096	14100	30196	2398	2074	4472
6	किशनी	17673	14160	31833	17218	13815	31033	455	345	800
7	जागीर	9526	8044	17570	8144	6870	15014	1382	1174	2556
8	कुरहल	12752	10308	23060	11569	9254	20823	1183	1054	2237
9	बरनाहल	10212	8163	18375	9579	7685	17264	633	478	1111
10	नगरक्षेत्र	4820	3808	8628	4397	3510	7907	423	298	721
	योग	143697	116630	260327	121854	99471	223783	19762	16782	36544

जनपद मैनपुरी में कराये गये परिवार सर्वेक्षण जून 2003 के 5 से 10 तक कुल 260327 बच्चे चिन्हित किये गये जिसमें 143697 बालक व 116630 बालिकायें थीं जिसमें से 19762 बालक, 16782 बालिकायें कुल 36544 बच्चे विद्यालयों में नहीं जाते थे।

आयु वर्ग 11 से 14 तक

क्र0	वि0ख0	कुल चिन्हित बच्चे			नामांकित बच्चे			स्कूल से बाहर के बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	मैनपुरी	8683	6519	15202	8420	6219	14639	263	300	563
2	घिरोर	6833	5025	11858	6671	4809	11480	162	216	378
3	कुरावली	6831	5490	12321	6362	5042	11404	469	448	917
4	सुल्तानगंज	9038	7090	16128	8559	6657	15216	479	433	912
5	भोगांव	9164	7251	16415	8897	6948	15845	267	303	570
6	किशनी	8939	6772	15711	8787	6592	45379	152	180	332
7	जागीर	3662	2514	6176	3645	5497	6142	17	17	34
8	कुरहल	5973	4994	10967	5660	4264	9924	313	730	1043
9	बरनाहल	6002	4959	10961	5783	4672	10455	219	287	506

10	नगरक्षेत्र	3051	2563	5614	2917	5459	5376	134	104	238
	योग	68176	53177	121353	65701	50159	115860	2475	3018	5493

तालिका से स्पष्ट है कि वयवर्ग 11–14 तक कुल 121353 बच्चे चिन्हित किये गये जिसमें 68176 बालक, 53177 बालिकायें थीं उसमें से 2475 बालक, 3018 बालिकाएं कुल 5493 बच्चे विद्यालय से बाहर थे।

परिवार सर्वेक्षण में विद्यालय जाने वाले चिन्हित बच्चे व उनका नामांकन

हाउस होल्ड सर्वेक्षण में स्कूल न जाने वाले चिन्हित बच्चे व उनका नामांकन

वयवर्ग	न जाने वाले चिन्हित बच्चे			स्कूल न जाने वालें का 31.7. 2003 तक नामांकन।			अवशोष		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
5 से 11 तक	17805	14701	32506	16687	13555	30242	1118	1146	2264
11 से 14 तक	2475	3018	5493	1528	1745	3273	947	1273	2220
योग	20280	17719	37999	18215	15300	33515	2065	2419	4484

विद्यालय न जाने वाले बच्चों का कारण सहित विवरण:

कारण	वय वर्ग 5 से 11			वय वर्ग 11 से 14 तक			योग
घर के कार्यों में लगा रहना	8935	5683	14618	862	987	1849	16467
मजदूरी में लगे रहना	348	142	490	454	149	603	1093
भाई बहनों की देख–भाल	2206	2247	4453	628	1041	1669	6122
विद्यालय अधिक दूर होना	449	512	961	76	219	295	1256
अन्य	8905	7117	16022	455	622	1077	17099
योग	20843	15701	36544	2475	3018	5493	42037

वयवर्ग 5+ से 11 तक कुल 36544 बच्चे तथा वयवर्ग 11 से 14 तक कुल 5493 बच्चे विद्यालयों में नामांकित नहीं थे। जुलाई 2003 में सम्पूर्ण उ0 प्र0 में स्कूल चलो अभियान चलाया गया यह अभियान जनपद मैनपुरी में भी चलाया गया। इस अभियान के अन्तर्गत वयवर्ग 5 से 10 तक के कुल 23242 तथा वयवर्ग 11 से 14 तक के कुल 3273 बच्चे नामांकित हुए शेष स्कूल न

परिवार संर्वेक्षण व कुल नामांकन

वयवर्ग	कुल चिन्हित बच्चे			कुल नामांकित बच्चे (31.7.03 तक)			विद्यालय से बाहर बच्चे		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
5 से 11 तक	143697	116630	260327	142579	115484	258063	1118	1146	2264
11 से 14 तक	68176	53177	121353	67229	51904	119133	947	1273	2220
योग	211873	169807	381680	209808	167388	377196	2065	2419	4484

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि वयवर्ग 5+ से 11 के अन्तर्गत कुल चिन्हित बच्चों के सापेक्ष स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत वे नामांकन सहित दिनांक 31 जुलाई 2003 तक 258063 बच्चे विद्यालयों में नामांकित हो चुके हैं तथा अब केवल 2264 बच्चे ही विद्यालय से बाहर हैं। इसी प्रकार वयवर्ग 11 से 14 के अन्तर्गत उक्त तिथि तक कुल नामांकन 119133 हो चुका है और 2220 बच्चे ही विद्यालय से बाहर हैं इस प्रकार 5+ से 14 वयवर्ग के अर्न्तगत चिन्हित कुल बच्चे 381680 के सापेक्ष 377196 बच्चे नामांकित हो चुके हैं तथा 4484 बच्चे विद्यालय से बाहर हैं जिन्हें न्याय पंचायत जिला स्तरीय गैर आवासीय/आवासीय शिविरों और वैकल्पिक शिक्षा /विद्या केन्द्रो के माध्यम से 30 सितम्बर 2003 तक मुख्य धारा से जोड़ दिया जायेगा तथा कोई बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं रहेगा।

जनपद मैनपुरी में 31 मार्च 2002 से पूर्व उन बच्चों के लिए जो औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते थे या किसी प्रकार शिक्षा की मूल धारा से वंचित रह जाते थे। उनके लिए औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गयी यह सुविधा 6–14 वय वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने का सशक्त विकल्प था। अनौपचारिक योजना समाप्त होने पर के माध्यम से इस प्रकार के बच्चों को वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी 6–14 वर्ष के सभी प्रकार के विद्यालय न

जाने वाले/शालात्यागी/कामकाजी बालक–बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इस वय वर्ग का कोई बालक/बालिका शिक्षा सुविधा से वंचित न रह जाये इस दृष्टि से आवश्यकतानुसार अलग–अलग मॉडल दिए गए हैं। कुल प्राथमिक हेतु 552 ई0जी0एस0 खोले जायेंगे, जिनकी मकतब मदरसे वाले कालम में कॉस्टिंग की गयी हैं। वर्ष 2002–2003 में 23, वर्ष 2005–06 में 540, वर्ष 2006–07 में 50, वर्ष 2007–2008 में 39 केन्द्र खोले जायेंगे।

विकास खण्ड वार विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या निम्नवत हैं।

क्र0	ब्लाक का नाम	6–11 वय वर्ग			11–14 वय वर्ग					
		विद्यालय न जाने वाले			विद्यालय न जाने वाले					
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	मैनपुरी	3496	2834	6330	263	300	563	3759	3134	6893
2	घिरोर	1915	2385	5300	162	216	378	2077	2601	4678
3	कुरावली	3039	2446	5285	469	448	917	3500	2694	6202
4	सुल्तानगंज	1881	1813	3694	479	433	912	2360	2246	4606
5	बेवर	2398	2074	4472	267	303	570	2665	2377	5042
6	किशनी	455	345	800	152	180	332	907	525	1432
7	जागीर	1382	1174	2556	17	17	34	1399	1191	2590
8	करहल	1183	1054	2237	313	730	1043	1496	1784	3280
9	बरनाहल	633	478	1111	219	287	506	852	765	1617
10	नगर क्षेत्र	423	298	721	134	104	238	557	402	959
	योग	17805	14701	32506	2475	3018	5493	20280	17119	37999

स्रोत – जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मैनपुरी

परिवार सर्वेक्षण के अन्तर्गत 6–11 आयुवर्ग के 32506 तथा 11–14 आयु वर्ग के 5493 अर्थात् कुल 37999 बच्चे विद्यालय से बाहर थे माह जुलाई 2003 में चलाये गये वृहत स्कूल चलो अभियान के तहत उक्त के सापेक्ष वय वर्ग 6–11 के 30242 तथा वय वर्ग 11–14 के 3273 अर्थात कुल 33515 बच्चों के विभिन्न कार्यक्रमों एवं जनसहयोग से विद्यालयों में नामांकित कर

दिया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि 6–11 वय वर्ग के 2264 तथा 11–14 वय वर्ग के 2220 अर्थात् 4484 बच्चे अभी विद्यालय से बाहर हैं जिनको न्याय पंचायत/जिलास्तरीय आवासीय /गैरआवासी ब्रिज कोर्श तथा वैकल्पिक केन्द्र खोलकर 30 सितम्बर 2003 तक शिक्षा को लिया जायेगा।

नवाचार

विद्यालय में बच्चों के ठहराव की तैयारी

नन्हें बच्चों के मन में स्वभाविक रूप से विद्यालय को लेकर अनजाना सा भय बना रहता है और देखने में आया है कि प्रायः अभिभावक बच्चों की अनिच्छा से उन्हें विद्यालय भेजते हैं। अन्ततः इस घबराहट से कैसे बचा जाये? क्यों होता है ऐसा? इसका मूल कारण है कि बच्चे घर के वातावरण को विद्यालय के वातावरण को अलग मानते हैं। घर में वे प्रसन्नता पूर्वक खेलते हैं यदि विद्यालयों में भी आनन्द पूर्ण वतावरण का निर्माण किया जाये तो निश्चित ही भय व घबराहट कम होगी तथा बच्चे विद्यालय से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में 1 या 1–2 /2 माह तक कक्षा में ऐसे वातावरण का सृजन किया जाये जिससे बच्चों में विद्यालय के प्रति ललक पैदा हो।

यह कार्यक्रम इस प्रकार हो सकते हैं

1. रिंग या गेंद खेलना
2. रस्सी से खेलना
3. रंग बिरंगे गुटके और आकृतियों का निर्माण
4. विभिन्न प्रकार के कट आउट देकर जुड़वाना
5. छोटे कागज पर चित्र बनवाना

6. बाल गीतों का अभ्यास कराना

7. विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कराना

8. मिट्टी की गोली, कागज की नाव पतंग खिलौने आदि बनवाना।

इन वस्तुओं का प्रयोग करते हुए बच्चों को स्कूल एवं शिक्षा की ओर आकर्षित किया जा सकता है।

इसके लिए इस अभियान में निम्न सामग्री का प्रस्ताव है –

1. रिंग, छल्ले, रस्सी, डगवल आदि

2. ढोलक, हारमोनियम, झॉझ, मजीरे आदि

3. प्लास्टिक के विभिन्न प्रकार के गुटके आदि

4. बाल कहानी की चित्रों वाली पुस्तकें

5. पतंगी कागज, कैंची, चार्ट व रंगीन पेन्सिल आदि

इनके उपयोग के आधार पर अन्य मनोरंजन एवं ज्ञानवर्द्धक वस्तुएं भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है।

यह कार्यक्रम मुख्य रूप से कक्षा 1 में चलाया जाना है इससे जुड़े कार्यक्रम जो खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उन्हें नियमित रूप से कराया जाये तथा उसके लिए प्रति विद्यालय एक शिक्षक को प्रशिक्षित कराया जाना प्रस्तावित है।

समाजोपयोगी कार्यवृद्धि :

पूर्व माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन और ठहराव में वृद्धि के लिए बालिकाओं को ऐसे कार्यों के प्रति आकृष्ट किया जाय जिनके द्वारा उनमें कौशल का विकास हो सके और वे स्वयं के कार्यों से संतुष्टि पा सकें। इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित किये जायें जिससे उत्पादकता और रोचकता में वृद्धि हो।

सामान्यतया पूर्व माध्यमिक स्तर पर हस्त कौशल युक्त कार्यों को उचित प्रश्रय देने की अवश्यकता है। इसके लिए विद्यालयों में दो दिन अंतिम वर्षों में अध्ययन की व्यवस्था की जायेगी।

इन कार्यक्रमों के लिए सिलाई मशीन, कढ़ाई फ्रेम, सुई, डोरा साँचे आदि क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। प्रथम चरण में प्रत्येक विकास खण्ड के पांच–पांच ऐसे विद्यालयों को सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी जहां रख–रखाव की उचित व्यवस्था हो। पर्याप्त कुशल शिक्षकों की व्यवस्था हो। शनै–शनै अग्रिम वर्षों में इसका चरणवद्ध तरीके से विस्तार किया जायेगा।

कम्प्यूटर शिक्षा :

वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुयी है। आने वाले समय में प्रयास यह किया जाना है कि बच्चे अपने दौर के साथ तालमेल करके चल सकें हीन और पिछड़ा महसूस न करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि पूर्व माध्यमिक स्तर पर बच्चों को कम्प्यूटर की व्यवहारिक जानकारी प्रदान की जाये जिसके लिए पूर्व माध्यमिक विद्यालय में एक कम्प्यूटर तथा यू0पी0एस0 देने का प्रस्ताव है। इसको चरणवद्ध तरीके से विद्यालयों को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रथम चरण में ऐसे विद्यालय चयन किये जायेंगे जहाँ सुरक्षा एवं बिजली की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध हो।

शिक्षा गारण्टी योजना :

उन क्षेत्रों में जहां 1.5 किमी0 की दूरी तक 6–7 वर्ष के बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढने नहीं जा पा रहे हैं। उनके लिए कक्षा 1 व 2 तक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ई0जी0एस0 केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। यह केन्द्र चार घण्टे प्रतिदिन चलेगी तथा इन केन्द्रों पर पुस्तक व शिक्षण सामग्री की उपलब्धता की व्यवस्था प्राथमिक विद्यालयों की भांति ही होगी। इन केन्द्रो

पर अध्ययन करने वाले बच्चों को कक्षा दो के उपरान्त कक्षा 3 में समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय पर पंजीकृत करा दिया जायेगा प्रत्येक केन्द्र पर 30 बच्चों के नामांकन की व्यवस्था की जायेगी। वर्तमान समय में डी0पी0ई0पी0–।।। में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का विवरण इस प्रकार है।

मकतबों का सुदृढ़ीकरण :

मैनपुरी में इस समय दीनी तालीम के 23 मकतब/मदरसे संचालित हैं इन मदरसों को पर्याप्त सहयोग प्रदान कर शिक्षा की मूल धारा से जोड़ने की प्रबल आवश्यकता है। इन मकतबों/मदरसों के प्रस्ताव (सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति) से प्राप्त करके वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों या विद्याकेन्द्रों में उक्त मकतबों/मदरसों को बदलने का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रस्तावित है। इस प्रकार के मकतब/मदरसे भी केवल मजहबी शिक्षा के केन्द्र न होकर शिक्षा की मुख्य धार में जुड़ जायेंगे।

ग्रीष्म कालीन शिविर :

प्रायः देखा जाता है कि कक्षा 1 से 5 तक पहुँचते–पहूँचते बालिकाओं के नामांकन में अन्तर आ जाता है। अधिकांश बालिकाएं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से विद्यालय जाना छाड़ देती हैं। इन बालिकाओं को 'चलो स्कूल की ओर' कार्यक्रम के माध्यम से पुनः शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए 10 दिवसीय शिविर प्रस्तावित है। इन शिविरों के माध्यम से पुनः बालिकाओं को विद्यालय जाने की ओर प्रेरित करना है। इनमें प्रति शिविर पर अनुमानित लागत होगी। इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से बालिकाओं के डापआउट दर में कमी लाना है।

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्रस्तावित समर कैम्प	20	20	20	20	20

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक नवीनीकरण :

सूक्ष्म नियोजन के द्वारा परिवार सर्वेक्षण से 6–11 व 11–14 वय वर्ग के बच्चों के विषय में जानकारी हांसिल कर कभी विद्यालय न जाने वाले तथा शालात्यागी बच्चों को चिन्हित किया जाता है। विशिष्ट आयु वार बच्चों का विवरण प्राप्त करने के लिए वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र में संशोधन कर वांछित अतिरिक्त सूचनायें प्राप्त की जायेंगी। प्रतिवर्ष परिवार सर्वेक्षण के आंकड़ो का नवीनी करण किए जाने के लिए 50 हजार रू0 की वित्तीय व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है।

सूक्ष्म नियोजन के तहत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा विकसित प्रपत्र के आधार पर इस वर्ष जनपद मैनपुरी में 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले/शालात्यागी 45700 बच्चों को चिन्हित किया गया है। आगामी वर्षों में आंकड़ो का नवीनीकरण करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि बच्चे ने किस कक्षा में और कब शालात्याग किया गया है इसके लिए वर्तमान प्रपत्र में पर्याप्त संशाधन इस आशय से किया जायेगा कि सभी सूचनाएं स्पष्ट रूप से आ सकें, परियोजना में द्वितीय वर्ष से उक्त संशोधित प्रपत्रों का प्रयोग प्रस्तावित है।

11–14 वय वर्ग हेतु अभिनव प्रयोग :

11–14 वय वर्ग के वे बच्चे जो किन्हीं कारणों से औपचारिक विद्यालयों से शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहे हैं, उनके लिए नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश की विविधताओं के आधार पर औपचारिक विद्यालयों में समायोजित किये जाने की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कतिपय अभिनव प्रयोग किए जायेंगे। इन प्रयोगों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु जनपद में 50 हजार रूपये का फण्ड सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान

किया गया है। प्रथम दो वर्ष में कम से कम दो विकास खण्डो में एक–एक संकुल विकसित किया जायेगा। इस कार्य हेतु शिक्षा विभाग के विषेशज्ञों, शिक्षाविदों व आवश्यकतानुसार स्वयं सेवी/समाज सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 63 विद्या केन्द्र /ज्ञान केन्द्र खोले जायेंगे।

विधालय वापस चलो कैम्प :

जनपद में ऐसे बच्चों के लिए, जो विभिन्न कारणों से शाला त्याग कर देते हैं, 10 दिवसीय विद्यालय वापस चलो कैम्पों का आयोजन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव किया जा रहा है –

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
कैम्पोंकीसंख्या	5	18	18	18	18

अध्याय –8

ठहराव में वृद्धि हेतु कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य प्राप्ति हेतु अब तक के अनुभवों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि बालका, बालिकाओं का विद्यालय में पंजीकरण तो हो जाता है लेकिन काफी प्रयास करने के उपरान्त भी शालात्याग की समस्या हल नहीं हो पाती है। इसके लिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत यह प्रयास किया जायेगा कि शत प्रतिशत विद्यालय मूलभूत सुविधाओं से युक्त हो जिसके लिए किये जाने वाले प्रयास इस प्रकार हैं –

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक नवीन निर्माण :

जनपद मैनपुरी में एस.एस.ए. के अन्तर्गत वर्ष 2002–03 में अध्ययन रत छात्रों को विद्यालयी सुविधा प्रदान करने हेतु 22 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया गया परन्तु अशेवित बस्तियों के आधार पर बहुत सी ग्राम स्कूल विहीन थे। वर्ष 2003–04 में प्राथमिक विद्यालय 66 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय 67 का निर्माण कराया जाने का लक्ष्य है। धन प्राप्त होने के उपरान्त तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। यदि फिर भी कुछ असन्तृप्त व असेवित बस्तियां अवशेष रह जाती हैं तो उनकी मांग बाद में की जायेगी।

विद्यालय सुविधा :

प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रख–रखाव हेतु प्रतिवर्ष 5 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा तथा विद्यालय विकास अनुदान हेतु प्रति विद्यालय प्रतिवर्ष 2000 रूपये की व्यवस्था की जायेगी।

विद्या विकास अनुदान का विवरण निम्नवत है–

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्रा0 वि0	0	22	66	1269	1269
उ0प्रा0वि0	232	257	282	302	321

अतिरिक्त कक्षा कक्ष

जनपद में प्राथमिक विद्यालय हेतु 1026 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 180 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी इसमें डी0पी0ई0पी0–।।। द्वारा 333 प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण करा दिया गया है। अतः प्राथमिक विद्यालयों हेतु 693 ओर उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 180 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता है जो वर्ष 2004–05 में प्रावधानिक हैं।

शौचालय :

जनपद मैनपुरी में कुल 1203 प्राथमिक विद्यालय एवं 172 उच्च प्राथमिक विद्यालय में से 635 प्राथमिक स्कूलों एवं 160 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय की आवश्यकता है। इस प्रकार 795 शौचालयों के निर्माण हेतु 10 हजार रूपये प्रति शौचाल की दर से प्रास्पेक्टिव प्लान में प्रावधानित है

पेय जल :

जनपद में कुछ प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो पेय जल सुविधा विहीन है। जिनमें अन्य योजनाओं द्वारा जल सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था जिला स्तर से करायी जायेंगी।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता–

क0	वर्ष	छात्र संख्या	स्वीकृत पद अध्यापक	स्वीकृत शिक्षा मित्र	कुल पद	1:40 से वांछित	कमी अध्यापक एवं शिक्षा मित्र	कमी अध्यापक (मांग)	कमी शिक्षा मित्र (मांग)
1	2003–04	181317	3200	343	3543	4533	990	495	-
2	2004–05	185849	3200	343	3543	4646	1103	552	1046
3	2005–06	190495	3752	894	4646	4762	116	58	58
4	2006–07	195257	3810	952	4762	4881	119	59	60
	योग							1164	1164

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1203 संचालित विद्यालयों में 3134 अध्यापकों के तथा 211 शिक्षा मित्रों के पद स्वीकृत हैं। नवीन 66 विद्यालय वर्ष 2003–04 में खुलने के कारण 66 अध्यापकों के तथा 132 शिक्षा मित्रों के पद और सृजित हो गये हैं। इस प्रकार कुल 3200 अध्यापक तथा 343 शिक्षा मित्रों के पद हैं। जनसंख्या की वृद्धिदर प्रतिवर्ष लगभग 2.5 प्रतिशत होने के कारण वर्ष 2006–07 तक 1:40 अध्यापक छात्र अनुपात से 1164 अध्यापक एवं 1164 शिक्षा मित्रों की आवश्यकता होगी जो योजना में प्रावधानिक हैं।

विद्यालयों को साज सज्जा अनुदान की आवश्यकता।

66 नवीन प्राथमिक विद्यालयों को 10 हजार प्रति विद्यालय 67 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 50 हजार प्रति विद्यालय की दर से फर्नीचर आदि क्रय करने के लिए प्लान ने धनराशि प्रावधानित की गयी है इसके अतिरिक्त कुल 1275 प्राथमिक विद्यालय एवं 264 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को एवं राजकीय

विद्यायलों एवं सहायता प्राप्त कुल 25 विद्यालयों को 2000 रूपये प्रति विद्यालय की दर से धन का प्रावधान किया गया है।

अध्यापक अनुदान (टी.एल.एम.) :

जनपद में विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को टीचिंग एण्ड लनिंग मैटेरियल हेतु 500 रूपये प्रति अध्यापक की दर से प्रति अध्यापक की दर से वर्ष वार अध्यापक अनुदान का प्रावधान किया गया है। परिषदीय विद्यालयों के प्रति सहायता प्राप्त एवं मकतबों को भुगतान करने हेतु धन प्रावधानिक किया गया है।

प्राथमिक वर्ग

वर्ष	प्राथमिक परिषद अध्यापक	सहायता प्राप्त अध्यापक	योग
2002–03			
2003–04			
2004–05	1272	3	1275
2005–06	1272	3	1275
2006–07	1272	3	1275

1275 ×2000 प्रति विद्यालय =25 लाख 50 हजार की मांग प्रस्तावित है।

उच्च प्राथमिक वर्ग

वर्ष	प्राथमिक परिषद अध्यापक	सहायता प्राप्त अध्यापक	योग
2002–03			
2003–04			
2004–05	264	90	264
2005–06	264	90	90
2006–07	264	90	354

354×2000 =7 लाख 8 हजार

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गाववार विस्तृत आंकडें प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने** पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करने हेतु 500 रूपया प्रति अध्यापक की मांग की गयी है।

प्राथमिक विद्यालय

प्रकार	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
परिषदीय			3751	3810	3869
सहायता प्राप्त			18	18	18
मकतब्य			69	69	69

कुल 3 हजार 956 प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को 500 रूपये प्रति शिक्षक की दर से धन प्रावधानिक किया गया है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय

प्रकार	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
परिषदीय			1167	1167	1167
सहायता प्राप्त			270	270	270

कुल 1437 उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों को 500 रूपये प्रति अध्यापक की दर से शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करने हेतु धन का प्रावधान किया गया है।

निशुल्क पुस्तक वितरण :

निम्न तालिकानुसार प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों एवं विद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना हेतु निःशुल्क पुस्तक वितरण का प्रावधान किया गया है। तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी बालक–बालिकाओं हेतु निःशुल्क पुस्तक वितरण का प्रावधान है।

वर्ष	परिषदीय छात्र संख्या प्रा0 वि0	साहयता प्राप्त / स0 अ0 विद्या0	वुक वैंक	योग
2004—05	185849	900	12690	199439
2005—06	190495	923	12690	204108
2006—07	195257	946	12690	208893

उच्च प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	परिषदीय छात्र संख्या प्रा0 वि0	सहायता प्राप्त / स0 अ0 विद्या0	योग
2004—05	23446	13500	36946
2005—06	24032	14850	38882
2006—07	24633	16335	40968

बालिका शिक्षा

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उ0 प्र0 की कुल साक्षरता 57.3 प्रतिशत है जिनमें महिला साक्षरता दर 52.98, जबकि पुरूष साक्षरता 70.23 पायी गयी है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बालिकाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला साक्षरता और उनके लिए शिक्षा को विशेष रूप से रेखांकित किया है। तदनुसार बालिका शिक्षा के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम चलाये गये तथा वर्तमान में चल भी रहे हैं।

साक्षरता तथा नामांकन दोनो दृष्टि से महिला वर्ग पुरूषों की तुलना में पीछे है। किसी भी राष्ट्र का विकास वहां की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होता है। कहा जाता है कि एक महिला के शिक्षित होने पर दो परिवार शिक्षित होते हैं अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालकों का नामांकन शत प्रतिशत करने के साथ–साथ सभी वर्ग की बालिकाओं का नामांकन भी 100 प्रतिशत करना है।

नामांकन हेतु चलाये गये विभिन्न अभियानो और गॉव स्तर पर की गयी बैठकों में समस्याएं उभर कर आयी जिसके समाधान के लिए बालिकाओं को विशिष्ट आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। मैनपुरी जनपद में सत्र–2001–2002 में की गयी बालगणना के अनुसार बालिकाओं के शतप्रतिशत नामांकन हेतु निम्नलिखित रणनीतियां प्रस्तावित हैं–

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति :

बलिकाओं के नामांकन एवं उनके ड्रापआडट को रोकने के लिये निम्नलिखित रणनीतियां अपनायी जायेंगी –

गाता शिक्षक संघ :

ऐसे गॉव जहां प्राथमिक विद्यालय है उस गॉव की 10–12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेंगे।

गहिला प्रेरक दल :

ऐसे गॉव /मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहॉ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक दर गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों के विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगे।

वी0ई0सी0 जेण्डर सेवेदीकरण प्रशिक्षण :

बलिका शिक्षा के प्रति समाज की सोच बदलने और समाज के लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों के लिए जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। इस प्रशिक्षण में मूलतः बालिकाओं के प्रवेश, ठहराव–कारण व निदान के उपायों पर विचार किया जायेगा।

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
ग्रा0शि0स0 की संख्या	503	–	503	–	503	–

ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन

बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव प्रक्रिमा प्रत्येक सप्ताह गॉव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक एवं अभिभावक शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे विद्यालय में कम उपस्थित रहते हैं उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक नारे लगाकर बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चो को सचेत करने के लिए बच्चों को हरा, पीला एवं लाल निशान प्रति माह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा–

महं में 15 दिन या उससे अधिक उपस्थिति – हरा निशान

महं में 14 दिन या 7 दिन से अधिक उपस्थिति – पीला निशान

महं में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान

बच्चों तथा अभिभावकों को, बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रति माह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूह की बैठकों में चर्चा हेतु रखा जायेगा।

सत्र के मध्य एवं सत्रांत में अभिभावक सम्मेलन :

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्राओं की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनों के विषय में उन्हें अवगत कराते हुए नियमित आने वाले बच्चों के अभिभवकों मुख्यतः माताओं को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अंत में सत्रांत समारोह गॉव के समस्त मातापिताओं को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रात्साहित करेंगे जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं। इन समारोहों में अगले सत्र के लिए बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

कोहार्ट स्टडी :

अधिकतर शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले 5 वर्षों का शाला त्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होंने पिछले 5 साल में विद्यालय छोड़ा है। एसे बच्चों के लिए ग्रीष्म कालीन शिवरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

ग्रीष्म कालीन शिविर :

ऐसे गॉव /बस्तियां जहॉ न्यूनतम 40 बालिकायें शालात्यागी के रूप में चिन्हित की गयी उनके लिए डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर पुनः विद्यालय में दाखिल कराया गया।

क्र0	विकास खण्ड का नाम	सम्मिलित गॉव /विद्यालय की संख्या	प्रतिभागी छात्राओं की संख्या	विद्यालयों में नामांकित छात्राओं की सेख्या
1	मैनपुरी	5	179	179
2	घिरोर	5	173	171
3	सुल्तानगंज	5	188	184
4	बेवर	5	177	175
5	किशनी	5	200	200
6	कुरावली	5	200	178

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति आवश्यक है। पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा समितियों को सुदृढ़ीकृत एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, नामांकन, ठहराव परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से संबंधित समस्त विकास कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज समितियों का सहयोग लिया जायेगा।

7	जागीर	5	178	178
8	बरनाहल	5	172	172
9	करहल	5	197	195
	योग	45	1664	1632

स्रोत – डी0पी0ई0पी0 कार्यालय, मैनपुरी

उक्त शिविरों में पंजीकृत बालिकाओं 1664 में से 1632 बालिकाओं का विभिन्न विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया गया जो कुल का 98.07 प्रतिशत है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ऐसे ही शिविरों का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

वेटी हो स्कूल में – कला जत्था अभियान :

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है। बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ दें – यह सुनिश्चित करने के लिए वेटी हो स्कूल में कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गॉव–गॉव में नाटकों की प्रस्तुतियॉ की जायेगी। यह अभियान ऐसे गॉव में चलाये जायेंगे जहॉ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शालात्याग दर अधिकतम है।

शिक्षकों का जेण्डर सेंवेदीकरण प्रशिक्षिण :

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नजरिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों तथा उनके निराकरणों/उपायों एवं उपागमों पर चर्चा/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

जनजागरण अभियान :

जनपद मैनपुरी में 6 से 14 वय वर्ग की जितनी भी बालिकाएं हैं और जो अभी भी औपचारिक विद्यालयों में नामांकित नहीं है, का नामांकन सुनिश्चित कराने के लिए जनजागरण अभियान चलाये जायेंगे। ऐसे अभियान डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत चलाये गये थे जिसमें काफी सफलता प्राप्त हुयी थी। जनजागरण अभियान के अन्तर्गत प्रभात फेरियां, जुलूस तथा पोस्टर व नारों का लेखन, जनसम्पर्क कार्यक्रम और महिला मण्डल की बैठकों का आयोजन किया जायेगा।

बालिका शिक्षा हेतु क्षमता सम्वर्द्धन कार्यक्रम :

समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा हेतु संवेदन शील बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किए जायेंगे। महिला प्रेरक समूहों, माता शिक्षा समूहों का गठन एवं प्रशिक्षण, जनपद के समस्त विद्यलयों के सेवारत अध्यापकों को वालिका शिक्षा संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

11–14 वय वर्ग की ऐसी बालिकाएं जो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर चुकी हैं परन्तु बालकों के साथ बैठकर उच्च प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु उनके माता पिता तैयार नहीं हो रहे हैं, के लिए डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हें चिन्हित किया गया तथा विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया। ऐसे ही शिविर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चलाये जायेंगे।

शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण :

मैनपुरी जनपद में 3–6 वय वर्ग के बच्चों के लिए आंगनबाडी तथा ई0सी0सी0ई0 केन्द्र चल रहे हैं। इस स्तर पर बच्चों के शारीरिक, मान्सिक विकास के लिए शिक्षा दी जाती है। शिशु शिक्षा केन्द्रों के संचालन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं –

- 3–6 वय वर्ग के प्रथम पीढ़ी के बच्चों को स्कूल पूर्व तैयारी विषयक गतिविधियाँ उपलब्ध कराना ।
- छोटे भाई बहनों की देख रेख में लगी बालिकाओं को मुक्त कर विद्यालय तक लाना एवं प्रतिभागिता सुनिश्चित कराना।
- उचित पोषण आहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओं की देखरेख के लिए माताओं को योग्य बनाना।
- 11–18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं का चयन एवं उन्हें आंगनबाडी केन्द्रों की सेवाएं प्रदान करना।

इन केन्द्रों में पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जॉच सम्बन्धित सेवाएं महिला एवं बालविकास द्वारा की जायेगी जबकि 3 से 6 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा एवं सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक विकास हेतु कार्यक्रम उपलब्ध कराये जायेंगे। जिसमें अनौपचारिक, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा का कार्य किया जाता है। प्रत्येक शिशु शिक्षा केन्द्र पर 3–6 वय वर्ग के वच्चों का नामांकन किया जाता है। वर्तमान में जनपद मैनपुरी में वेवर और करहल दो विकास खण्डो में शिशु शिक्षा केन्द्र संचालित हैं जिनका विवरण इस प्रकार हैं–

क्र0	विकास खण्ड का नाम	प्रथम चरण में संचालित केन्द्र	द्वितीय चरण में संचालित केन्द्र	कुल संचालित केन्द्र
1	बेवर	16	78	94
2	करहल	14	61	75
	योग	30	139	169

इन केन्द्रों में आवश्यक सामग्री तथा खिलौने, रोचक चित्र युक्त पुस्तकें, स्लेट, पेन्सिलें आदि की भी व्यवस्था की जाती है। ऐसे केन्द्रों में कार्यरत कार्यकत्रियों को एक वर्ष के लिए शिक्षण सहायक सामग्री मद में अनुदान, अतिरिक्त मानदेय, कार्यालय व्यय हेतु अनुदान की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी कार्य कत्रियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

मॉडल क्लस्टर में डेवलपमेन्ट ऐप्रोच :

जनपद में 15 न्याय पंचायतों को मॉडल क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है जिसमें इन न्याय पंचायतों की समस्त ग्राम सभाओं की 6–14 आयु वर्ग की बालिकाओं का शतप्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं ताकि बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जिम्मेदारी एवं भागीदारी का विकास हो सके। चयनित न्याय पंचायतो में बालिकाओं में आत्मविश्वास एवं आत्मछवि को विकसित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। धीरे–धीरे इन मॉडल क्लस्टर की संख्या में वृद्धि की जायेगी तथा प्रत्येक वर्ष उनका चयन करके उनको मॉडल स्वरूप प्रदान किया जायेगा। वर्तमान में जनपद मैनपुरी में विकसित किए गये मॉडल क्लस्टरों का विवरण इस प्रकार है–

क्र0	विकास खण्ड का नाम	मॉडल क्लस्टर का नाम	बालक	बालिका	योग
1	करहल	नगला जात	1507	1327	2834
2	करहल	किरथुआ	806	612	1418
3	करहल	कमलपुर	661	511	1172
4	करहल	मोहब्बतपुर	717	719	1436
5	करहल	अहलादपुर	852	661	1513
6	करहल	पतारा	1822	1388	3210
7	बरनाहल	बमटापुर	2655	2183	4838
8	बरनाहल	मीठेपुर	842	614	1456
9	बरनाहल	इकहरा	1141	751	1892
10	बरनाहल	चंदीकरा	2113	1995	4108
11	बेवर	बझेरा	1789	1780	3569
12	बेवर	नवीगंज	2113	1739	3852

13	सुल्तानगंज	रूई	822	702	1524
14	सुल्तानगंज	आलीपुरखेड़ा	2213	1779	3992
15	जागीर	मंछना	1417	1184	2601

स्रोत –विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मैनपुरी

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–8
चयनित न्याय पंचायत संख्या	5	5	5	5	5	1

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में उपयुक्त सारणी के अनुसार आगामी वर्षों में प्रतिवर्ष 10–10 न्याय पंचायतों का चयन करके उन्हें मॉडल के रूप में विकसित किया जायेगा और इस प्रकार जनपद के समस्त न्याय पंचायतें आच्छादित हो जायेंगे।

मीनाकैम्पेन/माँ–बेटी मेला आयोजन :

इसके माध्यम से प्रत्येक गॉव स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है जिसमें फिल्म प्रदर्शन, बैनर, चार्ट, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से माता पिता तथा अभिभावकों को बालिका शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित किया जाता है। दिनांक 3 दिसम्बर 2001 को वेवर विकास खण्ड के ग्राम जनौरा में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत शासन की समीक्षा गोष्ठी में यह कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। इसके साथ ही सम्पूर्ण जनपद में यह कार्यक्रम शुरू हो गया इसी प्रकार माँ–बेटी मेलों का भी कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा जिसके द्वारा माताओं को उनकी बेटी को स्कूल भेजने तथा कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं हेतु कार्यानुभव कार्यक्रम :

करके सीखने की विधि के आधार पर प्रत्येक उच्च प्रा0 वि0 में कार्य अनुभव शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जनपद के परम्परागत ट्रेड तथा गैर परम्परागत ट्रेड का चयन कर उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ कर प्रशिक्षण

प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। खिलौने बनाना, कलाचित्रण, रंगाई, सिलाई, कढाई, बुनाई की शिक्षा के साथ–2 स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर टोकरियां, गिट्टी के खिलौने, कागज के सामान बनाने की कला सिखायी जायेगी। कार्यानुभव योजना में कृषि, पशुपालन, पुस्तक कला, धातु कला आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान, अनुभव आधारित कर विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा करके समाजोपयोगी उत्पादक कार्य सम्बन्धी शिक्षा दी जायेगी। जनपद के चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के सामान्य ज्ञान हेतु पर्सपैक्टिव प्लान में कम्प्यूटरों की व्यवस्था की जायेगी तथा उन्हें रोजगार हेतु स्वावलम्बी बनाया जायेगा।

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–8
उ0प्र0वि0 (चयनित)	5	10	10	10	10	10

अनु0 जाति के बच्चों को शिक्षा के प्रति आकृष्ठ करने और उनको विद्यालय में रोकने के लिए कई कार्यक्रम चलाये जाने प्रस्तावित हैं। उनमें प्रमुख रूप से निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत संचालित हैं– सर्व शिक्षा अभियान में जारी रखी जायेगी। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी आच्छादित किया जायेगा।

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–8
प्रा0वि0 के लाभान्वित एस. सी. छात्र एवं समस्त बालिकाएं	–	–	–	137305	140051	142852
उ0प्रा0वि0 के लाभान्वित एस. सी. छात्र एवं समस्त बालिकाएं	23996	32400	34665	35358	36065	36786

इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए कुछ अन्य कार्यक्रम निम्न प्रकार से संचालित करने का प्रस्ताव है–

क्र0	कार्य का स्वरूप	डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत योजित कार्यक्रम	सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम
1	ग्रीष्म कालीन शिविर	2001 मे 45 तथा 2002 में 90 =135	503 ग्राम पंचायतों में
2	ई0सी0सी0ई0	270 केन्द्र	1200 केन्द्र
3	मॉडल क्लस्टर	15 क्लस्टर	80 क्लस्टर
4	मॉ–बेटी मेला	86 ग्राम सभा	503 ग्राम सभा
5	मीना कैम्पेन	86 ग्राम सभा	503 ग्राम सभा
6	कला जत्था	00	80 न्याय पंचायत
7	निःशुल्क पाठय पुस्तक वितरण	परिषदीय प्रा0वि0 में समस्त बालक बालिकाएं	परिषदीय प्रा0/उ0 प्रा0 वि0 में समस्त बालक बालिकाएं
8	ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण/माता–पिता सम्मेलन	समस्त ग्राम पंचायत	समस्त ग्राम पंचायत

स्रोत – विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मैनपुरी

सामुदायिक सहभागिता :

शासकीय कार्यों के प्रति जागरूकता तथा आवश्यक सहायोग के लिए शासन स्तर से ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया जो विद्यालय के भौतिक परिवेश, गुणवत्ता, संवर्धन, नवीन विद्यालयों के निर्माण, नामांकन एवं ठहराव को शत–प्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु चलाये गये अभियानों में अपेक्षित सहयोग प्रदान करती है।

ग्राम शिक्षा समितियों का गठन उत्तर प्रदेश शासन के अध्यादेश 5 मई 2000 के अनुक्रम में किया गया जिसमें 5 सदस्य होते हैं – अध्यक्ष प्रधान, सचिव वरिष्ठ प्रधानाध्यापक तथा 3 अभिभावक सदस्य जिसमें एक महिला अभिभावक होती है एवं जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित होते हैं। इसी समिति के अध्यक्ष व सचिव द्वारा ग्राम शिक्षा निधि खातों का

संचालन किया जाता है। विद्यालय के वित्तीय सम्बन्धी कार्यों में समाज एवं प्रशासन दोनों की भागीदारी सुनिश्चित रहती है।

विद्यालयी विकास एवं शैक्षिक वातावरण के सम्बर्द्धन में आवश्यक सहायोग के लिए ग्राम शिक्षा समिति के सक्रिय सदस्यों के अलावा 18 अन्य सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित करने के लिए डी0आर0जी0 / बी0आर0जी0 का चयन एवं प्रशिक्षण डायट स्तर से किया जाता है।

जनपद में कुल 503 ग्राम पंचयते हैं जिनमें 503 ग्राम शिक्षा समितियॉ तथा 19 नगर शिक्षा समितियॉ संचालित हैं। कुल 522 ग्राम शिक्षा समितियों / वार्ड शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण डी0पी0ई0पी0 के तहत दिया गया। शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के तहत 12006 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

क्र0	कुल ग्राम सभा / नगर वार्ड	सम्मिलित ग्राम / वार्ड की संख्या	प्रशिक्षित शिक्षा समिति	प्रशिक्षित सदस्य	सूक्ष्म नियोजन
1	503 (ग्रा.शि.स.)	856	503	11569	856
2	19	19	19	437	19
योग	522	875	875	12006	875

ग्राम शिक्षा समितियों के निम्नलिखित कार्य होते हैं –

- ग्राम सूक्ष्म नियोजन आदि में सहयोग देना
- ग्राम परिवार सर्वेक्षण में सहयोग देना
- स्कूल चलो अभियान जैसे– कार्यक्रमों में सहयोग देना
- पल्स पोलियो जैसे कार्यक्रम में सहयोग देना
- ग्रीष्म कालीन शिविरों के संचालन में सहयोग देना
- भवन के सौन्दर्यीकरण एवं निर्माण कार्यों को सम्पादित करना

- नामांकन एवं ठहराव हेतु माताओं, किशोरियों व अन्य अभिभावकों को प्रेरित करना।
- स्वास्थ्य परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सहायोग देना
- विद्यालयों में शैक्षिक कार्यों का मूल्यांकन कर आवश्यक सहयोग देना
- मेधावी व अपवंचित बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग देकर उनके अभिभावकों को शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित करना
- योग्य और कुशल अध्यापकों को विद्यालयी वार्षिक कार्यक्रमों में सम्मनित करना।

समेकित शिक्षा

1. शिक्षा की वह विधा जिसमें सामान्य बच्चे व विभिन्न तरह की विकलांगताओं से ग्रसित विकलांग बच्चे कक्षा में साथ–साथ अध्ययन करते हैं ऐसी शिक्षा समेकित शिक्षा कहलाती है। भारत में समेकित शिक्षा का प्रचलन सन् 1975 से है परन्तु भारत की संसद ने 1995 में विकलांग व्यक्तियों को समाना अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी हेतु अधिनियम बनाया जिसे पी0डब्लू0डी0 एक्ट 1995 के नाम से जाना जाता है जिसके तहत 0–18 आयु वर्ग के विकलांग बच्चों की शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ा जाना है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1982 में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए (आई0ई0डी0सी0) स्कीम प्रारम्भ की जिसमें अल्प एवं मध्यम श्रेणी की विकलांगता से ग्रसित शारिरिक विकलांग, श्रवण बवाड़ी विकलांग आंशिक दृष्टि से बाधित मान्सिक विकलांग अक्षम बच्चों को लक्ष्य बनाया था आई0ई0डी0सी0 स्कीम को प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु डी0पी0ई0पी0 योजना के तहत 1994 में देश के 271 जनपदों में समेकित

शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में आई0ई0डी0सी0 स्कीम को सर्व शिक्षा अभियान में भी लागू किया गया जिसके तहत विकलांग बच्चों को आवश्यक उपकरण /यन्त्र, स्टेशनरी, यूनीफार्म, स्कार्ट एलाउन्स आदि उपलब्ध कराया जाता है।

2. वातावरण सृजन कार्यशाला

वर्ष 2002–03 में चयनित विकास खण्डो -- बेवर, बरनहल किशनी, घिरोर, में 4 कार्यशालाएं एक दिवसीय आयोजित की गयीं जिसमें विकलांगता के प्रति जागरूकता पर प्रकाश डाला गया प्रत्येक कार्य शाला में 50 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया प्रतिभागियों के रूप में शिक्षक विकलांग बच्चों के माता पिता व्यावसायिक चिकित्सक आंगनवाडी कार्यकर्त्री स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वयंसेवक आदि थे।

3. सहायक उपकरण यन्त्र वितरण शिविर :

विकास खण्ड बेवर व किशनी के बच्चों को कुशमरा में तथा घिरोर व बरनाहल, के बच्चों को नवा टेढ़ा के शिविरों में निशुल्क सहायक उपकरण यन्त्र विकलांग जनसंस्थान भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से वितरित किये गये। संस्थान द्वारा 164 वैशाखी 35 ट्राई साईकिल, 19 स्लीप चेयर, 15 स्वर्ण यन्त्र, 10 ब्रिल स्लेट व 5 ब्लायन्ड स्टीक उपलब्ध करायेंगे।

4. समेकित शिक्षा के उद्देश्य :

1. विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना तथा उनमें प्रतिस्पर्धा व समायोजन क्षमता का विकास करना।
2. सामन्य जनमानस को बच्चों की आवश्यकताओं समस्याओं से अवगत कराना।

3. बच्चों की मनोवृत्तियों को समझने तथा सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना।
4. बच्चों की विकलांगता के स्तर अनुसार पाठ्यक्रम का चयन करना।
5. बच्चों की विकलांगता श्रेणी अनुसार सहायक उपकरण यन्त्र का चयन व उपलब्ध कराना जिससे वे आसानी से विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकें।

5. सर्वेक्षण व नामांकन :

डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत समुदाय में 0–14 आयु वर्ग के विभिन्न तरह की विकलांगताओं से ग्रसित विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण किया गया इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को चिन्हित प्रतिवर्ष किया जाता है चिन्हित करने से कई तथ्य सामने उभर कर आते हैं जैसे किस क्षेत्र में किस तरह की विकलांगता से ग्रसित बच्चे अधिक क्यों हैं। आंकड़ों के आधार पर विकलांगताओं के निदान हेतु चिकित्सा विभाग से समन्वय कर निदान की रणनीति बनायी जाती है और चिन्हित बच्चों का नामांकन स्थानीय विद्यालयों में कराया जाता है।

6.मेडिकल असिसमेन्स शिविर :

डिस्ट्रिक मेडिकल बोर्ड के संयोग से न्याय पंचायत स्तरीय शिविर लगाये जाते हैं जिसमें चिकित्सक दल द्वारा विकलांग बच्चों को विकलांगता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाता है तथा बच्चे की विकलांगता के स्तर के अनुसार सहायक उपकरण/यन्त्र का चयन किया जाता है।

7. सहायक उपकरण/यन्त्र :

बच्चों की विकलांगता के स्तर को कम करने के उद्देश्य से सहायक उपकरण/यन्त्र उपलब्ध कराये जाते हैं जिससे वे विद्यालय आसानी से आ

सकें और शिक्षा ग्रहण कर सकें इन्हें निम्न लिखित संस्थानों द्वारा विकलांगता के अनुसार निशुल्क सहायक उपकरण /यन्त्र उपलब्ध कराये जाते हैं –

1. श्रवण व वाणी विकलांग बच्चों के लिए श्रवण यन्त्र अली पावर जांग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान बान्द्रा (मुम्बई)।
2. शारिरीक विकलांग बच्चों के लिए ट्रई साईकिल व्हील चेयर वैशाखी कृतिम अंग मोडीफाईड शू आदि विकलांग जन संस्थान नई दिल्ली।
3. नेत्र हीन बच्चों के लिए ब्लाइंड स्टिक ब्रेल स्लेट आदि राष्ट्रीय विकलांग संस्थान देहरा दून इसके अतिरिक्त एलमिको, कानपुर क्षेत्रीय विकलांग पुर्नवास केन्द्र विकलांग कल्याण विभाग समय–समय पर सहायक उपकरण/यन्त्र उपलब्ध कराता।

8. प्रशिक्षण

बच्चों की विभिन्न तरह की विकलांगताओं के स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है क्योंकि विकलांग बच्चे विशेष बच्चे होते हैं अतः अध्यापक को विशेष प्रशिक्षण के साथ–साथ समेकित प्रशिक्षण दिया जाता है। समेकित शिक्षा प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक विकास खण्ड से एक समन्वयक को 45 दिवसीय फाउन्डेसन कोर्स दो समन्वयकों को 10 दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण दिया जाता है। उक्त तीनो समन्वयकों द्वारा जनपद के सभी परिषदीय अध्यापकों को 5 दिवसीय समेकित शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है प्रशिक्षण में विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करने हेतु नई विधाओं का ज्ञान कराया जाता है।

9. स्वस्थ्य परीक्षण :

सभी विद्यालयों में स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकत्री /कार्यकर्ता द्वारा शासनादेश के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है स्वास्थ्य परीक्षण में

पाये गये साधारण, गम्भीर अति गम्भर बच्चों का उपचार स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र पर किया जाता है स्वास्थ्य परीक्षण आंकड़ो के आधार पर ये आसानी से मालूम पड़ जाता है कि किस क्षेत्र में किस बिमारी का प्रकोप अधिक है इसके कारण एवं निवारण हेतु स्वस्थ्य विभाग द्वारा ठोस कदम उठाये जायेंगे।

10. वातावरण सृजन कार्यशाला :

प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय पर एक दिवसीय वतावरण सृजन कार्यशाला का आयोजन किया जाता है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों जैसे शिक्षक विकलांग जन अभिभावक स्वयंसेवी समाज सेवी चिकित्सक आंगनवाडी कार्यकत्री व ग्राम प्रधान तथा खण्ड विकास अधिकारी अदि द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। कार्यशाला में विकलांगता क्या है और कैसे क्यों होती है इसके कारण व निवारण क्या हैं विकलांग बच्चों के अधिकार क्या हैं समुदाय उन्हें क्या सहयोग दे सकता है आदि पर विस्तार पूर्वक चर्चा होती है।

11. विशेष शैक्षिक प्रावधान :

परियोजना एवं अन्य विभागों द्वारा निर्मित कराये जा रहे विद्यालय भवनों में रैम्प आदि का निर्माण कराया जाता है। प्रत्येक शिक्षक को उपलब्ध करायी गयी धनराशि से शिक्षण अधिगम सामग्री निर्मित की जाती है विकलांग बच्चों को कक्षा की प्रथम श्रेणी में बैठाया जाता है। सभी बच्चों को समेकित खेल खिलाया जाता है।

12. विकलांग छात्रवृत्ति :

सभी प्रकार के विकलांग बच्चों को विकलांग कल्याण विभाग द्वारा कक्षा 1 से 5 तक रूपया 300 एवं कक्षा 6 से 8 तक रूपया 450 प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के रूप में उपलब्ध कराये जाते हैं।

13. समेकित शिक्षा माडयूल का निर्माण :

राज परियोजना कार्यालय द्वारा सभी विकलांगताओं से ग्रसित विकलांग बच्चों के शैक्षिक पुर्नवास हेतु समेकित शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा हस्त पुस्तिका तथा फोल्डर्स का निर्माण किया गया है जिसका वितरण विद्यालय व न्याय पंचायत समन्वयकों को किया गया है। जिनका उपयोग बच्चों को पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

14. अभिभावकों को सलाह व मार्गदर्शन

जनपद के चयनित दो विकास खण्डों में विकलांग बच्चों तथा उनके माता पिता के साथ प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर जिला समन्वयक समेकित शिक्षा की मासिक बैठक होती है जिसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार की चिकित्सा एवं उपकरणों की जानकारी दी जाती है तथा आदर्श पाठ के माध्यम से उचित मार्ग दर्शन किया जाता है।

15. समेकित शिक्षा के अन्तर्गत की गयी गतिविधियां

जनपद मैनपुरी में सर्वेक्षण के अनुसार 1243 बालक 795 बालिकाएं विभिन्न तरह की विकलंगताओं से ग्रसित बच्चों का विद्यालयों में नामांकन करया गया वर्ष 2001–02 में 1736 बालक, 955 बालिकाएं कुल 2691 बच्चों का चिन्हांकन किया गया। जिसमें 1488 बालक एवं 807 बालिकाओं को विद्यालयों में नामांकित कराया गया। 2002–2003 में 2318 बालक 1462 बालिकाओं को चिन्हित कर 1852 बालक 1092 बालिकाओं को परिषदीय विद्यालयों में नामांकित कराया गया। वर्ष 2003–2004 में 2244 बालक, 1307 वालिकाओं को चिन्हित किया गया तथा इनमें से 1779 बालक एवं 986 बालिकाओं को विद्यालयों में नामांकित कराया गया।

16. मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण :

वर्ष 2001–02 में 5 शिक्षकों एवं 1 सह समन्वयक को वर्ष 2002–03 में 4 समन्वयकों को डायट मथुरा में दस दिवसीय समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2003–2004 में अवशेष 5 विकास खण्डों के 10 न्याय पंचायत समन्वयकों को उक्त प्रशिक्षण मथुरा में 30 सितम्बर 2003 को दिलाया जायेगा।

17. फाउन्डेशन कोर्श प्रशिक्षण :

वर्ष 2001–02 में चयनित विकास खण्डों के दो न्याय पंचायत समन्वयकों को यू0पी0इन्स्ट्रीयूट फार हियरिंग हैण्डीकैप इलाहाबाद में तथा वर्ष 2002–03 में किशनी व घिरोर के विकास खण्डों के एक–एक न्याय पंचायत समन्वयक व सहायक समन्यक को 45 दिवसीय प्रशिक्षण विकलांग केन्द्र इलाहाबाद में दिया गया। वर्ष 2003–04 में प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

18. मेडिकल एसिसमेन्ट कैम्प :

जनपद मैनपुर में 2001–02 में 7 कैम्प आयोजित किये गये जिसमें 534 बच्चों का परीक्षण किया गया एवं 390 बच्चों को विकलांगता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये गये। 2002–03 में कुल 12 कैम्पों का आयोजन हुआ जिसमें 847 बच्चों का परीक्षण हुआ एवं 568 बच्चों को विकलांगता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये गये। 2003–04 में शेष 5 विकास खण्डों में 10 कैम्प आयोजित किये जायेंगे।

19. वातावरण सृजन कार्यशाला :

वर्ष 2002–03 में 4 विकास खण्डों में कार्यशाला हुयी जिसमें 203 प्रतिभागियों ने भाग लिया वर्ष 2003–04 में अवशेष 5 विकास खण्डों में कार्यशाल प्रस्तावित है।

वर्ष	व्लाक	कुल अध्यापक	प्रशिक्षित अध्यापक	अप्रशिक्षित अध्यापक	प्रशिक्षणरत
2001–02	बेवर,	381	383	04	
	वरनाहल	186	175	11	
		573	558	15	
2002–03	किशनी	364	185		179
	धिरोर	234	148		86
		598	333	—	265

प्रस्तावित कार्य योजना समेकित शिक्षा

क्र0	गतिविधि	2004–05	2005–06	2006–07
1	मेडिकल एशिशमेन्ट कैम्प	अवशेष 5 विकास खण्डो में पॉच मडिकल अशिशमेन्ट कैम्प	अवशेष 5 विकास खण्डों में 5 मेडिकल ऐसिसमेन्ट कैम्प	समस्त विकास खण्डों में एक–एक बी. आर.सी. स्तर पर कैम्प
2	एक्स पोजर विजिट	27 एन.पी.पी.सी की एक्सपोजर विजिट ज़नपद से बाहर किसी समेकित विद्यालय	तदैव	26 एम.पी.आर. सी. स्तर पर
3	जागरूकता सामग्री का मुद्रण	अवशेष दो विकास खण्ड	अवशेष दो विकास खण्ड	अवशेष एक विकास खण्ड
4	एन.जी.ओ. के लिए धनराशि	अवशेष दो विकास खण्उ	तदैव	तदैव
5	आई.सी.डी.ए. वकर्र ट्रेनिंग	तीन विकास खण्ड में दो दिवसीय प्रशिक्षण	3 विकास खण्डों में दो दिवसीय प्रशिक्षण	3 विकास खण्डों में दो दिवसीय प्रशिक्षण
6	आई.ई.डी. टीचर ट्रेनिंग	अवशेष दो विकास खण्डों के अवशेष अध्यापक	अवशेष दो विकास खण्डों के अवशेष अध्यापक	अवशेष एक विकास खण्ड में अवशेष अध्यापक
7	स्पोर्ट सर्विस	प्रत्येक विकास खण्ड के 100 बच्चों को कैरेक्टिव सर्जरी व्यावसायिक प्रशिक्षण	तदैव	तदैव
8	सहायक उपकरण / यन्त्र	अवशेष 2 विकास खण्ड	तदैव	अवशेष एक विकास खण्ड
9	हेल्पिंग डेव आई. इ.पी. निर्माण	प्रत्येक विकास खण्ड	तदैव	तदैव
10	फाउण्डेशन कोर्स	2 विकास खण्डों के एन.पी.	तदैव	एक विकास

		आर.सी./ए.वी.आर.सी.		खण्ड के एन.पी. आर.सी./ए.बी. आर.सी.
11	समेकित खेलकूद प्रतियोगिता व पी. टी.आई. ट्रेनिंग दिल्ली	9 ब्लाक स्तरीय 1 जिला स्तरीय 1871 9 ब्लाक में ट्रेनिंग देंगे।	तदैव	तदैव
12	ब्रिज कोर्स ,	20 बच्चों का न्याय पंचायत स्तरीय 3 ब्लाक	तदैव	तदैव
13	स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड/पंजिका मुद्रण	सम्पूर्ण जनपद	तदैव	तदैव

अध्याय–9

जनपद में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सम्बर्द्धन का ढ़ांचा

प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु राष्ट्र स्तर एन0सी0आर0टी0 तथा प्रदेश स्तर पर एस0सी0आर0टी0 एवं जनपद स्तर पर डायट जैसी संस्थायें कार्य कर रही हैं। जनपद मैनपुरी में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्द्धन के लिए 1 अप्रैल 2000 से पॉच वर्षीय जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान की धारा–45 में निहित आवधारणा को प्राप्त करना है।

जनपद में उक्त उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी अपने नेतृत्व में अकादमिक सहयोग प्रदान कर रहा है। जिसके अन्तर्गत 9 ब्लाक संसाधन केन्द्रों एवं 503 ग्राम पंचायत स्तर पर 80 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गयी है। जिनके कार्य का संचालन करने के लिए जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स0 अ0 को चयन परीक्षा के द्वारा समन्वयक सह–समन्वयक हेतु न्याय पंचायत समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही, डायट स्तर दर उन्हें पॉच दिवसीय आधार भूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा अनुसमर्थन हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा अनुसमर्थन हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण ब्लाक समन्वकों एवं न्याय पंचाययत समन्वयकों के साथ–साथ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों को भी दिया गया।

इसी सन्दर्भ में शिक्षक प्रशिक्षक प्रशिक्षण के लिये जनपद के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को चयन परीक्षा के द्वारा चयनित कर जनपद के बाहर डायट में शिक्षण प्रशिक्षकों को 8 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षकों को प्रभावशाली प्रशिक्षण देने के लिए पुनः 8 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर दिया गया जिसमें ब्लाक समन्वयक सहसमन्वयक एवं न्याय पंचायत समन्वयकों को भी सम्मिलित किया गया। तत्पश्चात जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) के द्वारा प्रस्तावित एवं प्रचार्य डायट द्वारा अनुमोदित कार्य क्रमानुसार जनपद में ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर सेवारत अध्यापकों को आठ दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। जिसके फालोअप के लिये बी0आर0सी0 एवं एस0पी0आर0सी0 प्रभारियों को नियुक्त किया गया। जिनमें प्राथमिक विद्यालयों का भ्रमण एवं शैक्षिक अवलोकन कर श्रेणीबद्ध किया गया और कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक अधिगम सामग्री का निर्माण कराया गया है।

प्राथमिक शिक्षण में उत्तरोत्तर विकास के लिये सामुदायिक सहभागिता की भी आवश्यकता अनुभव की गयी। सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने लिये प्रशिक्षित जिला सन्दर्भ समूह सदस्यों के चयनित बी.आर.जी. के सदस्यों ने मानक के आधार पर गठित 50 प्रतिशत प्रथम चक्र में ग्राम शिक्षा समितियों के सदयों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया।

तत्पश्चात यह अनुभव किया गया कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की गयी परन्तु फिर भी कुछ क्षेत्र इस योजना के दायरे से अछूते रह गये जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नहीं दिया जा सका यथा–

1. उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जा सका।
2. अशासकीय उच्च प्राथमिक/हाईस्कूल/इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 तथा 1–5 के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं, कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति में सुधार और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया।
3. मकतब, मदरसों में अध्ययनरत बच्चों तथा कार्यरत शिक्षक भी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से लाभान्वित न हो सके।

जनपद में शिक्षा का प्रसार, प्रचार एवं विकास हेतु निम्न विवरणानुसार विद्यालय संचालित हो रहे हैं–

1. प्राथमिक विद्यालय–1203
2. उच्च प्राथमिक विद्यालय–200
3. जनपद में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या (6–8 संचालित है–96)
4. जनपद में ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की संख्या–130
5. महाविद्यालय की संख्या–04
6. ऑगन वाडी केन्द्र–188
7. नवोदय विद्यालय –1
8. आश्रम पद्धति विद्यालय –01
9. पॉलीटेक्नीक –01
10. आई0टी0आई –1
11. कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र –13

स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी :

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी को महत्वपूर्ण माना गया है। जिसके अन्तर्गत 0–3 वय वर्ग के बच्चों के लिये परियोजना के पहले से संचालित ऑगन वाडी केन्द्रों में से 30 शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में चयन किया है जिसके संचालन के लिये कार्यकत्रियों/सहयिकाओं को रखा गया है तथा 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर दिया गया है और इन्हें मानदेय के रूप में 250/– की व्यवथा की गयी है। समय–समय पर इनके लिये प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गयी है।

आंगन बाड़ी कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण

सम्मिलित वि0 खण्ड	योग	प्रशिक्षित कार्यकत्रियां
बेवर व करहल	02	203

इनकेन्द्रों के लिये खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु 2500/– और आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रु 1500/– प्रदान किया जाता है। ये केन्द्र प्राथमिक विद्यालय के साथ–साथ चलाये जा रहे हैं। इन केन्द्रों का समय दो घंटे रखा गया ताकि बच्चे भविष्य में समीपस्थ विद्यालय में रूकने की आदत बना सके। इन केन्द्रों के खोलने से वातावरण सृजन होगा और ऐसे बालक/बालिकाओंको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जो घर पर छोटे बच्चों की देखभाल करते हो। इस योजना से अत्यधिक लाभ प्राप्त हो रहा है।

1. विद्यालय में छात्रों के नामांकन में वृद्धि।
2. विशेष कर बालिका नामांकन में वृद्धि।

3. बाल विकास परियोजना द्वारा पूर्व से संचालित जनपद–मैनपुरी के विकास खण्ड –करहल, बेवर में169 ऑगनवाड़ीकेन्द्र चलाये जा रहे थे जिनकी देख रेख जिला कार्यक्रम अधिकारी करते है। इन्हीं केन्द्रों में से वर्ष 2000–2001 में 30 केन्द्रों को चयनित किया गया।

4. शिक्षा के प्रति बच्चों में रूचि उत्पन्न हुई।

5. विद्यालय में रूके रहने की आदत पड़ी है।

6. जो बच्चे अपने छोटे भाई बहिनों की देख रेख हेतु घर पर रह जाते थे उनके लिये खास कर ऐसी लड़कियों के लिये जो विद्यालय नहीं आती थी अब आने लगी।

ग्राम शिक्षा समिति

संविधान के अनुच्छेद 45 में निहित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सामुदायिक सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। समुदाय की सहभागिता को सुनिष्चित करे के लिये ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है। जिसमें नवीन संसोधन के अनुसार ग्राम प्रधान समिति का अध्यक्ष होता है और उस ग्राम सभा में आने वाले प्राथमिक विद्यालयों का ज्येष्ठतम प्रधानाध्यापक समिति का सचिव होता है। तीन अभिभावक सदस्य जिसमें एक महिला सदस्य होती है जो प्रति उपविद्यालय निरीक्षक द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। इस प्रकार ग्राम शिक्षा समिति में कुल 5 सक्रिय सदस्य रखे गये है। इसके अतिरिक्त ऐसे सदस्यों को रखा जाता है जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर सकने की इच्छा रखते है। शिक्षा समिति प्राथमिक शिक्षा में सुधार, गुणवत्तामक स्कूली शिक्षा दिलाने में सहयोग तथा स्कूल जाने की उम्र होने

पर सभी बच्चों को स्कूल जाने के लिये प्रेरित करना एवं शिक्षकों के कार्यो का पर्यवेक्षण करती है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपद मैनपुरी में 254 ग्राम शिक्षा समितियों को डायट के नेतृत्व में तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रथम चक्र में दिया गया तथा शेष समितियों का प्रशिक्षण वर्तमान में संचालित है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिये सर्वप्रथम जिला संसाधन समूह तथा ब्लाक संसाधन समूह का गठन किया गया जिसमें नेहरू युवा केन्द्रों के स्वयं सेवकों, अवकाश प्राप्त शिक्षकों, महिला मंगल दल को सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। बी0आर0जी0 के सदस्यों को डी0आर0जी0 के सदस्यों द्वारा डायट स्तर पर चार दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया तथा बी0आर0जी0 सदस्यों ने विकास खण्ड वार ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया, जो निम्न बिन्दुओ पर आधारित था–

1. ग्राम शिक्षा योजना बनाने का अभ्यास
2. प्रतिभागिता उपागम रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास
3. विद्यालय मानचित्रण, सूक्ष्म नियोजन, सूचनाओं का एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं समस्याओं की पहचान तथा समाधान सम्बन्धी अभ्यास कार्य।

सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने के लिये ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक प्रभावशाली एवं क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान के लिये आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मानचित्रण, तथा माइकक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये जिसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार की जा रही है। ये

ग्राम शिक्षा योजनाये विद्यालय स्तर पर ही गठित होकर अपे कार्य को व्यवहारिक रूप दे रही है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान तथा स्कूल न जाने के कारणों का पता लगाने के लिये सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का भी कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के 'संकल्प एवं प्रयास' नामक मॉडयूल तथा एक कार्य पुस्तिका का प्रयोग किया गया जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित है।

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है जिससे स्कूल के क्रियाकलापों का स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूल न आने वालेबच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

परन्तु जनपद मैनपुरी का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अधिकांश अभिभावक कृषि कार्य में समय अधिक देते है और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में सहयोग नहीं कर पाते हैं। बच्चों की शिक्षा में परिवार के सहयोग का प्रश्न सन्तोषप्रद नहीं है क्योंकि जीविकोपार्जन हेतु अधिकांश परिवार के लोग कृषि कार्य में लगे रहते है। साथ ही साथ अशिक्षित भी हैं। अतः बच्चों को अधिक शैक्षिक वातावरण नहीं दे पाते है। यहॉ तक कि जो बच्चों को गृहकार्य दिया जाता है उसमें कोई सहयोग नहीं दे पाते हैं और कार्य की अधिकता के कारण यह भी सुनिश्चित नहीं कर पाते कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है अथवा नहीं। अभिभावक यह सारा उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक और अध्यापक का मानते है तथा अपेक्षित सहयोग नहीं देते हैं।

शिक्षकों का सहयोग एवं समर्थन :

गुणवत्ता परक शिक्षण विशेषकर छात्रों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि और कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया में परिवर्तन लाने में शिक्षक की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भोगांव मैनपुरी द्वारा अपने नेतृत्व में शिक्षक की कार्यकुशलता एवं क्षमता और उनके विषय वस्तु में ज्ञान वृद्धि में उपेक्षित परिवर्तन लाने के लिये बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन होने से पूर्व तथा वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिये संस्थान में आयोजित एस0ओ0पी0टी0 प्रशिक्षण के दौरान जो कठिनाइयॉ अनुभव की गयी वे इस प्रकार से है :—

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधी जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हो सभी के लिये एक समान थी।
2. प्रशिक्षण में सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका। निश्चित संख्या में ही शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।
3. प्रशिक्षणोपरान्त (फॉलोअप) खासकर विकास खण्ड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी और न ही प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षण प्रभाव देखने को मिला।

इन अनुभवों के आधार पर डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्राथमिक परिषदीय अध्यापकों के लिये प्रतिवर्ष प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता अनुभव की गयी है। इसी व्यवस्था के तहत ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, आचार्यों और अनुदेशकों को प्रशिक्षण दिया गया और प्रतिवर्ष इसी तरह दिया जायेगा। डायट स्तर पर शिक्षक–प्रशिक्षकों और

सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसी क्रम में डायट के प्रवक्ताओं द्वारा शैक्षिक सपोर्ट देने हेतु एक एक विकास खण्ड का मेण्टर (ब्लॉक प्रभारी) नियुक्त किया गया। सम्बंधित मेण्टर (ब्लॉक प्रभारी) ब्लाक/न्याय पंचायत स्तरीय संसाधन केन्द्रों पर आयोजित बैठकों में जाकर शैक्षिक समस्याओं का समाधान कर अकादमिक सहयोग प्रदान करते हैं। प्रत्येक माह 2 एन0पी0आर0सी0 और दो प्राथमिक विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है और यथा स्थान शैक्षिक सहयोग भी दिया जाता है। इसी प्रकार बी0आर0सी0 के समन्वयक अपने विकास खण्ड के विद्यालयों का नवीतम शासनादेश के अनुसार पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक सपोर्ट करते हैं और उन्हें गुणवत्ता के आधार पर श्रेणी प्रदान करते है। एन0पी0आर0सी0 के संकुल प्रभारी भी अपने क्षेत्र के विद्यालयों का अनुश्रवण कर शैक्षिक सपोर्ट देते है। प्रति माह बी0आर0सी समन्वयक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पर डायट की अकादमिक संसाधन समूह की बैठक में कठिनाइयों के निवारण हेतु रखकर कार्यक्रम बनाये जाते हैं और कठिनाइयों का अकादमिक सहयोग देकर समाधान किया जाता है।

जनपद में स्कूलों की ग्रेडिंग के अनुसार स्थिति (माह अक्टूबर 2001)

विकास खण्ड	स्कूलों की संख्या जिनका निरीक्षण हुआ	श्रेणी				पर्यवेक्षक डायट मेण्टर
		ए	बी	सी	डी	
बेवर	119	04	19	63	33	
करहल	85	03	15	46	21	
किश्नी	78	00	08	50	20	
कुरावली	81	00	13	53	15	
घिरोर	126	11	23	37	55	
जागीर	92	00	21	46	25	

मैनपुरी	117	03	23	57	34	
सुल्तानगंज	71	02	15	38	16	
बरनाहल	87	02	17	40	28	
योग						

स्रोत– डायट भोगॉव मैनपुरी

विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षण के दौरान जो समस्यायें चिन्हित की जाती है उनका निस्तारण मासिक बैठकों, कार्यशालाओं में किया जाता है। सहयोग और समर्थन की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने की दिशा में कुछ ओर नवाचार खोज कर प्रयुक्त किये जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षक :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण निम्नवत आयोजित किये जा रहे है–

सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण सितम्बर 2001 तक की स्थिति

(प्रशिक्षण में प्र.अ./स.अ./सह एवं न्याय पंचायत समन्वयक, शिक्षा मित्र सम्मिलित किये गये)

क्र0	विकास खण्ड	प्रतिभागी पुरूष	प्रतिभागी महिला	योग
1	मैनपुरी	267	248	515
2	जागीर	205	60	265
3	धिरोर	195	30	225
4	करहर	212	42	254
5	कुरावली	229	49	278
6	बरनाहल	153	16	169
7	बेवर	321	85	406
8	किशनी	303	57	306
9	सुल्तानगंज	286	100	386
	योग	1171	687	2858

स्रोत–डायट भोगॉव

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को पॉच चक्रों को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2001 के मई–सितम्बर में शिक्षकों को प्रथम चक्र

का प्रशिक्षण उक्त तालिका अनुसार दिया जा चुका है जो ब्लाक स्तर दर आयोजित किये गये है। ब्लाक स्तर पर ब्लाक समन्वयकों, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) के सहयोग से डायट के निर्देशन में प्रशिक्षणों की व्यवस्था की गयी।

प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षकों का चयन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को खुली चयन प्रतियोगिता के द्वारा किया गया और उन्हें इस कार्य को सम्पन्न कराने हेतु प्रशिक्षण जनपद के बाहर प्रदानकिया गया है।

प्रथम चक्रीय प्रशिक्षण 'शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण' आठ दिवसीय आयोजित किये गये। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार थे :–

1. शिक्षकों को अभिप्रेरित कर अपने दायित्वों के प्रति जागरूक बनाना।
2. शिक्षकों में वच्चों के प्रति समन्वय विकसित करना। सीखने सम्वन्धी वच्चों की कठिनाइयों को समझाना और उनके प्रति संवेदनशील बनाना।
3. शिक्षण में बच्चों की सक्रियता और भागीदारी बढ़ाना।
4. कक्षा का वातावरण जिज्ञासापूर्ण बनाना।
5. सहायक सामग्री का कक्षा शिक्षण में प्रयोग करने से कक्षा शिक्षण रोचकता लाना।
6. गतिविधि आधारित शिक्षण करना।
7. वंचित वर्ग विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा में कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील तथा स्थानीय समुदाय से सहयोग प्राप्त करना।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिये डी0पी0ई0पी0 योजना में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस दृष्टि से इन शिक्षकों के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत प्रशिक्षणों की आवश्यकता है।

जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योगयता व अनुभव की स्थिति का विवरण

क्र0	शैक्षिक योग्यता	प्राथमिक स्तर	उच्च प्रा0 स्तर
1	शिक्षकों की कुल संख्या	2733	690
2	हाई स्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षक	25	00
3	केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	425	02
4	केवल इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अप्रशिक्षित	65	00
5	स्नातक अप्रशिक्षित	15	00
6	परास्नातक अप्रशिक्षित	03	00
7	इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित	1310	389
8	स्नातक प्रशिक्षित	810	195
9	परास्नातक प्रशिक्षित	210	96

स्रोत – डायट भोगॉव, मैनपुरी

पिछले पृष्ठ की सारणी से स्पष्ट होता हे कि प्राथमिकविद्यालय में 25 शिक्षक हाई स्कूल से कम योग्यता वाले है जिन्हें विभिन्न विषयों की विषय वस्तु का ज्ञान देने की विशेष आवश्यकता होगी। शिक्षकों की जानकारी तथा अन्य शिक्षण विधियों की जानकारी दिये जाने की आवश्यकता होगी।

क्र0	शिक्षण अनुभव	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1	5 वर्ष से कम	652	96
2	5–10 वर्ष तक	608	72
3	11 से 15 वर्ष तक	650	133
4	16 से 20 वर्ष तक	189	88
5	21 से 25 वर्ष तक	204	123
6	26 से 30 वर्ष तक	288	69
7	30 वर्ष से अधिक	142	68
	योग	2733	649

स्रोत : डायट भोगॉव मैनपुरी

सारणी से स्पष्ट होता है कि जनपद में 652 शिक्षक 5 वर्ष से कम अनुभव वाले है। इनको नवीनतम शिक्षण विधाओं, बहुकक्षा शिक्षण, विद्यालय समय सारणी, कक्षा प्रबन्धन आदि को विशेष जानकारी उपलब्ध करानेकी

आवश्यकता होगी। सारणी के अनुसार 430 शिक्षक 26वर्ष या उससे अधिक सेवा अवधि वाले है। इनके ज्ञान को नवीन विषय वस्तु के अनुसार अद्यतन करने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ नवीन पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण करने के लिये इसकी जानकारी दिये जाने की आवश्यकता होगी।

योग्य, उत्साही तथा नवाचार कार्यक्रमों को संचालित करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित/पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। विद्यालय का भवन व उसके आस पास का वातावरण स्वच्छ व सुदर बनाने के लिये शिक्षकों, छात्रों तथा अभिभावकों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता हैं जिसके लिए डायट स्तर से निम्न कार्य एवं प्रशिक्षण सम्पादित किये गये हैं जिनका विवरण वर्षवार दिया जा रहा है।

क्र0	कार्य/प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रतिभागी संख्या	वर्ष
1	स्कूल विजनिंग कार्यशाला	04 दिवस	116	2000–01
2	वी0आर0जी0 प्रशिक्षण	04 दिवस	247	2000–01
3	ब्लाक सम0/सह सम0/न्याय0 सम0 प्रशिक्षण	07 दिवस	103	2000–01
4	सेवारत प्रशिक्षण से पूर्व ब्लाक समन्वयक/सह सम0/न्याय0सम0	10 दिवस	31	2000–01
5	आंगनवाडी कार्यकत्री प्रशिक्षण	07 दिवस	35	2000–01
6	शैक्षिक सपोर्ट एवं गुणवत्ता सम्वर्धन हेतु प्रशिक्षण	03 दिवस	108	2000–01
7	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण	30 दिवस	78	2000–01
8	आचार्य जी/अनुदेशक प्रशिक्षण	30 दिवस	89	2000–01
9	ब्लाक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	08 दिवस	2856	2000–01
10	उच्च प्राथमिक अंग्रेजी अध्यापकों का एस0ओ0पी0टी0 प्रशिक्षण	07 दिवस	39	2001–02
11	उच्च प्रा0 विज्ञान अध्यापकों का एस0ओ0पी0टी0 प्रशिक्षण	10 दिवस	77	2001–02
12	शिक्षामित्र पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण	15 दिवस	129	2001–02
13	आचार्य जी/अनुदेशक पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण	15 दिवस	84	2001–02

14	हाई स्कूल विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण	10 दिवस	135	2001–02
15	शिक्षामित्र प्रशिक्षण	30 दिवस	21	2002–03
16	शिक्षामित्र पुर्नवोधात्मक प्रशिक्षण	15 दिवस	53	2002–03
17	हाई स्कूल गणित अध्यापक प्रशिक्षण	10 दिवस	27	2002–03

प्रशिक्षणों का प्रभाव :

ग्राम वासियों, पर्यवेक्षकों से वार्ता करने तथा बच्चों से जानकी करने पर पता चला है कि शिक्षकों में जागरूकता बढ़ी है। सहायक सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हो रहा है। बच्चों की कक्षा में भागीदारी बढ़ी है। गतिविधियों के प्रयोग से विशेषकर छोटी कक्षाओं के बच्चों में रूचि बढ़ी है और उनके लिये शिक्षा आनन्ददायी हुई है। बच्चे कक्षा में सक्रिय नजर आते हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में एक ही स्थान पर दो या अधिक कक्षायें लगायी जाती है जिसमें गतिविधि आधारित शिक्षण से दूसरी कक्षाओं के शिक्षण में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही गतिविधियों के लिये कक्षा में पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है। एकल अध्यापक विद्यालयों में सभी कक्षाओं के संचालन में भी कठिनाई होती है।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रशिक्षण संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण डायट द्वारा किया जाता है। डायट स्तर पर जनपद के संदर्भ व्यक्तिओं का प्रशिक्षण जैसे बी0आर0जी0 का प्रशिक्षण, टी0ओ0टी0 का प्रशिक्षण, बी0आर0सी0 और एन0पी0आर0सी0 का आधारभूत प्रशिक्षण, नवाचार कार्यशाला का आयोजन, शैक्षिक सपोर्ट कार्यशाला, विजिनिंग कार्यशाला, डी0पी0ई0पी0 के प्रशिक्षणों के अलावा बी0टी0सी0

प्रशिक्षण, एस0ओ0पी0टी0 प्रशिक्षण पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण, कक्षा शिक्षण प्रशिक्षण आदि जनपद में अकादमिक सहयोग हेतु आयोजित किये जाते हैं।

समन्वयकों की भूमिका :

वर्तमान में बी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा प्रमुखतः निम्नांकित कार्य किये ज़ा रहे–

- ब्लाक स्तर पर बी0आर0सी0 को अकादमिक सहयोग के केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जहॉ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन आयोजन और फालोअप का कार्य, विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन कर उन्हें फीडबैक प्रदान करते है।
- वार्षिक कार्य योजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते है।
- शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते है।
- एन0पी0आर0सी0 के आंकड़ों का संकलन।
- डायट के मार्गदर्शन में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते है।

एन0पी0आर0सी0समन्वयकों की भूमिका :

न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक, अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रीय बिन्दु एन0पी0आर0सी0 है। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म निरयोजन तथा विद्यालय मानचित्रण, ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर

आदान प्रदान करना, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन0पी0आर0सी0 के प्रमुख कार्य है। इनके अलावा समन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत है–

1. शिक्षकों की मासिक बैठक तथा कार्यशालाओं का आयोजन
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बाल गणना तथा ई0एम0आई0एस0 आकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चैकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
5. बी0आर0सी0 को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का अदान प्रदान करना।
6. कृत कार्यों तथा कार्यक्रमों की आख्या तैयार कर बी0आर0सी0 तथा डायट को भेजना।

प्रोत्साहन योजनायें :

ग्राम शिक्षा समिति का प्रभावी सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समितियों को पुरस्कारों की व्यवस्था की गयी है। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिये सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद में 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये समय बद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बालक तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी है जिसके फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिये पोषाहार

कार्यक्रम चलाया गया जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब अभिभावकों को भी सहारा मिला। उक्त योजना से नामांकन तो बढ़ा ही है तथा ह्रास की समस्या पर भी अंकुष लगा है। छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सभी बालक/बालिकाओं तथा पिछड़े वर्ग के कुछ बच्चों को ही दिया जाता है। पोषाहार योजना का लाभ विद्यालय के सभी बालक/बालिकाओं को प्रतिमाह प्राप्त होता है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत 1.70 लाख बालक बालिकाओं को की गयी है। बालक/बालिकायें को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा। शासन की नवीनतम घोषणानुसार समस्त बच्चों का निःशुल्क बीमा भी करना प्रस्तावित है।

डायट के प्रवक्ताओं के द्वारा प्रत्येक माह अपने आबंटित विकास खण्डों में निरीक्षण तथा अनुश्रवण और क्लास रूम स्टडी से शिक्षकों की अकादमिक समस्यायें ज्ञात हुई है। लम्बे समय से शिक्षण करने वाले अध्यापक नवीन शिक्षण विद्या को मानसिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं होते है। परम्परागत ढंग से ही शिक्षण कार्य करने में विश्वास करते है। कुछ अध्यापक अपनी शैक्षिक योग्यता की कमी के कारण नवीन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को ज्ञान के अभाव में बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। अध्यापकों का कहना है कि नयी विधा से शिक्षण कार्य करने पर पाठ्यक्रम को पूर नहीं किया जा सकता है। न उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का मानना है कि प्राथमिक विद्यालय से आकर उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रवेष लेने वाले छात्र सभी विषयों में न्यूनतम अधिगम स्तर के मानक को पूर्ण नहीं कर पाते हैं।

स्कूलों में अध्यापकों की स्थिति

परिषदीय विद्यालय	एक शिक्षक विद्यालय	दो शिक्षक विद्यालय	तीन शिक्षक विद्यालय	चार शिक्षक विद्यालय
प्राथमिक स्तर	78	427	455	210

स्रोत– डायट भोगॉव, मैनपुरी

शैक्षिक सम्प्राप्ति के अनुसार छात्रों का स्तर :

डी0पी0ई0पी0_के अन्तर्गत छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिये कक्षा दो तथा कक्षा पॉच के छात्रों का भाषा एवं गणित का परीक्षण आधारभूत सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1999–2000 में चयनित 50 परिषदीय विद्यालयों के छात्रों का किया गया, जिसका मूल्यांकन करने के उपरान्त परिणाम इस प्रकार था–

आधार भूत सर्वेक्षण– 1999–2000 से प्राप्त शैक्षिक सम्प्राप्ति

कक्षा	विषय	उपलब्धि प्रतिशत में	छात्र संख्या
2	भाषा	39.65	765
2	गणित	40.75	765
5	भाषा	38.56	633
5	गणित	12.47	633

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–3 के क्रियान्वयन के तहत कराये गये विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के पुनर्मूल्यांकन हेतु वर्ष 2002–03 में मध्यावधि सर्वेक्षण हुआ जिसका परिणाम इस प्रकार है–

मध्यावधि सर्वेक्षण– 2002–03से प्राप्त शैक्षिक सम्प्राप्ति

कक्षा	विषय	उपलब्धि प्रतिशत में	छात्र संख्या
2	भाषा	62.8	844
2	गणित	73.39	844
5	भाषा	36.58	686
5	गणित	35.79	666

उपर्युक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि जनपद की शैक्षिक सम्प्राप्ति में अपेक्षाकृत काफी वृद्धि हुयी है जो विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का सुपरिणाम है।

विशेष बच्चों के बारे में :

संविधान की धारा 45 में 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षित करने की बात कही गयी है ऐसी स्थिति में समाज में पाये जाने वाले विशेष बच्चों को जिला प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। समाज के सभी बच्चों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। सभी बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन हो, ठहराव हो, और वे कक्षा–5 स्तर तक की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

समाज में कुछ बच्चे ऐसे भी है जो विद्यालयी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इनमें बाल श्रमिक, खेतिहर बाल श्रमिक, मलिन वस्तियों में रहने वाले बच्चे, विकलांग बच्चे आते हैं जो अपनी कठिनाइयों/समस्याओं, परिस्थितियों के कारण विद्यालय नहीं आ पाते हैं। इनके विद्यालय से न जुड़ने के कारण शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं होता है।

उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने के लिये उनके माता–पिता तथा अभिभावकों से सम्पर्क कर उनसे मानसिक रूप से जुडकर उनकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा इन बच्चों में आत्मविश्वास जाग्रत करने की आवश्यकता है।

इन विशेष बच्चों की पहचान कर उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिये शिक्षकों को डायट स्तर पर विशेष रूप से प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

बालि श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक व्यवस्था से जोड़ना कठिन है। अतः इन बच्चों के लिये वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालय में निर्धारित समय सारणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचरिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र 6 वर्ष को भी प्रायः पार कर जाते हैं। अतः इनका प्रवेश कक्षा 1 के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम को निर्धारित अवधि 8 वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है।

एस0एस0ए0 के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण–

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद मैनपुरी में 6–14 वय वर्ग के सभी बाल–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार है–

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई0जी0एस0 केन्द्र तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे कक्षा 5 तक की शिक्षा पूरी करे, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।

3. सभी बच्चे कक्षा आठ वर्ष तक की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक/बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अन्तर को 2007 तक तथा समग्र प्रारम्भिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों को स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में समुदाय, शिक्षक, बच्चे तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व प्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिये जनपद का एक विजन विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद, विकास खण्ड, न्यायपंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेंतु 4 दिवसीय विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्व प्रथम जनपदस्तरीय अभिकर्मियों तथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकास खण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिये डायट स्तर पर विजनिंग कार्यशालायें आयोजित की जायेगी, जिनमें समुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियां तय की जायेगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अन्तर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों

के प्रति समान विचार अवधारणायें बन सके। शिक्षकों के लिये भी विजंगि कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

जनपद में कार्यरत शिक्षकों की कार्यकुशलता तथा उनके शिक्षण कौशलों में अभिवृद्धि और उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिये शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित होने की बजाय सेवारत प्रशिक्षणों को सतत प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजित किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी0आर0सी0 स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिये तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें बी0आर0सी0 और मुख्यतः एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये जायेंगें प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिये नियमित आधारपर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण अनुभवों वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा बहुकक्षा शिक्षण बहुस्तरीय शिक्षण विधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ावा, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिये विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तुओं के बेहतर ओर प्रभावी उपयोग आदि के सम्बन्ध में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण :

सर्व प्रथम पहली वर्ष शिक्षकों के लिये आयोजित प्रशिक्षण 10 दिवसीय होगा जिसमें समुदाय, बच्चों और शिक्षकों को अभिप्रेरित करने के साथ–साथ पाठ्य पुस्तकें पर भी आधारित होगा क्योंकि परियोजना को इस तरह से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पहली बार इस प्रकार प्रशिक्षण दिया

जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक अध्यापकों, प्रधान, अध्यापकों ओर शिक्षा मित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरान्त इसी के अनुक्रम में लघु अबोध के प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें भी आयोजित की जायेगी, जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. विजनिंग कार्यशालायें तीन दिवसीय एन.पी.आर.सी. स्तर पर।
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
3. मैटीरियल मेला एक दिवसीय एन0पी0आर0सी0 स्तर पर
4. विकास खण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फोलो अप के अन्तर्गत एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक प्राक्षिण/कार्यशालायें जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर आधारित होगी। ये वर्ष के 6 महीनों में आयोजित की जायेगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी0आर0सी0 और डयट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु 70 की दर से व्यय अनुमानित रु. 75 लाख की धनराशि प्रस्तावित है। द्वितीय वर्ष से इसी प्रकार भाषा तथा गणित की विषय वस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इन 8 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरान्त तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें भी आयोजित की जायेगी। जिनका विवरण इस प्रकार–

1. बहुकक्षा तथा बहुस्तरीय शिक्षण सम्बंधी तीन दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण ब्लाक स्तर आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों उसके आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबन्धन आदि विन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। मासिक प्रशिक्षण कार्यशालायें वर्ष के 6 महिनों में आयोजित की जायेगी जिसका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।
2. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालायें आयोजित की जायेगी जिसमें न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।
3. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर सामग्री विकास, गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठयोजनाओं की प्रस्तुति तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. कक्षा शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बन्धी 2 दिवसीय कार्यशाला एन0पी0आर0सी स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन 70 रु की दर से अनुमानित 50 लाख धनराशि प्रस्तावित है।

पूर्व वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों ओर फीडवैक के आधार पर किया जायेगा इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु 70 की दर से रु 50 लाख अनुमानित प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक–एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठय पुस्तकों का कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के सम्बन्ध में होगा।
2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा बच्चे तथा शिक्षक है, ऐसे शिक्षकों के लिये उर्दू विषय से सम्बन्धित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं इससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षों से अधिक है उनके लिये नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।
5. नव नियुक्त सहायक अध्यापकों के लिये 10 दिवसीय सेवापूर्व प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर अध्यापक बनेंगे उनके लिये तथा प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिये भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण

आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व समय प्रबन्धन, विद्यालय अभिलेखों के रख रखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अतः उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये भी प्रतिवर्ष प्रशिक्षण की व्यवथा की जायेगी। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक एवं हाईस्कूल इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 तक बढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है एवं सभी शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर तक वृद्धि करने की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत आयोजित किये जायेंगे।

प्रथम वर्ष में उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान विषय पढाने वाले शिक्षकों को विज्ञान विषय की विषय वस्तु शिक्षण, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण अधिगम सागाग्री निर्माण हेतु 8 (आठ) दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसी के तहत विकास खण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठय पुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठयोजना तथा सम्बन्धित पाठगत अधिगम शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 (तीन) दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के प्रभाव को जानने के लिये डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालायें एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी जिसके आधार पर कम से कम 6 माह में एक

आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 1 दिवसीय अधिगम शिक्षण सामग्री मेला का आयोजन किये जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी तरह बी0आर0सी0 स्तर पर भी एक दिवसीय उक्त मेलो का आयोजन किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु. 70/– के हिसाब से अनुमानतः रु. 15 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में गणित विषय के शिक्षको की गणित विषय की विषय वस्तु, शिक्षण सामग्री निर्माण तथा उपयोग सम्बंधी 08 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसी अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठयक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा पाठगत सम्बन्धित अधिगम शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के प्रभाव को ज्ञात करने के लिये डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालायें एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगां इसी सन्दर्भ में एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला वी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षण प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन 70/– के हिसाब से अनुमानतः रुपया 15 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी एवं संस्कृत विषय के प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 6 दिवसीय होगा। इसी सन्दर्भ में विकास खण्ड स्तर पर अंग्रेजी एवं संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति,

पाठयोजना तथा सम्बन्धित शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के प्रभाव को ज्ञात करने के लिये डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डे के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण एवं कार्यशालायें एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। इसी सन्दर्भ में भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः वी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक दिवसीय कार्यशालायें आयोजित की जायेगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों में प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन 70/– के हिसाब से अनुमानित 15 लाख रुपया प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिये हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के सन्दर्भ में बी0आर0सी0 स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी। भाषा शिक्षण हेतु पाठ्य पुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी एवं प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण सम्बन्धी 2 दिवसीय कार्यशालायें एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेंगी। प्रशिक्षण प्रभाव को जानने के लिये डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा के आधार पर एन.पी0आर0सी0 स्तरीय बैठकें (मासिक) 6 माह में सुनिश्चित की जायेगी जिनका पर्यवेक्षक एन0पी0आर0सी0 बी0आर0सी0 एवं डायट संकाय सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बन्धी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरान्त इस तारतम्य में मूल्यांकन प्रपत्र बनाने हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन0पी0आर0सी0 स्तर पर तथा एक दिवसीय कार्यशाला बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षण प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन के 70/– के हिसाब से अनुमानतः 15 लाख रुपया प्रस्तावित है।

पॉचवे वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 6 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षण के उपरान्त आगामी प्रशिक्षण की विषय वस्तु रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीड वैंक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा इसी के अनरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पॉचवें वर्ष में शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रूपये 70/– के हिसाब से अनुमानित 15 लाख प्रस्तावित है।

प्रशिक्षणों में दूरस्थ शिक्षा माध्यम का अधिकतम उपयोग किया जायेगा। सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर आयोजित किये जायेगे। उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिये कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेगे जिसका विवरण इस प्राकर से है–

1. कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण

सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुये प्रभाव तथा भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक होगा कि बच्चों को कम्प्यूटर की जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में कुल 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया

जायेगा। इस प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तदोपरान्त उच्च प्राथमिक शिक्षकों में 1 मास का प्रशिक्षण डायट में ही दिया जायेगा इस प्रशिक्षण हेतु गाडयूल का विकास डायट तथा एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी शिक्षण प्रदान करेंगे। इस प्रशिक्षण का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी। इस प्रशिक्षण हेतु अनुमानित लागत रु.1 लाख प्रस्तावित है।

2. लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण

कक्षाओं में बालिकाओं के प्रति व्यवहार में संवेदन शीलता लाने के लिये डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी थी जिसके तहत डायट स्तर से जिला व ब्लॉकस्तरीय प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। इससे प्राप्त सुपरिणामों के सापेक्ष उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक हेतु भी इस प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

3. प्र0 अ0 का नेतृत्व विषयक प्रशिक्षण :

डी.पी.ई.पी. 3 के अन्तर्गत जनपद में प्रा0 विद्यालयों में कार्यरत प्र0अ0 का नेतृत्व विषयक प्रशिक्षण सित0 –अक्टू0 2003 में निम्न तालिकानुसार प्रस्तावित है जिसे फलस्वरूप प्रधानाध्यापकों को समुदायिक व विभागीय समन्वय एवं विद्यालय के शैक्षिक/भौतिक प्रबंधन में मदद मिलेगी।

जनपद	कुल प्रा0 विद्यालय	प्र0अ0 विवरण	डायट स्तरीय टी.ओ.टी. प्रशि0 (5–10 सितम्बर 03 तक)	ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण			
				प्रथम 15–20 9/03	द्वितीय 22–27 9/03	तृतीय 28–3 10/03	चतुर्थ 5–10 10/03
मैनपुरी	1203	977 (नियमित) 226 (कार्यवाहक)	27 –	216 56	221 57	217 56	296 57
योग	1203	1203	27	272	278	273	353

इसी प्रकार सर्वशिक्षा अभियान के तहत 200 तथा 67 नवस्वीकृत कुल 267 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया जायेगा।

डायट/ब्लाक/न्याय पंचायत स्तरीय विभिन प्रशिक्षणों का विवरण–

क्र0	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	कबसे कब तक	प्रतिभागी योग
1	स्कूल विजनिंग कार्यशाला	04	2000–01	116
2	शैक्षिक सपोर्ट कार्यशाल	03	अप्रैल व अक्टूबर 2001	108
3	तीन दिवसीय शोध विद्या प्रशिक्षण (डायट संकाय)	03	फरवरी 2002	07
4	शिक्षा मित्र प्रशि0 आचार्य जी अनुदेशक प्रशिक्षण	30 दिन 30 दिन	"	177 33
5	शिक्षा मित्र पुर्नवोधालय (केवल डी.पी.ई.पी.)	15 दिन	2002–03	129
6	बहुकक्षा शिक्षण कार्यशाला	01 दिन	6.2.2003	48
7	अंग्रेजी संस्कृत कक्षा शिक्षण कार्यशाला	01 दिन	24/25 फरवरी 03	25
8	टी.एल.एम. निर्माण कार्यशाला	01 दिन	8.3.2003	56
9	सतत व्यापक मूल्यांकन कार्यशाला	01 दिन	9.3.2003	56

अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व मेंअन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. शिक्षामित्र/आचार्य जी प्रशिक्षण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में 300 शिक्षा मित्रों तथा 70 ई0जी0एस0 केन्द्रों के आचार्य जी के लिये 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा

मित्र/आचार्य जी के लिये 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण

इन केन्द्रों के अनुदेशकों के लिये आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा जो प्रति वर्ष डायट में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफेशर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास डायट द्वारा तथा एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण हेतु एन0पी0आर0सी0 के समन्वयकों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेषकों का प्रशिक्षण

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 106 शिशु शिक्षा केन्द्रों की सथापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिये 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण मॉडयूल का प्रयोग किया जायेगा। इर्स0सी0सी0ई0 केन्द्रों की कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास किया गया थां। कालान्तर में इस मॉडयल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार आधार शिला (भाग 1 व 2) प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास किया गया है।

अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के बिन्दु इस प्रकार से होगे– स्कूलरैडीनेस बच्चों की देखभाल को

प्रोत्साहित करने सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषायी कौशलों के विकास हेतु अभ्यास आदि सम्बन्धी प्रशिक्षण 7 दिवसीय होगा। इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जायेगा।

इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण कराया जायेगा। इस मॉडयूल का आगामी 3 वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदन्तर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. बी0आर0सी0 /एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया जायेगा। एस0एस0ए0 परियोजना में अशासीय सहायता प्राप्त स्थूल इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6 से 8 तक पाने वाले शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाता है। इस प्रकार बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बन्धी अकादमिक पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास राज्य स्तर पर तैयार किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित व परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा।

बी0आर0सी0/एन0बी0आर0सी0 के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षा मित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारन्टी योजना, ई0सी0सी0ई0 तथा अकादमिक पर्यवेक्षण, हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉडयूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा जिसमें

बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सके।

5. ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 प्रशिक्षण

जनपद में विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 आदि की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि में इनको 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वारा डी0बी0ई0पी0 के अन्तर्गत किया गया है। ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य विन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों एवं बी0आर0सी0, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों, ई0जी0एस0 केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण। ई0एम0आई0एस0 माइक्रोप्लानिंग तथा समुदायिक कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण :

स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की सहभागिता बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिका नामांकन शतप्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाये बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस0एस0ए0 के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत किया गया हैं जिसे वर्तमान

आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशोधित/परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे – ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्रों में डब्लू0एम0जी0/एम0टी0ए0/पी0टी0ए0 युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फल स्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ो और स्कूल विकास योजनायें प्राप्त होती हैं इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूल के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. एस0एस0ए0 परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। ये प्रशिक्षण प्रथम 5 वर्ष में आयोजित होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के सम्बन्ध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यकतानुसार रिफ्रेसर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

8. शिक्षण समय को बढ़ाना

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारणी का अध्ययन किया जायेगा प्राथमिक विद्यालय में समय सारणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता है। वर्ष में 220 दिन कुल कार्यदिवस के लिए खुला अतः 165 दिवस शिक्षण के लिए शेष रहा।

क्र0	दिवस	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1	कुल कार्य दिवस	220	220
2	शिक्षण दिवस	165	165
3	परीक्षा	10	10
4	अन्य कार्य	15	15
5	नष्ट हो जाने वाले दिवस	10	10
6	समुदाय से सम्पर्क	10	10

स्रोत डायट भेगाँव मैनपुरी

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहित)

क्र0	विषय	प्राथमिक स्तर समय/वादन	उच्च प्राथमिक स्तर समय/वादन
1	भाषा 1 हिन्दी	प्रति घण्टा 40 मिनट ×9	प्रति घं0 40 मि0×6
2	भाषा 2 अंग्रेजी	" ×3	" ×6
3	भाषा 3 संस्कृत	" ×3	" ×6
4	विज्ञान	" ×6	" ×6
5	गणित	" ×9	" ×9
6	समाजिक विषय	" ×6	" ×6
7	समाजोपयोगी कार्य	" ×6	" ×3
8	कला शिक्षण	" ×3	" ×3
9	अन्य प्रशिक्षण शारीरिक	" ×3	" ×3

डायट भोगॉव मैनपुरी

उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 165 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 165 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्युनतम 220 कार्य दिवस सुनिश्चित किये जोने के निर्देश है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षाओं समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्य में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहे। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समय के अधिकतम उपयोगी हेतु शिक्षक को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने मानव संसाधनों का विद्यालय गतिविधियों में उपयोग आदि को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्य पुस्तकों को जुलाई 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालय में लागू किया गया। इन पाठ्य पुस्तकों का उपयोग सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा तदोपरान्त एस0सी0ई0आर0टी0 उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों का यथा आवश्यक संशोधन किये जाने पर तदनुरूप पाठ्य पुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण से लगभग 1.70 लाख बालक तथा बालिकायें लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 2.50 लाख रू व्यय होगा। नवीन पाठ्य पुस्तकों के आधार

पर विकसित शिक्षक संदर्शिकायें जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गयी थी। उन्हें सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानित रूपये 1.50 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस कार्य हेतु बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा कक्षा 6–8 के लिये संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्य पुस्तकों का विकास इस सी0आई0आर0टी0 के तत्वाधान में किया जा रहा है। ये पाठ्य पुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संस्थानों राज्य सन्दर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों वाहय विशेषज्ञों आदि के सहायोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकासित की जा रही है इन पाठ्यपुस्तकों को फोर्ट टाइलिंग वर्ष 2003–04 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई 2003 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र से इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षित संदर्शिका प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अल्पसंख्यक रागी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के

बालकों को एंव प्राथमिक विद्यालयों के सभी बालिकाओं एवं अनुसूचित जनजाति के बालकों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जयेंगी। इसमें लगभग 421000 बच्चे लाभान्वित होंगे। इस पर अनुमानित लागत प्रतिवर्ष अनुमानित 75 लाख रू व्यय होंगे।

10. किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्री

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्रा0 विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिए अच्छी तरह तैयार कर सकें ये विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का एवं समयक ज्ञान प्राप्त कर सकें इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

11. गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका :

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर आकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा तहसील स्तर पर वार्षिक कार्ययोजना विकसित की जायेंगी विकास खण्ड न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों को नियोजन तथा क्रियान्वयन अकादमिक परिवेक्षण तथा श्रेणी करण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों को क्षमता का विकास शोध एवं मूल्यांकन नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण

सामग्री विकास ई0एम0आइ0एस0 आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समय लक्ष्य होगा कि शिक्षको का कार्यस्थल पर सहायोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु सस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत कार्यवाही की जायेगी।

12. क्षमता विकास करना

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक, उच्च प्रा0 शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विदा आधारित प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित करने वैकल्पिक शिक्षा, बी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई0सी0ई0 प्रशिक्षण समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वाहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेट वर्किंग भी की जायेगी तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र मे किये जा रहे नवीनतम शोध मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए0बी0एस0ए0 /एस0डी0आई0/प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यलयों के समन्वयक तथा प्रधानाध्यापक और बी0आर0सी के समन्वयक एन0पी0आर0सी0 के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्यों को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी अन्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/कार्यशाला का आयोजन करके सहायक

अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उसमें नेतृत्व की क्षमता एवं प्रबन्ध. नियोजन को क्षमता शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

13. अकादमिक सन्दर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीड बैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह गठित किया गया है। जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त वाहय विशेषज्ञ शिक्षा विद योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं। अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास से पूर्ण इसमें उच्च प्रा0 स्तर पर भी अकादमिक सहायोग प्रदान करने की दृष्ट से इन्टरकालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0आर0टी0 के सहयोग से क्षमता विकास कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यता अकादमिक परिवेक्षण विषय शिक्षण तथा सकूल प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि विन्दुओं पर केन्द्रित होगी तथा प्रत्येक वर्ष 5 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

14. गुणवत्ता सुधार में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैक्षिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान क्षमता विकास अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने हेतु जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनरर्स की क्षमताओं की विकास में लिया जायेगा इसके अतिरिक्त

अकादमिक परिवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्रदान की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त शैक्षिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

15. कम्प्यूटर प्रशिक्षण

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी आवश्यक रखनी है अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा इसके अतिरिक्त उच्च प्रा0 कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जैसा कि उपर वर्णित है इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

16. शिक्षण सामग्री का विकास करना

शिक्षण सामग्री तथा अनपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के लिए आयोजित किया जायेगा। इसी क्रम में एन0पी0आर0सी0स्तर पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापकों की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया गया अतः इसी प्रकार क्रमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया गया।

टी0एल0एम0 निर्माण कार्यशाला व प्रर्दशन

क्र0	स्थान / स्तर	अवधि	समय	प्रतिभागी
1	न्याय पंचायत	01	नवम्बर 2002	समस्त सहायक अध्यापक / प्रधानाध्यापक
2	ब्लाक स्तर	01	नवम्बर 2002	न्याय पंचायत स्तर पर चयनित
3	जिला स्तर	01	दिसम्बर 2002	ब्लाक स्तर से चयनित
4	पुनः जिला स्तर	01	मार्च 2003	चयनियत विद्यालय डायट द्वारा

एस0एस0ए0 में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रक्रिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को 500 रूपये अनुदान के रूप में दिया गया तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पास्टर अन्य पठन सामग्री, सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय किया। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जयेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रति वर्ष 500 रूपये शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अन्तर्गत आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का प्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भॉति विभिन्न स्तर से सामग्री मेले का आयोजन किया जायेगा। न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री प्रदर्शिनी लगायी जायेगी। ततपश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में कराई जायेगी जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

17. कार्यशाला एवं गोष्ठियों का आयोजन

प्राथमिक विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु डायट स्तर पर कार्यशालायें एवं गोष्ठियां आयोजित की जायेंगी वर्तमान में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की शैक्षिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मूल्यतः केन्द्रित

है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कार्य किया जाता है इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी इन मासिक गोष्ठियों को अब और अधिक प्रभावी बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में न्याय पंचायत समन्वयकों/ब्लाक समन्वयकों की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गयी वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा गोष्ठियां निम्न विषयों पर केन्द्रित होंगी–

1. बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर के आंकड़ो की शेयरिंग
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री का निर्माण
3. गणित/विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री का निर्माण।
4. छात्र–छात्राओं की अधिगम समप्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टूल्स विकसित करना।
5. स्कूल पर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कक्षा कविता का संकलन

18.शोध एवं मूल्यांकन

जनपद में विभिन्न स्तर पर शिक्षकों द्वारा क्रियात्मक शोध का कार्य किये जाने की दृष्टि से 5 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा तथा इनके आयोजन में सीमेट इलाहाबाद तथा एस0सी0ई0आर0टी0 लखनऊ का सहायोग लिया जायेगा। ब्लाक/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो के इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी समस्याओं के निदान के लिए अपनी कार्य योजनाए बनायें और समाधान खोजने में सफल हों इस

प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को समतुल्य एवं अर्न्तर विद्यालयी स्तर पर ले जायेंगे।

डी0पी0ई0पी0 3 के अन्तर्गत जिले में शैक्षिक समस्याओं के स्थलीय व अति शीघ्र निदान हेतु रा0प0का0 लखनऊ से प्रशिक्षित सन्दर्भ दाताओं ने जनपद स्तर पर डायट में ब्लाक/न्याय पंचायत समन्यकों एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों जिला समन्वयकों कुल 116 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया जिसके परिणाम स्वरूप शैक्षिक समस्या निदान में काफी मदद मिली।

जनपदीय परिस्थितयों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार डायट विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, विद्यालय प्रबन्ध आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यवहारिक कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्यों में उनके निवारण हेतु क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं निरीक्षकों तक पहुॅचा कर उनके द्वारा आवश्यक मार्ग दर्शन प्राप्त करेंगे। समन्वयकों/शिक्षकों को क्रियात्मक शोध प्रशिक्षण सीमेट द्वारा उपलब्ध कराया गया तथा धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी जिससे शिक्षक डायट के नेतृत्व में क्रियात्मक शोध हेतु अपनी कार्य योजना का निमार्ण कर प्राप्त निष्कर्षों को क्रियन्वित करेंगे। डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का अध्ययन एवं मूल्यांकन किया जायेगा। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हो सकते हैं–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है?

2. विद्यालय में अपराहन सत्र में बच्चों की शतप्रतिशत उपस्थिति को सुनिश्चित कैसे किया जाये।
3. बहुकक्षा शिक्षा परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार सम्भव हो।
4. बच्चों के सतत व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
5. कक्षा की प्रक्रिय में जनभागीदारी बढाने के तरीके।
6. शिक्षण प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु पाठ संकेतों का विकास
7. कार्य निष्पादन के आधान पर चिन्हित कमजोर विद्यालयों में प्रबन्धन के गद्दे।
8. विद्यालय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
9. महिला शिक्षिकाओं का रोल पर सैपप्सन परिवर्तित करने के लिए रणनीति
10. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए प्रभावी शिक्षण तकनीकि

19. आंकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग :

ई0एम0आई0एस0 के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक, न्याय पंचायत, गांव एवं विद्यालय की मूलभूत समस्याओं/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है इसके द्वारा विद्यालय वार लिंगवार श्रेणीवार छात्रों की जानकारी प्राप्त कर ड्राप आउट एवं अध्ययन की समस्या ज्ञात कर उसका निदान किया जा सकता है। ई0एम0आई0एस0 आंकड़ो के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकैटस के सन्दर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा।

20. मूल्यांकन प्रणाली

एस0सी0आर0टी0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी एक प्रणाली विकसित की गयी है जिसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को अन्तिम स्वरूप प्रदानकर सर्वशिक्षा अभियान में भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण ओर अभिमुखीकरण कार्यक्रम जुलाई 2002 से आरम्भ हाने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किये गये। यह उल्लेखनीय कि सतत व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण हेतु शिक्षको के प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास नहीं किया जायेगा अपितु इसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियमित शिक्षक प्रशिक्षक माडयूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतत विषयक प्रशिक्षण डायट ब्लाक एवं न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा। जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

क्र0	आयोजित कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी0पी0ओ स्टाफ, ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0, ब्लाक/न्याय पंचायत समन्वयक	4 दिन
2	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3	शिक्षा मित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	चयनित शिक्षा मित्र/आचार्य	30 दिन
4	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	चयनित अनुदेशक	30 दिन
5	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	ब्लाक /न्यायपंचायत समन्वयक	3 दिन
6	ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	कार्यकर्त्रीयां एवं सहायिकाएं	7 दिन
7	समन्वयकों का आधारभूत प्रशिक्षण	ब्लाक/न्याय पंचायत समन्वय	7 दिन
8	ए0बी0एस0ए0/एस0टी0आई0 का प्रशिक्षण	ए0बी0एस0ए0 एवं एस0डी0आई0	5 दिन
9	बी0आर0जी0 सदस्यों का प्रशिक्षण	चयनित ब्लाक सन्दर्भ समूह के सदस्य	3 दिन
10	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ तथा चयनित अध्यापक	1 गाह
11	अंग्रेजी/संस्कृत विषयों का प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षक	5 दिन
12	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	5 दिन
13	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक	10 दिन

		विद्यालय	
14	नेतृत्व प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक से पदोन्नत प्रधानाध्यापक	5 दिन
15	क्रियात्मक शोध प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, ब्लाक एवं न्याय पंचायत समन्वय	5 दिन
16	मैटेरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	3 दिन
17	सतत व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, ब्लाक एवं न्याय पंचायत समन्वय	3 दिन
18	अकादमिक परिवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, डी0पी0ओ0 स्टाफ, ब्लाक/न्याय पंचायत समन्वयक	3 दिन
19	कार्यानुभव शिक्षण	ब्लाक /न्याय पंचायत समन्वयक तथा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित अध्यापक	5 दिन
20	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास कार्यशाला	चयनित शिक्षक शिक्षिकाएं	3 दिन
21	विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास प्रशिक्षण	मा0 तथा उच्च प्राथमिक स्तरीय चयनित अध्यापक	3 दिन
22	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास प्रशिक्षण	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरीय चयनित अध्यापक	3 दिन
23	अकादमिक सन्दर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक सन्दर्भ समूह के सदस्य	5 दिन
24	कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य माध्यम सम्बन्धित कार्यशाला	ब्लाक /न्याय पंचायत समन्वयक तथा चयनित अध्यापक	2 दिन
25	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु सेल्फ लर्निंग मैटेरियल विकास सम्बन्धित कार्यशाला	चयनित शिक्षक	5 दिन

अकादमिक पर्यवेक्षण में डायट, ब्लाक/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की समेकित भूमिका :

अकादमिक पर्यवेक्षण में डायट ब्लाक एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। न्यायपंचायत समन्वयक अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी0आर0सी0 को देगा तथा बी0आर0सी0 उसकी समीक्षा करके अपना प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए0आर0जी0 के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य के लिए कार्य योजना तैयार की जायेगी। इस प्रकार डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन भ्रमण कार्यक्रमों का अनुश्रवण

तथा विद्यालयों को श्रेणी कृत करके शिक्षण को प्रभावी बनाया जायेगा अकादमिक परिवेक्षण के दायरे में अशासकीय प्राथमिक, उच्च प्रा0 विद्यालयों में एवं माध्यमिक विद्यलायों में 6–8 तक की कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों एवं वैकल्पिक शिक्षा, ई0जी0एस0 एवं ई0सी0सी0ई0 को भी लाया जायेगा।

बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 की गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के सन्दर्भ में इनका अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम डायट स्तर पर किया जायेगा जिसका विषय होगा कि डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत चलायी गयी अकादमिक प्रणाली को अधिक सुदृण एवं सक्षम बनाया जाये। बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 द्वारा विद्यालयों का श्रेणी करण उनके कार्य निष्पादन के आधार पर किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों एवं संसाधन केन्द्रो कें चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

21. बी0आर0सी की भूमिका :

विकास खण्ड स्तर पर स्थापित संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी कार्ययोजना को इस प्रकार विकसित करेंगे –

1. सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना
2. विद्यालय में प्रशिक्षण के प्रभाव का अनुश्रवण करना
3. वैकल्पिक शिक्षा ई0जी0एस0 एवं शिशु शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करना
4. समुदायिक सहभागिता प्राप्त करने हेतु समुदाय का प्रशिक्षण तथा पंचायती राज्य संस्थाओं का अन्य संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना
5. ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन कर विश्लेषण करना
6. अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन0पी0आर0सी0 तथा डायट के मध्य एक कड़ी का कार्य करना

7. बी0आर0सी0 स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु संन्दर्भ समूह का विकास करना
8. शोध एवं मूल्यांकन कार्य हेतु शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना
9. विद्यालय विकास योजना का विकास करके अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करना
10. बी0आर0सी0 स्तर पर शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करना
11. शिक्षा के प्रति समुदाय अभिभावकों एवं संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनाना

22. एन0पी0आर0सी0 की भूमिका :

बी0आर0सी0 की तरह ही एन0पी0आर0सी0 भी अपनी वार्षिक कार्ययोजना इस प्रकार विकसित करेंगे–

1. शिक्षकों के लिए माशिक बैठकों, प्रशिक्षणों एवं कार्यशालाओं का आयोजन
2. विद्यालयों ई0जी0एस0 एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अकादमिक अनुश्रवण
3. वी0ई0सी0, डब्लू0एम0जी0, पी0टी0ए0 / एम0टी0ए0 सदस्यों के प्रशिक्षणों का आयोजन
4. ई0एम0आई0एस0 आंकड़ो का संकलन कर विश्लेषण करना
5. स्कूल भ्रमण कार्यक्रम में आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करना
6. शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन में शिक्षकों का सहायोग प्रदान करना।
7. विद्यालय विकास योजना का विकास कराकर अनुश्रवण करना
8. अभिभावकों, शिक्षकों एवं बच्चों के लिए एक स्रोत के रूप में अपने आपको विकसित करना

23.नवाचार कार्यक्रम

डायट द्वारा ग्रामों के विभिन्न जनसमुदाय जिसमें ग्राम शिक्षा समिति स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावक व्यवसाय करने वाले बच्चों के अभिभावक, ग्राम प्रधान, न्याय पंचायत समतुल्य प्रभारी उच्च एवं प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापकों के साथ एक जी0डी0 के दौरान ये तथ्य सामने आया कि जो बच्चे अपने व्यवसाय में लगे होने के कारण विद्यालय नहीं जाते हैं या जिन्होंने प्राथमिक स्तर की पढ़ाई पूर्ण कर विद्यालय जाना बन्द कर दिया है उन्हें पुनः विद्यालय में जाने के लिए, ठहराव बनाये रखने के लिए तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु कौशल विकास में दक्ष करने के लिए कार्य अनुभव प्रशिक्षण बहुत प्रभावी होगा। इसी प्रकार लड़कियों को उनकी इच्छानुसार फैशन डिजाइनिंग, पाककला, कताई बुनाई आदि का प्रशिक्षण देने से उनका उच्च प्राथमिक स्तर पर ठहराव बनाये रखने में सहायता मिलेगी वर्तमान में डी0पी0ई0पी0 के तहत प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं हेतु इस कार्य को सम्पादित करने के लिए अनेक कार्यक्रम जैसे ग्रीष्म कालीन सिविर चलाये गये जिसके परिणाम बहुत सकारात्मक रहे हैं इससे न केवल बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुयी है अपितु उनका विद्यालयी ठहराव भी कायम रहा है। बालिकाओं के लिये कार्य अनुभव कार्यक्रम उनके ठहराव में अत्यन्त सहायक होता है ठहराव पर प्रभाव की दृष्टि से किये गये अध्ययन के अनुसार जिन स्थानों पर योजना संचालित की गयी वहां संचालित विद्यालयों में कोई बालिका ड्राप आउट की स्थिति में नहीं पायी गयी यह निष्कर्ष इस धारणा की पुष्टि करता है कि कौशल विकास के कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के ठहराव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

उक्त के आधार पर बालिकाओं के लिए कार्य अनुभव शिक्षण को जनपद में नवाचार के रूप में संचालित किया जायेगा। सर्व प्रथम इस हेतु जनपद के विकास खण्डो में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा तथा स्थानीय आवश्यकता आधार पर बच्चों को तत सम्बन्धी कौशलों में प्रशिक्षित किया जायेगा। तथा चयनित विद्यालयों में कच्चा माल उपलब्ध कराकर बच्चों द्वारा जो सामान तैयार किया जायेगा उसकी बाजार में बिक्री कर उसका कुछ अंश निर्माणकर्ता बालकों में पारश्रमिक के रूप में प्रदान किया जायेगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहेगी और जनपद के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रियान्वित कर दी जायेगी।

24.छात्रों के लिए सामग्री विकास :

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण सामग्री विकसित की जायेगी इसमें स्थानीय उपलब्धि विशेष कर जनपद की विभूतियां, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी आदि हो सकती है इसकी जानकारी कक्षाओं में बच्चों का दी जायेगी ताकि प्रत्येक बच्चा अपने जनपद के समबन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर परिपक्व हो सके स्थानीय शिक्षा विदों समाजसेवी व्यक्तियों शिक्षकों आदि की कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

25. कक्षा कार्य में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना

ग्राम शिक्षा समितियों के गठन के माध्यम से समुदाय को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों की बैठक नियमित रूप से आयोजित न होने के कारण विद्यालयों की समस्यायें विद्यालय परिसर तक सीमित रहती हैं और बच्चों की उपलब्धि पर कहीं भी चर्चा नहीं होती है इसके कारण समुदाय बच्चों की उपलब्धि से अनिभिग्य रहता है और उनमें शिक्षा के प्रति कोई भी जागरूकता प्रकट नहीं होती है अतः ग्राम शिक्षा

समितियों की प्रतिमास विद्यालय में बैठक आयोजित की जाये और उन्हें समिति के सदस्यों को विद्यालय की समस्याओं उपलब्धियों आदि की जानकारी दी जाये उनके समक्ष विद्यालय में पठन पाठन कार्य कराया जाय बच्चों का विकास प्रत्यक्ष रूप से उनको देखाया जाये और बच्चों के संरक्षकों से बच्चे की अभिरूचि एवं कक्षा में बच्चे का मूल्यांकन कराया जाये और जो बच्चे अच्छी उपलब्धि वाले हैं उन्हें विद्यालय के वार्षिक समारोह में सम्मानित किया जाये इस प्रकार विद्यालय से जुड़कर समुदाय इसे अपना ही अंग स्वीकार कर सकेगा यह सोच विद्यालय का विकास एवं प्रगति में महत्वपूर्ण होगी।

26. डायट का सुदृढ़ीकरण

डायट भोगॉव मैनपुरी को पुराने राजकीय विद्यालय भोगॉव का प्रशासनिक भवन ही उपलब्ध हुआ है तथा नवीन भवन के रूप में केवल प्रचारी आवास छात्रावास वार्डन आवास एवं एक महिला छात्रावास बनाया गया है। अतः डायट भवन के विस्तार के रूप में एक सभा कक्ष एक मनोविज्ञान कक्ष एक पुस्तकालय कक्ष एवं 2 प्रशिक्षण कक्षों की अति आवश्यकता है। छात्रावास की मरम्मत आपेक्षित है। डायट की आवश्यकता को देखते हुए 250 मेज 250 कुर्सियां 100 गद्दे, 100 कम्बल, 100 तकिया, 100 वेडसीट की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त 5 किलोवाट का जनरेटर, फोटोकापियर एवं 53 सेमी0 रंगीन टेलीवीजन की आवश्यकता है। संस्थान को एक कम्प्यूटर कक्ष की भी आवश्यकता है एवं प्रिन्टर सहित एक कम्प्यूटर आपेक्षित है पुस्तकालय के हेतु अलमारियों एवं फरनीचर की आवश्यकता है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमात का समवर्द्धन

पद	सृजित	कार्यरत	रिक्त
प्राचार्य	01	00	01
उपप्रचार्य	01	00	01
वरिष्ठ प्रवक्ता	06	00	06
प्रवक्ता	17	04	13
कार्यानुभव शिक्षक	01	01	00
सांख्यिकीकार	01	01	00
तकनीकी सहायक	01	00	01
प्रति नियुक्ति पर कार्यरत प्रा0 वि0 शिक्षक	04	00	04

स्रोत–डायट भागॉव मैनपुरी

संस्थान के कार्य सदस्यों के कौशल सम्बन्धी विकास हेतु निम्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है–

1. कम्प्यूटर सम्बन्धी प्रशिक्षण
2. शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को संचालित किये जाने हेतु प्रशिक्षण
3. शैक्षिक समस्याओं के निदान हेतु क्रियात्मक शोध की सुविधा दिये जाने हेतु
4. समेकित शिक्षा हेतु संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाये
5. पुस्तकालय संख्या में व्यवस्था हेतु कम से कम एक संकाय सदस्य को प्रशिक्षित किया जाये
6. शैक्षिक गुणवत्ता सम्वर्द्धन की उपादेयता को ध्यान में रखकर डायट के समस्त रिक्त पदों की नियुक्तियां हों
7. डायट में कार्यरत प्रशिक्षित शैक्षिक स्टाफ का स्थानान्तरण न किया जाये इससे शिक्षण तथा गुणवत्ता सम्बन्धी कार्य प्रभावित होता है।

डायट भोगॉव मैनपुरी को वर्तमान में अति आवश्यक भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता –

डायट भोगॉव मैनपुरी पुरानी राज्य की दीक्षा विद्यालय भोगॉव की प्रशासनिक भवन में कार्यसंचालित कर रही है अतः गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु निम्न भौतिक सुविधायें उपलब्ध कराना अति आवश्यक है।

क्र0	भौतिक सुविधा	संख्या	उद्देश्य
1	प्रशिक्षण कक्ष	02	बी0टी0सी0/अन्य प्रशिक्षण संचालित करने हेतु
2	मेज	200	कक्षा कक्ष हेतु
3	कुर्सी	200	कक्षा कक्ष हेतु
4	गद्दे	100	छात्रावास हेतु
5	चादरें	100	छात्रावास हेतु
6	कम्बल	100	छात्रावास हेतु
7	बड़े फर्श	10	प्रशिक्षण हेतु
8	वीडियो कैमरा	01	प्रशिक्षण हेतु
9	प्रोजेक्टर	01	प्रशिक्षण हेतु
10	कुर्सी	50	पुस्तकालय हेतु
11	मेज	50	पुस्तकालय हेतु
12	न्यूज पेपर स्टैण्ड	01	पुस्तकालय हेतु
13	सूचना पटल	01	पुस्तकालय हेतु
14	बड़ी मेज	10	विभागाध्यक्षों हेतु
15	मूविंग चेयर	10	विभागाध्यक्षों हेतु

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक प्रस्तावित कार्यक्रम

2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1–सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण उच्च प्रा0 विज्ञान अध्यापक	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण उच्च प्रा0 गणित अध्यापक	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण उच्च प्रा0 अंग्रेजी, संस्कृत अध्यापक	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण उच्च प्रा0 हिन्दी भाषा अध्यापक	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण उच्च प्रा0 पुर्नबोधात्मक अध्यापक
2– शिक्षण अधिगम निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला	शिक्षण अधिगम निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला	शिक्षण अधिगम निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला	शिक्षण अधिगम निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला	शिक्षण अधिगम निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला
3– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी

कार्यशाला	कार्यशाला	कार्यशाला	कार्यशाला	कार्यशाला
4– शिक्षा मित्र आचार्य अनुदेशक प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र आचार्य अनुदेशक प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र आचार्य अनुदेशक प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र आचार्य अनुदेशक प्रशिक्षण	कम्प्यूटर प्रशिक्षण
5– सेवारत पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रा0 अध्यापक	सेवारत पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रा0 अध्यापक	सेवारत पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रा0 अध्यापक	शिक्षा मित्र पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक नेतृत्व विकास प्रशिक्षण
6– ब्लाक स्तरीय टी.एल.एम. मेला आयोजन	ब्लाक स्तरीय टी. एल.एम. मेला आयोजन	ब्लाक स्तरीय टी. एल.एम. मेला आयोजन	ब्लाक स्तरीय टी. एल.एम. मेला आयोजन	ब्लाक स्तरीय टी. एल.एम. मेला आयोजन
7– आंगनवाडी कार्यकत्री प्रशिक्षण	आंगनवाडी कार्यकत्री प्रशिक्षण	आंगनवाडी कार्यकत्री प्रशिक्षण	आंगनवाडी कार्यकत्री प्रशिक्षण	आंगनवाडी कार्यकत्री प्रशिक्षण
8– जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालयी छात्रों की गणित प्रतियोगिता	जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालयी छात्रों की गणित प्रतियोगिता	जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालयी छात्रों की गणित प्रतियोगिता	जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालयी छात्रों की गणित प्रतियोगिता	जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालयी छात्रों की गणित प्रतियोगिता
9– अंग्रेजी / संस्कृत सम्बन्धी एक दिवसीय कार्यशाला	अंग्रेजी / संस्कृत सम्बन्धी एक दिवसीय कार्यशाला	अंग्रेजी / संस्कृत सम्बन्धी एक दिवसीय कार्यशाला	अंग्रेजी / संस्कृत सम्बन्धी एक दिवसीय कार्यशाला	अंग्रेजी / संस्कृत सम्बन्धी एक दिवसीय कार्यशाला
10– प्राथमिक स्तरीय विद्यार्थियों की ब्लाक स्तरीय सुलेख प्रतियोगिता	प्राथमिक स्तरीय विद्यार्थियों की ब्लाक स्तरीय सुलेख प्रतियोगिता	प्राथमिक स्तरीय विद्यार्थियों की ब्लाक स्तरीय सुलेख प्रतियोगिता	प्राथमिक स्तरीय विद्यार्थियों की ब्लाक स्तरीय सुलेख प्रतियोगिता	प्राथमिक स्तरीय विद्यार्थियों की ब्लाक स्तरीय सुलेख प्रतियोगिता

अध्याय–10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूर्ण व्यतस्था के रूप में सचालित की जायेगी इसकी अवधि 2002 से 2007 तक की होगी इस अवधि में 6–14 आयु के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबन्धन उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में क्षमता एंव प्रवन्धन कौशल विकसित कर लिए जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबन्धन तीन भावना पर आधारित होगा और व्यक्तिगत पहल के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। प्रबन्धन लोकतान्त्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय–समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिए इसे सदैव तत्पर रहना होगा यह परिवर्तन सहभागिता पर आधारित होंगे। इससे सबसे निचले स्तर पर जवाब देही, दिन प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबन्ध तन्त्र–संवेदनशील और लचीली प्रणाली :

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में समुदायिक सहभागिता प्रप्त करते हुए विकेन्द्री कृत शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है इस व्यापक कार्य के लिए प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने वित्तीय निवेशों को

संगठनात्मक ढ़ॉचा – नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धित समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संसोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। समिति का स्वरूप निम्नवत है–

1. ग्राम पंचायत का प्रधान..... अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक प्रा0 स्कूल का प्रधान सचिव
3. बेसिक स्कूल के छात्रों के तीन संरक्षक (जिनमें एक संरक्षक महिला होगी) सहा0 बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निदृष्ट किये जायेंगे.....सदस्य

अधिकार एवं दायित्व

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी

(क). पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन नियन्त्रण और प्रबन्धन कराना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा की अविवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों और उनके भवन और उपकरणों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना

(ङ) ऐसे सागरत आवश्यक कदम उठाना जो अध्यापक एवं अन्यकर्मचारियों नियत समय पर उपस्थित सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक समझे जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिस करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य प्रत्यों को करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सौपे जायें।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण परिषद में सुधार शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलत है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता प्राप्त करने में सफल हुयी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी समस्त कार्यों का निष्पादन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा डी0पी0ई0पी के कार्यों की भांति किया जायेगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मॉग तथा शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेद्रण इस समिति का अधिकार एवं दायित्व है शिक्षा मित्रों अनुदेशकों आचार्यों आंगनवाडी स्टाफ के वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्ति पोषाहार एवं निशुल्क पाठपुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के परिवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय प्रचायत संसाधन केन्द्र

जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो का निर्माणे उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ–साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है।

कार्य एंव दायित्व

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उसकी व्यक्तिगत कठिनाईयों पर विचार–विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति

जिले की भॉति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिए उत्तरदायी होगी क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित हैं।

1. ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2. सहायक शिक्षाधिकारी	सदस्य सचिव
3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	सदस्य
4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व

इस समिति का मुख्य दायित्व ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा जिला परियोजना समिति के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराना क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत

विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा।

यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/जे0जी0एस0वाई के लिए आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में ये विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक माह में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रणो में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक परियोजना क्रियान्वन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधान केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा। इसके लिए उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की जायेगी। सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी पदेन विकासखण्ड परियोजनाधिकारी होंगे। खण्ड परियोजना अधिकारी केप्रमुख उत्तरदायित्व प्रमुख होंग –

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्वेक्षण करना
3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक करना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित कर सकलित करना।
6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का विवरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।
7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।
8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0 जा0 के सभी बालक/बालिकाओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण समय से कराना।
9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।
10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षामित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।
11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।
12. अध्यापकों के वेतन विल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 के संचालन का अनश्रवण सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी /प्रति उपद्यिालय निरीक्षक करेंगे तथा ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।इस।

हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साईकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख–रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/– प्रतिवर्ष/प्रतिविकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हें ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के कार्यसम्पादन हेतु प्रशिक्षित पाया जायेगा तथा उनके शासकीय दायित्वों के निस्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र :

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना संचालित है और सभी विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्र में भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकरण एवं सुसज्जित हैं। यहॉ समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके हैं और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्रा0 स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा। जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यों के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन विद्यालय सांख्यिकीय के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेंगे।

शैक्षिक गुणवत्ता संम्वर्द्धन एवं समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढीकरण करने की योजना है। जिसके लिए प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक लाख रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।

किसी एक अध्यापक /समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीनविधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डो की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना शैक्षिणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकरी एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के सम्बन्ध में बस्ती वार तथा बच्चों के नाम वार कम्प्यूटराइज विवरण तैयार कराना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एकात्रीकरण एवं सैम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समिति :

सर्वशिक्षा अभियान के अर्न्तगत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षाधिकारी हैं।

समिति का गठन निम्नवत हैं :–

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3. जिलाबेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
4. प्रयार्य डायट	सदस्य
5. जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
7. वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	सदस्य
8. अधिशासी अभियन्ता (आई0ई0एस0)	सदस्य
9. अधिशासी अभियन्ता (पी0डब्लू0डी0)	सदस्य
10. जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
11. दो शिक्षाविद (महाविद्यालय से)	सदस्य

जिलाधिकारी द्वारा नामित दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमालाक्रम से (एक वर्ष के लिए) दो शिक्षक (राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार प्राप्त)
स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व :

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले का सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लोक निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने रणनीति निर्धारण के सम्बन्ध में इसके

निर्णय प्रभावी होंगे। प्रदेश धारण, गुणवत्ता संबर्धन निर्माण के लिए तकनीकि परिवेक्षण के लिए संस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार प्रसार के लिए सभी कार्य इस समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिए जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिए बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है। जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है।

1. जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
3. अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5. जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6. अपर बेसिक शिक्षाधिकारी	पदेन सदस्य
7. 3 व्यक्ति जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निदृष्ट किये जायेंगे	सदस्य
8. विद्यालय उपनिरीक्षक पदेन जो समिति का सहायक सचिव होगा	–सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति अधीक्षण और निर्देशों के आधीन रहते हुए निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक/जू0हाईस्कूलों का प्रशासन करना

निर्णय प्रभावी होंगे। प्रदेश धारण, गुणवत्ता संबर्धन निर्माण के लिए तकनीकि परिवेक्षण के लिए संस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार प्रसार के लिए सभी कार्य इस समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिए जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिए बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है। जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है।

1. जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
3. अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5. जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6. अपर बेसिक शिक्षाधिकारी	पदेन सदस्य
7. 3 व्यक्ति जिला पंचायत के सदस्यों में से किये जायेंगे	राज्य सरकार द्वारा नाम निदृष्ट सदस्य
8. विद्यालय उपनिरीक्षक पदेन जो समिति का सहायक सचिव होगा	–सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति अधीक्षण और निर्देशों के आधीन रहते हुए निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक/जू0हाईस्कूलों का प्रशासन करना

अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यावेक्षण में काम करेंगे। तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत रागी उप बेसिक शिक्षाधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे। तथा अपने क्षेत्र से सम्बंधित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें। उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उपविद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का या दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियानका कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की तरह करेगे। परियोजना के क्रियान्वयनहेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निर्माण कार्य के तकनीकी परिवेक्षण की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य के गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के भॉति रखी जायेगी। निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अथवा सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा जिसके लिए उन्हें मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध है। मानदेय का जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित है। प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रुपये 1000/– प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रुपये 500/– तथा प्रति शौचालय हेतु 200/– रु0 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक

विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के निर्माण केतकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। अभियन्ताओं को मानदेय की राशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशन मैनेजमेन्ट इनफार्मेशन सिस्टम

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एवं क्रियाशील ई0एम0आई0एस0स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही ई0एम0ई0एस0 डाटा कैप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफ्टवेयर स्थापित हैं तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997–98 से वर्ष 2000–2001 तक के शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए साफ्टवेयर डाटावेष तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृतकराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारन्टी योजना वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बंधी गतिविधियों का अनुश्रवण आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अद्यावधिक एवं उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट उपलब्ध हो जायेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना के प्रति वर्ष शैक्षिक सांख्यिकीय के व्यापक कार्य को सम्पादित कराने के लिए स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एवं तीन कम्प्यूटर

आपरेटर्स/सांख्यिकीय सहायक रखे जायेंगे। जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा कीरिपोर्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स पर रिपोर्ट तैयार कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकड़ों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा। जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व-

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबंध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे।

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0, समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक प्रधानाध्यापको) का प्रशिक्षण आयोजित करना।
- माह अक्टूबर केप्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सेम्पुल चेकिंग सम्पादित कराना तथा परिवर्तन, यदि कोई हो अभिलिखित करना।
- सम्बद्ध रूप में दिसम्बर 2002 के अन्त तक डाटा इन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकास खण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रचार जिला शिक्षा

और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयको तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्धता कराना।

- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।
- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सकने सम्बंधी को प्रस्तुत/प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण

विद्यालय सांख्यीकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक संकुल प्रभारी बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। और उन्हें ई0एम0आई0एस0 सम्बंधी प्रपत्र तथा उन्हें भरने संकलन विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बंधी आंकड़ों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिए भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे आंकड़ों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

2. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगे।

3. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक तथा सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

4. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एवं बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एवं दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इनफारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांच

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिए नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर को स्थित के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाटा इन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रति वर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हुए प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्याक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भर कर भेजी गयी थी वह वही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकड़ों का उपयोग

ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों केविश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे जी0ई0आर0, एन0ई0आर0 ड्राप आउट दर, रिपिटीशन दर, छात्र अध्यापक अनुपात कक्षा कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय आदि प्रति वर्ष प्राप्त होंगे। इन इन्डीकेटर्स का उपयोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में किया जायेगा। ताकि बार–बार सूचनाओं के एकत्रीकरण के समय की बचत हो सके और कार्य योजना के संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों क समावेष/संशोधन किया जा सके। डायस के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के वाहर वच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही श्रोत से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है । माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकड़ों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तद्नुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेष/संशोधन अभीष्ठ होगा।

ई0एम0आई0एस0 एवं माइक्रोप्लानिंग के आंकड़ों का उपयोग निम्न कार्यों हेतु भी किया जायेगा–

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित वस्तियों की पहचान
2. शिक्षा गारन्टी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।

5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षामित्रों की नियुक्ति की आवष्यकता वाले विद्यालयोंकी पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मॉग का आंकलन व निर्धारण
9. शिक्षकों का विवरण
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकड़ों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0ए0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं सूचनाओं का उपयोग सम्बंधित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बंधित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा। जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडी

छात्र–छात्राओं के ठहराव में वृद्धि के प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप आउट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहॉर्ट स्टडी कराई जायेगी। स्टडी वाह्य एजेंसी द्वारा करायी जायेगी। जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पृथक–पृथक की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रुपये दो लाख रखी गयीहै।

प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इनफार्मेशन सिस्टम

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वृत्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयारकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद से सम्बंधित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति बढाने के प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल0ए0सी0आई0के अन्तर्गत कम्प्यूटराइज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है। जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपयोग किया जायेगा। जिसके लिए भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

गुणवत्ता के सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखतेहुए इसको और अधिक सुदृढ किया जायेगा।

परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होंगे–

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/संदर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना ।
2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना। तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों केलिए डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

निधि का हस्तान्तरण (फ्लो ऑफ फण्ड)

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण अकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0.सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बंधित कार्यदायी संस्था जैसे ग्राम शिक्षा समिति स्वयं सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खतों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी केलिए शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय संदर्सिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रुपये पाँच हजार मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी के अनुमति आवश्यक है इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागूहै। डायट का खाता भी डायट प्रचार एवं उसी के लेखा सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/न्यायपंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी संयुक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एवं प्रोक्योरमेन्ट के नियम भी इसी संदर्शिका में निर्धारित किये गये हैं। जो

परियोजना में अपनाये जायेगे। तथापित सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिसर द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय–समय पर रिफ्रेसर कोर्स भी आयोजित किए जायेगे। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है जिनके बैंक में खाते पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रति माह उपलब्ध कराया जायेगा सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फण्ड फ्लो डायग्राम

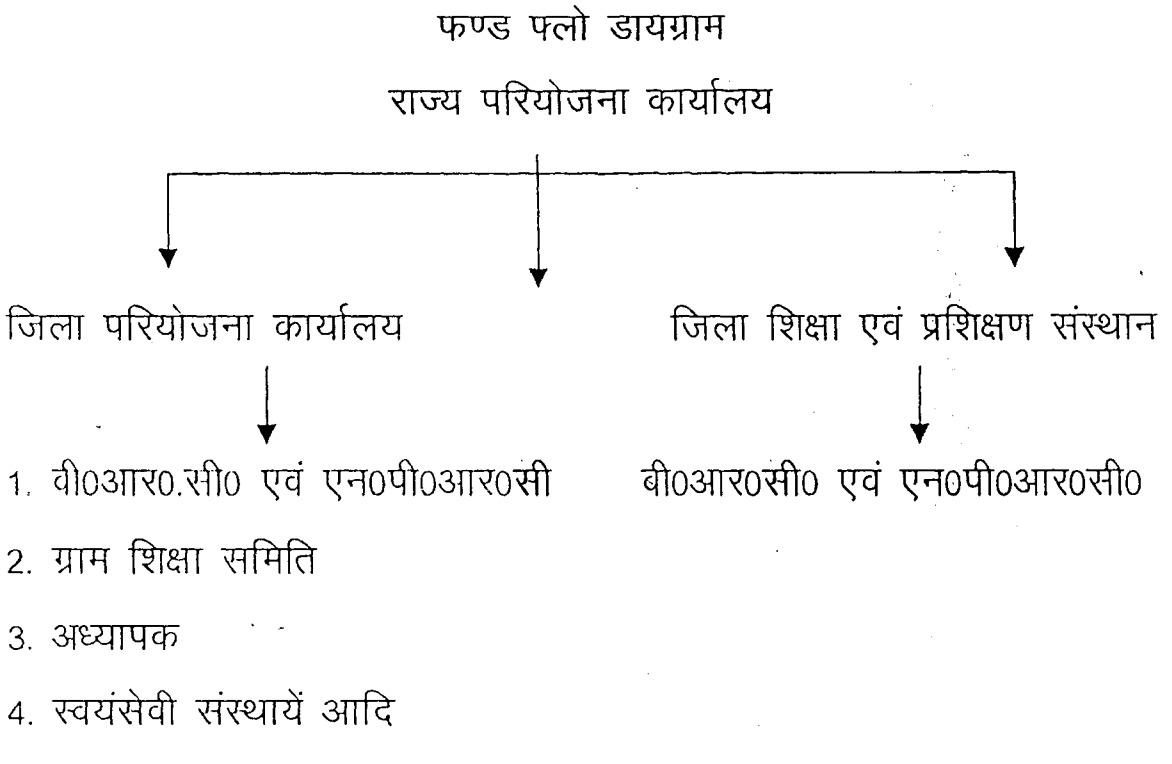

सम्प्रेषण व्यवस्था

उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रति सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे–जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इनडिपेन्डेन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। यह कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का चयन वटम्र्स आफ रिफरेन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिए शिक्ष परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे–जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिअ) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रति वर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय–समय पर आन्तरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिकशिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों बी0आर0सी0 समन्वयकों की पर्यवेक्षक समीक्षा बैठके आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यों को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार डायट द्वारा संकाय सदस्यों बी0आर0सी0 समन्वयकों को मासिक बैठक आयोजित की जायेगी और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाइयों पर फीड बैंक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देष की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य

परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय कियेजायेगें। साथ ही समय–समय पर परिवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा और कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराइज्ड पी0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षों के आधार पर कार्य योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा, वार्षिक ई0एम0आई0एस0 डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इन्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथा आवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनाये जायेगें। आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष से प्राप्त अनुभव अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न **कार्यक्रम आयोजित** किये गए हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर **पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों** का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों के **माध्यम से किया** जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के [illegible] रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद **विवाद/ वार्ताओं के** प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005-06 में .....05..... प्राथमिक एवं .....05..... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	303	
2005-06	300	
2006-07	300	
योग	903	

कुल लक्ष्य 903 का है।

PROJECT COST
SARVA SHIKSHA ABHIYAN
Mainpuri

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	66	17094	0	0	5	1280	0	0	71	18374
A2	New Upper Primary Schools	451	22	9922	67	18760	0	0	5	1400	0	0	94	30082
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	66	6480	66	7920	66	7920	66	7920	66	7920	330	38160
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	66	891	66	1633.5	71	1757.25	71	1757.25	274	6039
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	66	3564	66	7128	71	7668	71	7668	274	26028
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	201	12060	201	24120	216	25920	216	25920	834	88020
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	66	660	0	0	5	50	0	0	71	710
A8.2	UPS	50	36	1800	67	3350	0	0	5	250	0	0	108	5400
A9	TLE UPS not covered OBB	50	56	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	56	2800
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**21002**	0	**84299**	0	**41001.5**	0	**46446.25**	0	**43465.25**		**216213**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	100	2112.5	211	4457.375	211	4457.375	522	11027.25
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0	0	0	0	100	2112.5	211	4457.375	211	4457.375	522	11027.25
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	27	972	27	972	27	972	27	972	108	3888
A14	Back to school campe(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	18	1080	18	1080	18	1080	54	3240
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	1	180	1	180	1	180	4	720
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	80	2704	80	2704	80	2704	80	2704	320	10816
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	23	353.05	23	353.05	23	353.05	69	1059.15
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**21002.00**	0	**68155.00**	0	**50765.55**	0	**60899.05**	0	**57919.05**	**0**	**258740.65**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	70	13370	0	0	0	0	70	13370
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	5	1915	15	5745	0	0	0	0	20	7660
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	502	35140	503	35210	503	35210	1508	105560
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	13	910	15	1050	100	7000	80	5600	0	0	208	14560
R4.1	Toilets Upper Primary	10	15	150	19	190	55	550	50	500	0	0	139	1390
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	0	0	303	3030	300	3000	300	3000	903	9030
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	41	738	0	0	0	0	41	738
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1203	6015	1203	6015	1269	6345	1274	6370	4949	24745
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	232	1160	232	1160	261	1305	261	1305	266	1330	1252	6260
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 prn(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0	0	0	500	12375	1546	38263.5	1604	39699	3650	90337.5
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	277	26592	277	26592	277	26592	831	79776
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	500	6750	1046	25888.5	58	1435.5	60	1485	1664	35559
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	20	40	1275	2550	1280	2560	1280	2560	3855	7710
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	182	364	354	708	354	708	359	718	359	718	1608	3216
R12	**Promoting Girls Education**		0	2537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2537
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	20	90	20	90	20	90	60	270
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	10	750	10	750	10	750	30	2250
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	36	144	36	144	36	144	108	432
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	10	250	10	250	10	250	30	750
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	1	1.4	1	1.4	1	1.4	3	4.2
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	100	500	245	1225	245	1225	590	2950
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	100	375	245	918.75	245	918.75	590	2212.5
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	100	150	245	367.5	245	367.5	590	885
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	245	17.15	245	17.15	245	17.15	735	51.45
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	1269	3553.2	1269	3553.2	1269	3553.2	3807	10659.6
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	400	2000	400	2000	400	2000	1200	6000
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0	503	241.44	503	241.44	503	241.44	1509	724.32
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	9	45	9	45	9	45	27	135
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	612	0	0	7	466.9	7	466.9	7	466.9	21	2012.7
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog	60	0	0	10	5000	10	600	10	600	10	600	40	6800
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	1508	3770	1508	3770	1508	3770	4524	11310
	RETENTION Sub Total		0	**6733**	0	**22828**	0	**154010.6**	0	**136019.34**	0	**131454.34**	**0**	**450045.27**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	36	75.6	551	1157.1	63	132.3	60	126	710	1491
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	108	226.8	0	0	552	1159.2	78	163.8	59	123.9	797	1673.7
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	817	1143.8	134	187.6	3543	4960.2	4651	6511.4	4767	6673.8	13912	19476.8
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	991	1040.55	1101	1156.05	1116	1171.8	1116	1171.8	4324	4540.2
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	5	7	5	7	10	14
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	27	18.9	27	18.9	27	18.9	81	56.7
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	80	56	80	56	80	56	240	168
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	27	37.8	27	37.8	27	37.8	81	113.4
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	9	3.15	9	3.15	9	3.15	27	9.45
Q2	IED Provision for disable children	1.2	0	0	1847	2216.4	1726	2071.2	2700	3240	2700	3240	8973	10767.6
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	10	0	0	0				

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	5	12.5	5	12.5	5	12.5	15	37.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	5	10	5	10	5	10	15	30
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	160	80	3769	1884.5	3838	1919	3897	1948.5	11664	5832
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	925	462.5	1891	945.5	1446	723	1461	730.5	1461	730.5	7184	3592
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	5206	260.3	106749	5337.45	191418	9570.9	196203	9810.15	499576	24978.8
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	23996	3599.4	53964	8094.6	37396	5609.4	38331	5749.65	39289	5893.35	192976	28946.4
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1508	226.2	1508	226.2	1508	226.2	4524	678.6
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	138	6.9	138	6.9	138	6.9	414	20.7
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1269	19035	1269	19035	1269	19035	3807	57105
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	261	1957.5	261	1957.5	261	1957.5	783	5872.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		0	**5432.6**	0	**12900.65**	0	**45472.05**	0	**50610.3**	0	**51138.95**		**165554.35**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	9	1296	9	1296	18	2592
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	0	0	18	1188	18	1188	36	2376
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	0	0	9	324	9	324	18	648
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	9	90	0	0	0	0	9	90
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	9	54	9	54	9	54	9	54	36	216
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	9	18	9	18	9	18	27	54
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	9	90	9	90	9	90	27	270
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	9	45	9	45	9	45	9	45	36	180
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	9	45	9	45	9	45	27	135
C2.11	Contigency	12.5	0	0	9	112.5	9	112.5	9	112.5	9	112.5	36	450
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	9	32.4	9	32.4	9	32.4	27	97.2
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	9	45	9	45	9	45	27	135
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction													

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	80	11520	80	11520	160	23040
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	80	400	0	0	0	0	80	400
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	80	80	0	0	80	80	80	80	240	240
C3.4	Contingency	2.5	0	0	80	200	0	0	80	200	80	200	240	600
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	80	192	80	192	80	192	80	192	320	768
C4	*District Project Office/Management*		15	762	0	1720	0	0	0	0	0	0	15	2482
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	C	0	0	0	0	7	1260	7	1260	14	2520
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	9	162	9	162	9	162	27	486
C4.8	*Travelling Allowances*	10	0	0	0	0	12	120	12	120	12	120	36	360
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	12	1440	12	1440	12	1440	36	4320
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	1203	1684.2	1269	1776.6	1269	1776.6	3741	5237.4
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	218	305.2	254	355.6	194	271.6	261	365.4	261	365.4	1188	1663.2
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	**1067.2**	0	**2769.1**	0	**5341.7**	0	**20905.9**	0	**20905.9**		**50979.8**
C5	*MIS*		0	0	0		0		0		0	.		
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	244	0	0	0	0	0	0	1	244
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	2	180	2	180	2	180	6	540
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5.8	*Prining & Distribution of Data Formats*	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	**1067.2**	0	**3003.1**	0	**5805.7**	0	**21369.9**	0	**21369.9**	**0**	**52615.8**
	GRAND TOTAL		0	**33234.7**	0	**106886.65**	0	**256053.89**	0	**268898.59**	0	**261882.24**	0	**926956.07**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention										**Mainpuri**	
			2002-03		**2003-04**		**20004-05**		**2005-06**		**2006-07**		**Total**
Civil			10982.0		39009.0		65573.0		46990.0	.	38210.0		200764.0
Management			305.2		355.6		4681.8		6128.0		6128.0		17842.6
Programme			21947.5		67522.1		185799.1		215780.6		217544.2		708349.5
Total			**33234.7**		**106886.7**		**256053.9**		**268898.6**		**261882.2**		**926956.1**
Percentage - Civil			**33.0**		**36.5**		**25.6**		**17.5**		**14.6**		**21.7**
Percentage - Management			**0.9**		**0.3**		**1.8**		**2.3**		**2.3**		**1.9**
Percentage - Programme			**66.0**		**63.2**		**72.6**		**80.2**		**83.1**		**76.4**
Percentage - Total			100		100		100		100		100		100